खण्ड-257, अंक-1
मंगलवार, 30 चैत्र, शक संवत् 1887
(20 अप्रैल, 1965 ई0)

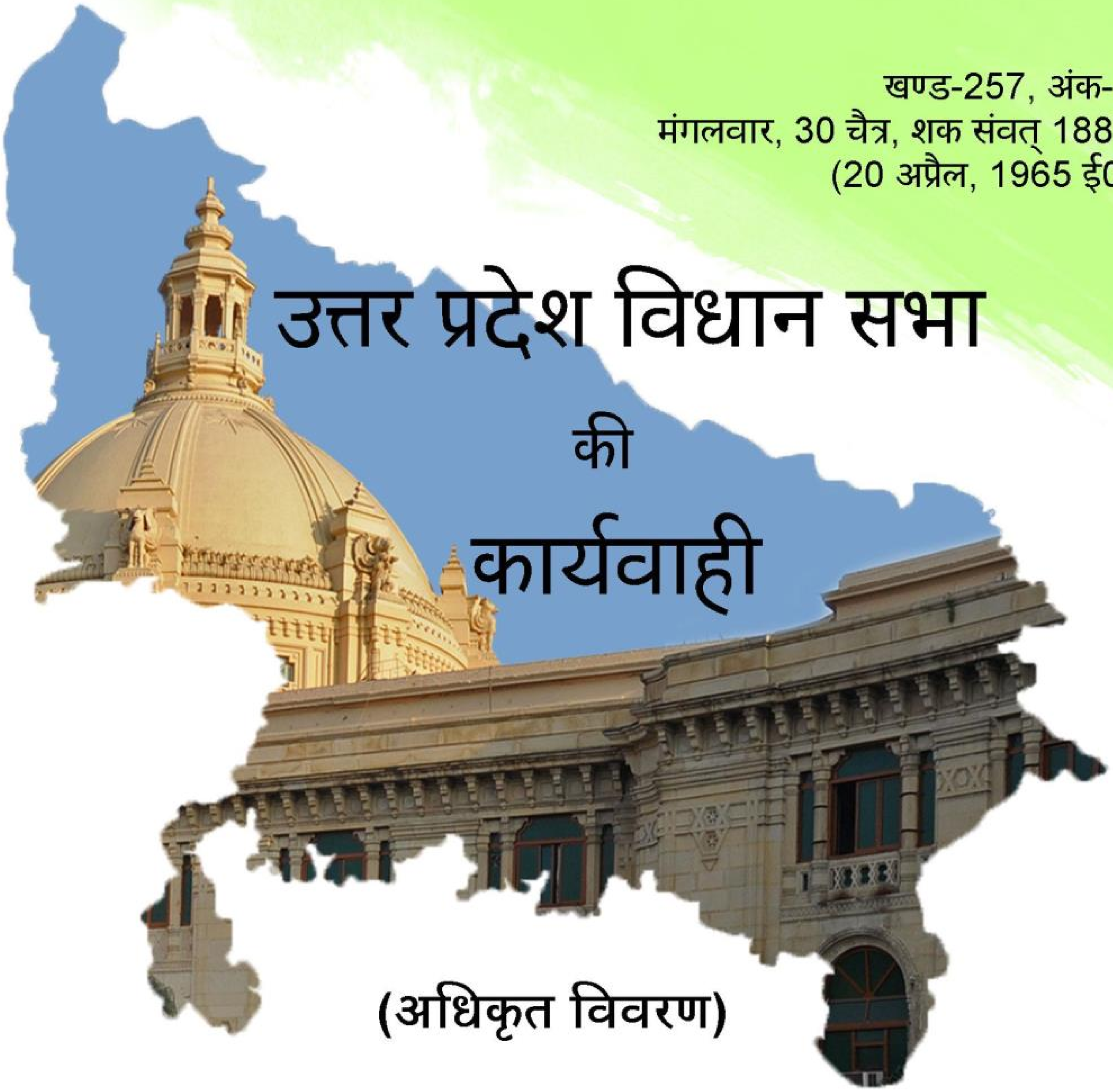

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 257 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१—५
प्रश्नोत्तर	५—४२
प्रश्नों के संबंध में आपत्ति	४२—४३
जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (मेज पर रखे गये)	—४३
विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६४ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	४३—४६
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनायें	४७—४८
प्रदेश की सीमा के समीप चीन की सैनिक गतिविधियों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी) ..	४८—५५
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	—५५
गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर बने बांध के अनेक स्थानों पर टूट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	५६—५९
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिये समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	५९—६०
लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों की निर्वाचन तिथि में परिवर्तन की सूचना	—६०
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	—६०
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	६१
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट)	६१—८६
अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने पुल के पीपे बैठ जाने से हुई दुर्घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव (आप से आप समाप्त)	८६—११२
नत्थियां	११३—१२९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

R.A.
5005

मंगलवार, २० अप्रैल, १९६५

132446

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल बशीर खां, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
मुहमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुदगल, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द्र शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृहमन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा शिक्षा उपमन्त्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २० अप्रैल, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में स्पिरिट के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि

**१--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अभी हाल में ही शासकीय आदेश द्वारा लखनऊ में रिटेल स्पिरिट बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेन्स का नवीकरण २५ रु० फीस के स्थान पर ४००० लीटर पर २०० रु० सालाना और ४००० लीटर से हर एक हजार अधिक पर १०० रु० फीस कर दिया है और इसी प्रकार थोक के लोगों के लिये १० हजार पर २०० रु० और हर ५ हजार पर १०० रु० कर दिया है ? यदि हां, तो इस आदेश के चलते लाइसेन्स का नवीकरण जो मार्च १९६५ तक होता है, रुक गया है ? यदि हां, तो क्या इस आदेश को वापस किया जा रहा है और ३० अप्रैल तक लाइसेन्स बदलवाने की तत्काल सुविधा देने जा रही है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

जी हां। १ अप्रैल, १९६५ से स्पिरिट के थोक व फुटकर बिक्रेताओं के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि कर दी गई है, जिससे संबंधित आबकारी कमिश्नर की दिनांक ३१ मार्च, १९६५ की विज्ञप्ति की प्रति संलग्न है।

लखनऊ में शुल्क बढ़ाने के कारण अनुज्ञापत्रों के नवीकरण में कोई रुकावट नहीं हुई।

शेष अंश का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११३ पर)

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि पहले यह लाइसेन्स फीस रिटेलर की २५ रुपये और थोक वाले की ५० रुपया थी तो इस नई व्यवस्था में रिटेलर और थोक वाले दोनों की समान लाइसेन्स फीस करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें दो तरह के हैं। थोक वाले के लिये १० हजार लिटर तक १०० रुपये है और जो फुटकर वाले हैं उनके लिये २ हजार तक १०० रुपये है। उसके बाद २ हजार से ३ हजार तक १५० रुपये और ३ हजार से ४ हजार तक २०० रुपये हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मेरा जो सवाल है उसका जवाब नहीं आया है। पहले इन दोनों की फीस अलग-अलग थी यानी २५ रुपये और ५० रुपये। इस समय उनको समान कर दिया है तो इसका क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह बात सही है कि पहले २५ और ५० था, लेकिन अब थोक और फुटकर दोनों के लिये बिक्री के अनुसार रखा गया है। थोक वाले के रेट वही नहीं रखे गये हैं, कम रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कोई हाल में नवीकरण हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है तो क्या पहले जो दर थी उनमें वृद्धि हुई है, या नहीं ? अगर वृद्धि हुई है तो क्यों हुई है ?

श्री चन्द्रबली सिंह--

यह बात नहीं है। पहले यह था कि रिटेलर की २५ रुपये फीस थी और थोकवाले की ५० रुपये थी। अब रिटेलर की २०० रुपये की जा रही है और थोक वाले की भी २०० रुपये की जा रही है, तो समान करने का क्या कारण है ?

डाक्टर रामनारायणपांडेय--

यह उचित समझा गया कि इस तरह से उनको रखा जाय तो वह भी चलते रहें और ये भी। शायद ज्यादा बढ़ाने से बाधा पड़ती।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

क्या माननीय मंत्री जी सदन को स्पष्ट बतलायेंगे कि उन्होंने जो यह दोनों प्रकार की फीस रखी है इनमें समानता है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)--

दोनों की समान फीस नहीं है। जो थोक वाले हैं उनपर १० हजार लीटर तक २०० रुपये रखा गया है। उसके ऊपर अगर वह ५ हजार लीटर और बेचेंगे तो १०० रुपया और बढ़ जायगा यानी ३०० रुपये हो जायगा। जितनी मात्रा में स्पिरिट थोक वाला या फुटकर वाला बेचेगा उसके लिहाज से वह ज्यादा हो जायगी और उसके आंकड़े दे दिये गये हैं कि कितने आंकड़े होंगे।

श्री उग्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि थोक में ४,००० लिटर के बाद कितनी फीस है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

स्थिति यह है कि कम से कम वाली संख्या ली जाती है। आज भी जैसा कि २५ और ५० रुपया वहां पर था उसी तरह से थोक वालों के लिये कम से कम रकम २०० रुपया है और फुटकर वालों के लिये कम से कम रकम सौ रुपया है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)--

प्रश्न यह है कि सौ और डेढ़ सौ लिटर के हजारों लाइसेंस स्टेट में हैं, ४,००० के बहुत कम ह, तो २०० रुपये की फीस बढ़ाने से सौ और दो सौ लिटर वालों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि उनका २५ रुपये के बजाय २०० रुपया हो गया । तो क्या सरकार ५०० लिटर के नीचे के जितने लाइसेंसेज स्टेट में हैं उन पर २५ रुपया ज्यों का त्यों रखने को तैयार है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

सरकार इसके लिये बिलकुल तैयार नहीं है । सरकार की इससे मंशा यही थी कि हम अपनी आमदनी बढ़ायें, और ऐसी बात नहीं है कि केवल दूकानदारों पर बोझ पड़ा है, वह तो जितना बोझ पड़ा है उतना ही रिफ्लेक्ट हो जायगा स्पिरिट की कीमत में और उसे कन्ज्यूमर देगा, दूकानदार पर कोई परेशानी नहीं आती ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सभी रिटेलरों का समान कोटा करके और सभी थोकरों का समान कोटा करके इस तरह से २५ और ५० की समान फीस मंत्री जी लगायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

वह तो जिस रेट से हमने निर्धारित किया है उसी रेट से लगेगी ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९(२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

बलिया-बरौली-घोसी बस सर्विस

*१--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे बलिया, बरौली, घोसी (आजमगढ़) रूट को सरकार ने कब अपने अधीन किया है और राजकीय बस चलाने का निर्णय लिया है ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)--

उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक २ जून, १९६२ में प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति संख्या ९०३-टी-तीस-बी, दिनांक २५ मई, १९६२ द्वारा इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण किया गया और १५ जुलाई, १९६२ से वहां रोडवेज बस सर्विस शुरू हुई ।

*२--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रूट पर चलाने वाले प्राइवेट बस-मालिकों को मुआवजा कितना-कितना और कब-कब दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस मार्ग के १३ आपरेटरों में से श्री जगदीश नारायण मिश्र को २५ फरवरी, १९६३ को ६,१०० रु० और श्री विष्णु देव तिवारी को २६ मार्च, १९६३ को ६,६०० रु० मुआवजा दिया गया। १० प्राइवेट आपरेटरों ने मुआवजे के एवज में दूसरे मार्ग के लिये परमिट ले लिये और एक का परमिट पहले ही कैन्सिल हो गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या परिवहन मंत्री बतायेंगे कि जिस एक का परमिट पहले कैंसिल हुआ है उसका कारण क्या था ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

श्री सर्वजीत तिवारी का परमिट कैंसिल हुआ था और वह मोटर विहिकिल्स ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत गाड़ी चलाने के नियम का उल्लंघन करने के फलस्वरूप १५ जून, १९६२ को कैंसिल किया गया था ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

१० प्राइवेट आपरेटरों के जो मार्ग दूसरी जगहों के थे तो वे दसों अपनी गाड़ियां चला रहे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो गाड़ी नहीं चला रहा है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसकी सूचना तो पूरी तरह से नहीं है कि सब चला रहे हैं या नहीं, लेकिन एक श्री बीरेन्द्रसिंह हैं, उनकी बाबत मालूम है कि उन्होंने पहले परमिट लिया दूसरे आल्टरनेट रूट का लेकिन वह उस पर गाड़ी नहीं चला रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जिस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी नहीं चलाई और उसे मुआवजा भी नहीं दिया गया, तो इन दोनों विभेदों में क्या सरकार कोई निर्णय तत्काल लेगी जिससे कि उनको रास्ता मिले या उनको गाड़ी का मुआवजा मिल सके ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, जब रूट नेशनालइज किया जाता है तो जो गाड़ियां उस समय चलती होती हैं उनको, जिनका परमिट वैलिड होता है, या तो मुआवजा दिया जाता है या कोई आल्टरनेट रूट दे दिया जाता है । उनको दूसरा रूट सितम्बर में दिया गया था । दिसम्बर में उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाना नहीं चाहता, मुझे कम्पेनसेशन दिया जाय । उस मामले की जांच करायी गयी तो यह पता चला कि उनके परमिट की मियाद नोटिफिकेशन के दिन तक समाप्त हो गयी थी । अब यह मामला विचाराधीन है कि उनको मुआवजा दिया जाय या नहीं ।

लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी से सिंचाई

*३--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी, गाजीपुर के असफल हो जाने पर (जैसा कि विभाग द्वारा आदेश आया है) निकटवर्ती क्षेत्र की सिंचाई की क्या व्यवस्था होगी ? क्या उस क्षेत्र में विशेष रूप से ट्यूबवैल लगाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कहां-कहां ट्यूबवैल प्रस्तावित हैं और ये कब तक बोर हो जायेंगे ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

प्रथम भाग--लालगंज डिस्ट्रीब्यूटरी की असफलता के बारे में कोई विभागीय आदेश नहीं है ।

द्वितीय भाग--प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजनाथसिंह--

पहले मार्च, १९६३ में नहर से पानी देने का आश्वासन दिया गया था, फिर मार्च, १९६४ में दिया गया, लेकिन अभी तक पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है । तो क्या माननीय मंत्री जी किसानों को कोई सुविधा देने पर विचार करेंगे या नलकूप लगायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बात यह थी कि बीच-बीच का कुछ ऐसा हिस्सा था जो खुद नहीं सका था। अब वह खुद गया है और आशा है पानी अब मिलने लगेगा।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या यह सही है कि वहां पर नलकूप लगेंगे या यह सही है कि नलकूप वहां नहीं लगाये जायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बात यह है कि वहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी खुद रही थी, लेकिन चूंकि पूरी नहीं खुदी थी इस वजह से पानी नहीं जा सकता था। अब आशा की जाती है कि पानी पहुंच जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह पानी कब तक पहुंच जायेगा, और यदि नहीं पहुंचेगा तो इस स्कीम को असफल घोषित करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरी सूचना है कि अब डिस्ट्रीब्यूटरी पूरी खुद चुकी है और अब पानी जा सकेगा।

श्री उग्रसेन--

जब यह योजना बनी थी तो उस समय यह कितने वर्ष में पूरी होने का अनुमान था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो आप ज्यादा जानते होंगे।

श्री राजनाथासिंह--

वहां के लिए ६ नलकूप प्रस्तावित किये गये थे, तो क्या अब वे नहीं लगेंगे और नहर द्वारा ही पानी दिया जायेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अगर नहर से पर्याप्त पानी मिल सकेगा तो नलकूप की आवश्यकता नहीं रहेगी।

बादां जिले में रोडवेज कर्मचारियों का बकाया भत्ता

*४--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के सहायक यातायात निरीक्षकों का जनवरी, १९६४ से अब तक बस द्वारा आने-जाने के दौरे का दैनिक भत्ता नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

केवल ५ ए० टी० आईज० को छोड़कर बाकी सभी का जनवरी, १९६५ तक के दैनिक भत्ते का भुगतान हो चुका है। इन ५ ए० टी० आई० के बिल अभी जी० एम०, कानपुर के यहां प्राप्त नहीं हुए है। देरी के लिए जाच की जा रही है।

*५--श्री मतोलासिंह--

क्या परिवहन मंत्री यह भी बातने की कृपा करेंगे कि जिला बांदा के रोडवेज के अन्य कर्मचारियों का भी भत्ता दिसम्बर, १९६४ से बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जनवरी, १९६५ तक जी० एम० के कार्यालय में प्राप्त सभी भत्ते के बिलों का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री मतोलासिंह---

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि सन् ६४ का भत्ता इतनी देर से क्यों दिया गया ? और प्रश्न करने पर दिया गया क्या ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

संभवतः प्रश्न के बाद ही दिया गया । देर से देने की जांच कराई जा रही है ।

श्री मतोलासिंह--

जो भत्ता देरी से देते हैं क्या उनकी तब्दीली का कोई प्रबंध करने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

तब्दीली से उसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)--

तो क्या कोई ऐसा आदेश देने की मंत्री जी कृपा करेंगे कि उनका वेतन और भत्ता ठीक समय से दिया जाय और देर न हो ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अगर कहीं कोई खराबी है तो माननीय सदस्य सहयोग देने की कृपा करें और बतावें तो उसे देखा जायगा ।

रामपुर में श्री विनयकृष्ण, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध शिकायत

*६--श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि असिस्टेंट इंजीनियर एस० डी० ओ० फर्स्ट केनाल डिवीजन, रामपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें रामपुर के समाचार-पत्रों में अक्सर प्रकाशित होती रही है ? यदि हां तो उन पर क्या सरकार ने कोई ध्यान दिया ?

सिंचाईमंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विनय कृष्ण, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध केवल एक शिकायत रामपुर से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र "सुबह व शाम" में दिनांक ८ अगस्त, १९६४ ई० को प्रकाशित हुई थी । इस पर अधीक्षण अभियन्ता से जांच कराई गई थी ।

चंदौसी पावर हाऊस का ट्रांस्फार्मर जल जाना

*७--श्री जगदीश नारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चन्दौसी में विद्युत परिषद् का कोई ट्रांसफार्मर जल गया है ? अगर हां, तो कितनी क्षति हुई और किसकी लापरवाही से ?

*८--क्या मुरादनगर में भी ऐसी दुर्घटना हुई थी ? अगर हां, तो चन्दौसी दुर्घटना और मुरादनगर दुर्घटना में क्या विद्युत परिषद् ने लापरवाही करने पर अधिकारियों को सजा दी ? वह सजा क्या थी और किस-किस को मिली ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी हां । आवश्यक सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११४ पर)

श्री जगदीशनारायण सिनहा--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि चन्दौसी ट्रांसफार्मर की खराबी की इंडीकेशन काफी दिन पहले से आर ही थी, उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मेरे पास पहले से खराबी की सूचना नहीं है ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा--

मुरादनगर में जिम्मेदारी होने पर अधिशासी अभियन्ता और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई तो चन्दौसी में सीधी जिम्मेदारी होने पर भी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मुरादनगर में सस्पेंड करके हमने इन्क्वायरी करादी, यद्यपि उसके फलस्वरूप ही पता चला कि किसी का दोष नहीं था । सबको छोड़ दिया गया । चन्दौसी म जो दोषी पाये गये उनको सजा दी गयी ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा--

दोनों जगह एक ही प्रकार का इंसीडेंट होने पर भिन्न-भिन्न कार्यवाही क्यों की गयी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जहां पता चला की दोषी है वहां सजा दी गयी ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा--

क्या मंत्री जी जिन छोटे कर्मचारियों को सजा दी गयी है उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

समाप्त करने का सवाल नहीं है । २ आदमियों का ज्यादा कसूर था, उनको हटा दिया गया । एक साहब को सस्पेंड किया हुआ है, और आगे इन्क्वायरी करा रहे हैं ।

इलाहाबाद जिले में सिंचाई साधन

*९--श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले के करछना एवं चाका ब्लाक के कौन से भाग ऐसे हैं, जहां सरकार ने अब तक कोई सिंचाई का प्रबंध नहीं किया है ?

*१०--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त असिंचित क्षेत्रों के लिए उसने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

*११--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप कहां-कहां लग या लगेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

मुझे प्रश्न दिये डेढ़ महीना हो गया और यह सूचना कार्यालय से ही आने को है, इतना समय नहीं लगना चाहिए था ।

श्री शाँतिप्रपन्न शर्मा--

तमाम एरियाज और योजनाओं के बारे में पूछा है विस्तृत रूप से, इसलिए समय लग रहा है ।

राठ बस स्टेशन में गबन

*१२--श्री डूंगरसिंह (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार को पता है कि हमीरपुर जिले में सरकारी रोडवेज के राठ बस स्टेशन में कुछ गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जी हां । प्रारंभिक जांच पर करीब ३३२ रु० का गबन पाया गया । सही रकम जांच पूरी होने पर मालूम हो सकेगी ।

*१३--श्री डूंगरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह गबन कब से प्रारम्भ हुआ, और कब और कैसे पकड़ा गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जांच समाप्त होने से पहले यह बताना जनहित में न होगा ।

*१४--श्री डूंगरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसमें कौन-कौन कर्मचारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जांच समाप्त होने पर ही यह सूचना दी जा सकेगी ।

श्री डूंगरसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३३२ रुपये का गबन कितने दिन का है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

सन् ६४ के नवम्बर में चेकिंग होने पर ३३२.५७ रुपये की गड़बड़ी पायी गयी । जांच पूरी होने पर ही सही पता चल सकता है ।

श्री डंगरसिंह--

क्या यह सही है कि गबन के कागजात अधिकारियों द्वारा जलवा दिये गये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)--

कौन-कौन से पदों पर ये कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ गबन की शिकायत है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इसका जांच पर असर पड़ सकता है, इसलिए यह बताना जनहित में नहीं होगा ।

श्री उग्रसेन--

क्या यह बताना जनहित में होगा कि किस अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह मामला पुलिस में दे दिया गया है और ए० जी० से स्पेशल आडिट के लिए भी रिक्वेस्ट की गयी है ?

श्री डूंगरसिंह--

यह जांच कब से प्रारंभ हुई और कब खत्म हो जायगी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अक्टूबर में इसका पता चला और नवम्बर में जांच शुरू हुई ।

श्री चन्द्रबलीसिंह--

यह जांच सी० आई० डी० से या साधारण पुलिस से करायी गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

स्थानीय दरोगा को रिपोर्ट की गयी है ।

बूढ़ी गंगा तथा सुतिया नदी पर पुल की आवश्यकता

*१५--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परगना निधपुर के निवासियों को मार्ग प्रदान करने हेतु बूढ़ी गंगा नदी पर, (१) एक पुल ग्राम बढ़ौला से थाना दरियावगंज जाने वाले मार्ग पर, (२) पुल पटियाली के पास, (३) पुलिया सहावर से ग्राम मयासुर तथा शहवाजपुर को जाने वाले मार्ग पर सुतिया नामक नदी पर बनवाने के लिए आय-व्ययक १९६५-६६ में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था कराके निर्माण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो यह दोनों बढ़ी गंगा नदी के पुल तथा सुतिया की पुलिया कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं । सिंचाई विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

इस बात को देखते हुए कि बूढ़ी गंगा नाला सिंचाई विभाग का है और उसकी २० फुट के करीब चौड़ाई है जिसकी सिंचाई विभाग द्वारा सफाई होती है तथा सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इटावा ने पुल बनाने की सिफारिश भी की है, तो क्या इसको देखते हुए माननीय मंत्री जी पुनः इसकी जांच करायेंगे और इसका निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह तो आप भी जानते हैं कि सिंचाई विभाग का नाले से कोई मतलब नहीं है । यह जो बूढ़ी गंगा का नाला है, क्योंकि पलड का पानी रुके नहीं, बहकर निकल जाय, इसलिए इसकी

सफाई करा दिया करते हैं लेकिन सिंचाई विभाग का न कोई नाला है और न सिंचाई विभाग का काम पुल बनाने का है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

इस बात को देखते हुए कि इसी प्रकार से लोन नदी पर जिसमें कि उन्नाव जिले का नहर विभाग का खारजा पानी जाता था पुल बनाना आपने स्वीकार किया है और इस नाले में भी फर्रुखाबाद नहर शाखा की माइनर रजबहों का खारजा पानी जाता है, तो उसी आधार पर, इस पर भी पुल बनाने के ऊपर आप विचार करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

खारजा पानी जाता होगा तो थोड़ा जाता होगा । यह तो बूढ़ी गंगा का स्पिल है । थोड़ा बहुत पानी जाता ही होगा, तो उसके लिए पुल बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)--

यह देखते हुए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फर्रुखाबाद और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर इटावा ने सिफारिश की है कि यह पुल सिंचाई विभाग द्वारा बना दिया जाय, माननीय मंत्री जी इसे बनवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सिंचाई विभाग से पुल बनाने से कोई मतलब नहीं है । अगर किसी ने सिफारिश की है तो गलत की है । उस पर ऐक्शन जरूर हम ले लेंगे कि क्यों उसने ऐसी गलत बात कही ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

माननीय सुचेता जी का जो एश्योरेंश है इसके लिए उसको देखते हुए क्या माननीय मंत्री जी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि यह पुल बनाया जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

वह भी मैंने देख लिया है । एकाध दरख्वास्त दी गयी थी जिस पर उन्होंने कहा कि उचित कार्यवाही करेंगे । तो उचित कार्यवाही का मतलब यह भी तो है कि वह नहीं बन सकता ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, कई बार हमारे यहां भी पुल बनने को था तो बराबर शर्मा जी के विभाग और रावत जी के विभाग में झगड़ा होता था कि पी० डब्ल्यू० डी० बनावे या सिंचाई विभाग बनावें, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की गलतफहमी पैदा करने वाले अधीनस्थ अफसरान हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही माननीय मंत्री जी करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

वह आपस में समझौता कर लेंगे ।

पश्चिमी जिलों में बरसाती पानी की निकासी

*१६--श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)--

क्या सिंचाई मंत्री को यह मालूम है कि पश्चिम जिलों मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में १९५६ से प्रतिवर्ष पानी का रुकाव (वाटर लागिंग) हो रहा है जिसके कारण वहां का किसान बिल्कुल तबाह हो गया है ? उस वाटर लागिंग को रोकने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाया है और उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस समस्या को दूर करने के लिए १७ पश्चिमी जिलों में लगभग २,१५१ मील ६ फर्लांग लम्बे नाले तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्ण या प्रस्तावित है इनसे लगभग ५,२३,५७६ एकड़ क्षेत्र लाभान्वित हो सकेगा ।

*१७--श्री मूलचन्द शास्त्री--

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि गतवर्ष भी वाटर लागिंग बहुत हुआ जिसके कारण खरीफ की कोई फसल नाम मात्र के लिए भी नहीं हुई ? और गेहूं भी करीब ३० फीसदी नहीं बोया जा सका ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न में यह पूछा था कि उस वाटर लागिंग को रोकने के लिए अब तक सरकार ने क्या कदम उठाया है और उसका क्या परिणाम हुआ है । मैं फिर मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित करना अलग बात है, वहां पर कुछ काम अगर हो रहा है और उसकी सूचना उनके पास कुछ हो तो वह कृपा कर दें दे ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जब तक उसका सर्वेक्षण प्रस्तावित न करें और जब तक रुपये का इंतजाम न करें तब तक काम कैसे चलेगा ? प्रस्तावित कर दिया है, रुपये का इंतजाम कर रहे हैं । उसके बाद काम चलेगा ।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से फिर नम्र निवेदन करूंगा कि यह प्रस्तावित होना तो सन् ५६ से ही शुरू है और हर साल यह बाढ़ वहां पर लगातार आती रहती है । कोई प्रबंध उसके लिए नहीं है । मेरठ की मुझे जानकारी है कि एक या दो जगह काम शुरू हुआ है और वह भी इस ढंग से चल रहा है कि करीब दो महीने में वह कहीं भी पहुंच नहीं सकता है जबकि २० जून के करीब बारिश फिर शुरू हो जायगी, तो कोई निश्चित बात बतावें कि क्या हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने तो यह निश्चय ही बताया और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल भी फ्लड के बाद इमीजिएटली चीफ इंजीनियर को ५ लाख रुपया दिया गया था कि वहां जाकर तुरन्त काम जो हो सके वह कर दें । जो बड़े काम हैं वह अलग हैं । आप देखेंगे कि करीब-करीब ६ करोड़ से ज्यादा की स्कीम यह है । तो ६ करोड़ तो एकदम से आता नहीं । अभी हमारे पास २० लाख फ्लड स्कीम का और माइनर इर्रीगेशन का दोनों का मिलाकर ४० लाख रुपया है । इस रुपये से कुछ काम प्रारंभ किया है । इस बात के ऊपर विचार कर रहे हैं कि और ज्यादा रुपया अगर मिल सकें तो ज्यादा काम चलावें ।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह वाटर लागिंग की समस्या पश्चिमी जिलों में भी है और प्रत्येक जगह पर है, तो इसके लिए कोई मास्टर प्लान बनायेंगे जिससे यह वाटर लागिंग की समस्या हल की जा सके ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

यह बात सही है । उसको देख रहे हैं ।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)—

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी जिलों में बाढ़ आयी, मेरठ, अलीगढ़, बुलन्दशहर और मथुरा में, कई साल से वहां के किसान परेशान हैं। इधर थर्ड फाइव ईयर प्लान में और फोर्थ फाइव ईयर प्लान में जो ड्रेनेज के प्लान बने हैं, वह करोड़ों रुपये की लागत के हैं, उससे कुछ फौरी राहत नहीं पहुंच सकी है। इस संबंध में कुछ बाढ़ की मद में रुपया डिपार्टमेंट में है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या बाढ़ की मद में से कुछ रुपया खर्च करके फौरी कुछ इंतजाम इन जिलों में करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमने कहा था कि जब पैसा होगा तो सहायता करेंगे और सहायता कर भी दी जबकि पिछले साल वाटर लागिंग हुआ, हमने आदेश दिया कि उस को रोका जाय और उसके लिए चीफ इंजीनियर के पास रुपया रखा और उन्होंने छोटे-मोटे काम कराये भी।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

पश्चिमी जिलों की गर्की की समस्या के बारे में सदन में भी और मौके पर भी बार-बार मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया है। ४२ मील की जो योजना मथुरा जिले के लिए प्रस्तावित थी वह पास हो चुकी है और उसके लिए मास्टर प्लान भी बन चुकी है लेकिन उसपर कोई कार्य नहीं हुआ है, प्रश्न के उत्तर में भी यहां कहा गया था कि बरसात के बाद वहां काम शुरू होगा, अब बरसात बीते कितने दिन हो गये और दूसरी बरसात भी आने वाली है लेकिन वहां एक फावड़ा मिट्टी भी नहीं पड़ी।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मथुरा वाले इसमें कहां से आ गये, सवाल मथुरा का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

सारे पश्चिमी जिलों का सवाल है, प्रश्न वहां पर वाटर लागिंग का है। माननीय मूलचन्द जी, कन्हैया लाल जी और राधेश्याम जी का कहना है कि वहां सर्वेक्षण हो रहा है लेकिन वाटर लागिंग से वहां के किसानों को कोई राहत नहीं मिली है, क्या आप इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह सब काम तो रुपये के ऊपर निर्भर है, लेकिन मथुरा में गोवर्धन ड्रेन हम इसी साल पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष—

आप यथाशक्ति रुपये का प्रबंध करके इस परेशानी को दूर करेंगे..

श्री राधेश्याम शर्मा—

इसी सदन में पिछली बार बरसात से पहले ही उन्होंनें कहा था कि आने वाली बरसात के पहले ही काम शुरू हो जायगा। अब दूसरी बरसात आ रही है लेकिन वहां अभी तक एक फावड़ा मिट्टी भी नहीं पड़ी है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

बरसात के पहले ही मथुरा जिले की जो सबसे बड़ी समस्या गोवर्धन ड्रेन की है उसको हम पूरा करने का इंतजाम कर रहे हैं।

श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)--

जब से यह योजना आरम्भ हुई है कोई एक पैसा का भी काम मेरठ जिले में हुआ है या वहां कोई सर्वे हो रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

बड़ा भारी काम मेरठ जिले में हुआ है । आप कहेंगे तो सूची दे देंगे ।

श्री मूलचन्द शास्त्री--

अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरू से यह जानने का प्रयत्न किया कि कुछ काम हुआ है या नहीं लेकिन माननीय मन्त्री जी निश्चित रूप से बता नहीं रहे हैं । इस विषय में सेन्टर के सिंचाई मन्त्री जी अभी आये थे उन्होंने कहा कि आपके यहां कोई स्कीम ही नहीं है, हम रुपया कैसे दें । जब यहां तक बात है तो मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्या काम इस विषय में हो रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

सेन्टर के मन्त्री जी की जो बात आपने कही, उसकी सूचना तो मुझे है नहीं । हम काम कर रहे हैं । जो स्कीम्स प्रपोज हुई हैं, वे मैंने बतलाई । जिन पर काम चालू है और जिन पर खत्म हो चुका है, उनके बारे में अगर सूचना दी जायगी तो पूरी जानकारी दे दूंगा ।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, यह तो सच है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही हुई नहीं है । मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना का श्रीगणेश किस तारीख को किस योजना से किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने अर्ज किया कि अगर आप दूसरा सवाल पूछेंगे तो मैं बता दूंगा डिटेल में । इस वक्त उनके बारे में मेरे पास सूचना नहीं है । जो पुरानी स्कीम्स थीं, उनकी सूचना दे दी गयी है ।

इटावा रोडवेज क्षेत्र में अनियमिततायें

*१८--श्री दयाराम शाक्य--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रोडवेज के कानपुर रीजन के इटावा सब-रीजन में दिनांक १ अगस्त, १९६४ से ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कितने डब्ल्यू० टी०, फोरजरी, व बिलों में इन्ट्रीज को नाजायज तरीके से काट-छांट कर घटाने-बढ़ाने और अन्य भ्रष्टाचार के मामलों की कितनी रिपोर्ट चेकिंग स्टाफ द्वारा किन-किन तारीखों में की गयी और उन पर किन-किन तारीख में अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

इस प्रकार की कुल ३१ रिपोर्टें चेकिंग स्टाफ ने कीं । इन पर की गयी कार्यवाही आदि का विवरण सदस्य महोदय मेरे कमरे में देख सकते हैं ।

*१९--श्री दयाराम शाक्य--

परिवहन मन्त्री जी कृपया यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि रोडवेज कर्मचारियों के खिलाफ इसी इटावा सब-रीजन में दिनांक १ जून, १९६४ से ३१ जनवरी, १९६५ तक गैर-कानूनी ढंग से बसों में उच्च या निम्नश्रेणी में बिना पास या टिकट के यात्रा करने की कितनी रिपोर्टें किन-किन तारीखों में हुई और इन पर किन-किन तारीखों में ए० जी० एम० इटावा द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११५ पर)

*२०--श्री दयाराम शाक्य--

परिवहन मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या रोडवेज के कानपुर रीजन में कर्मचारियों को महीने भर में केवल २४ घंटे तक का ही ओवर टाइम भत्ता दिया जाता है जब कि बहुत से कर्मचारियों से महीने में ही नहीं बल्कि लगातार हर महीने २४ घंटे से कहीं ज्यादा ओवर टाइम ड्यूटी ली जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जितना ओवर टाइम कार्य लिया जाता है उस सबका पैसा दिया जाता है।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ३१ में से कितनी रिपोर्ट्स सही पायी गयीं और कितनी में कार्यवाही की गयी और कितनों को अलहदा किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

प्रश्न १८ के उत्तर में मैंने निवेदन किया कि डिटेल के लिए माननीय सदस्य मेरे कमरे में आने की तकलीफ गवारा करें। लेकिन उनकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि ३१ में से ४ मामलों में निर्णय ले लिया गया है, १९ में कार्यवाही चल रही है, ८ रिपोर्ट्स पर कार्यवाही होना बाकी है। इस सदन की सूचना के लिए मैं यह भी बता दूं कि इसमें देरी अवश्य हुई है। इस देरी के लिए जो लिपिक जिम्मेदार था उसको काम से हटा दिया गया है।

श्री दयाराम शाक्य--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि नित्य प्रति जो कर्मचारी ओवर टाइम काम करते हैं उनका २६ से ४६ घंटे तक का ओवर टाइम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

किसी खास आदमी के लिए पूछा गया होता तो मैं बता देता लेकिन यह आम सवाल पूछा है। ओवर टाइम के लिए नियम यह है कि जो ओवर टाइम करता है उसको ओवर टाइम की स्लिप दी जाती है कि उससे इतना ओवर टाइम काम लिया गया।

श्री दयाराम शाक्य--

रोडवेज विभाग में अधिकांशतः यह शिकायत है कि जितना ओवर टाइम होता है उतना सभी दर्ज नहीं किया जाता है। तो क्या माननीय मन्त्री जी इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि कितने ओवर टाइम के घंटे होते हैं उनके लिए सम्बन्धित कर्मचारियों से हस्ताक्षर करा लिये जायें ?

श्री हरिदत्त कांडपाल--

उनके दस्तखत ही नहीं, उनको स्लिप भी दी जाती है।

श्री उग्रसेन--

ओवर टाइम के सम्बन्ध में माननीय सदन में एक बार एक प्रश्न किया गया था और बड़े मन्त्री जी ने उत्तर में बताया था कि स्लिप देने की आवश्यकता नहीं है। पर अब मन्त्री जी कहते हैं कि उन्हें हस्ताक्षर ही नहीं स्लिप भी दी जाती है तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन दोनों उत्तरों में से कौन-सा उत्तर सही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

यह तो मुझे याद नहीं है कि ऐसा कोई सवाल पूछा गया था लेकिन यह तो नियम है और स्लिप दी जाती है।

श्री दयाराम शाक्य--

माननीय मन्त्री जी को जानकारी कराने पर कि अमुक-अमुक कर्मचारियों का ओवर टाइम २४ घंटे से ज्यादा दर्ज है उनको उतने घंटे का ओवर टाइम दिलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अवश्य।

रोडवेज विभाग में कथित इलेक्ट्रिशियन

*२१--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न यू० पी० गवर्नमेंट रोडवेज रीजनल वर्कशापों के दैनिक मजदूरी विभाग में कुल कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा वाले हैं ?

(ख) उनके दैनिक वेतन, कार्य के घंटे, महंगाई-भत्ता एवं निर्धारित छुट्टी और विश्राम, अवकाश की सुविधाएं क्या हैं ?

(ग) इनमें अधिक से अधिक कितने समय से काम करने वाले लोग हैं ?

(घ) क्या स्थान रिक्त होने पर इन प्रशिक्षित दैनिक वेतन वाले कर्मचारियो को स्थायी सेवा में नियुक्त किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

क--कोई नहीं।

ख--प्रश्न नहीं उठता।

श्री रघुनाथसिंह--

जिस प्रकार से आपको रीजनल वर्कशाप में श्री कामता प्रसाद जो डिप्लोमा होल्डर भी है दैनिक मजदूरी विभाग में काम कर रहा है क्या आपके और वर्कशाप में भी कोई ऐसा कर्मचारी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जो सूचना प्राप्त हुई है उससे तो जाहिर होता है कि इस प्रकार का कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं है। अब आपने कामता प्रसाद का नाम लिया है कि कोई इस नाम का इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है तो इसकी जांच करवा लेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह--

इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मन्त्री और माननीय सभा सचिव को महीनों पहले सूचना दी थी क्या अब तक आपने कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जो अब जानकारी प्राप्त करने की बात कही जा रही है ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री काशीनाथ मिश्र--

रोडवेज विभाग से सम्बन्धित आज सदन में जितने सवाल आपके सामने पेश हैं जैसे ओवर टाइम का और कर्मचारियों की नियुक्ति का ये केवल इस कारण से उठते हैं कि रोडवेज विभाग की मैनुअल अभी तक तैयार नहीं हुई है। जब कि सब विभागों की मैनुअल तैयार हो गयी हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग की मैनुअल भी कब तक तैयार हो जायगी जिससे सारी गड़बड़ियां समाप्त हो सकें?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)--

मुझे इस वक्त तफसील तो याद नहीं कि किस सवाल के जवाब में बताया गया लेकिन बताया गया है कि फलां फलां की मैनुअल बन गयी है और बाकी किस किस स्टेज पर हैं।

मोटर दुर्घटनायें

*२२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--

क्या सरकार प्रदेश में मोटर दुर्घटनायें बढ़ती हुई देखकर कोई योजना बना रही है जिससे अधिक दुर्घटना न हों? यदि हां, तो वह योजना क्या है और कब तक चालू हो जायगी?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

कोई योजना नहीं बन रही है क्योंकि मोटर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कानून में व्यवस्था मौजूद है। नियमों के सख्ती से पालन के लिए बराबर आदेश दिये जाते हैं और इन्फोर्समेंट स्टाफ के जरिए मुमकिन चेकिंग की जाती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--

उत्तर में कहा गया है कि कोई दुर्घटना रोकने के लिए योजना नहीं बनी है और दूसरी ओर माननीय मन्त्री कहते हैं कि दुर्घटनायें रोजबरोज प्रदेश में हो रही हैं तो इनको रोकने के लिए सरकार कोई उपाय सोचेगी?

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बतला दिया कि जो हमारा कानून है, वही उपाय है, उससे अधिक और कोई योजना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

जो नियम बने हुए हैं और उनका पालन भी हो रहा है तो फिर दुर्घटनायें इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अब दुर्घटनायें बढ़ रही हैं यह तो कैसे कहा जाय मोटर का प्रयोग बढ़ रहा है तो उस हिसाब से दुर्घटनायें बढ़ती होंगी। फिर संसार में कोई देश ऐसा नहीं है जहां मोटरें चलती हों और दुर्घटनायें न होती हों।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या सरकार मेरे इन सुझावों पर विचार करेगी कि वर्कशाप से निकलने से पहले बस का अच्छी तरह से निरीक्षण किया जाय, ड्राइवर को चेक कर लिया जाय कि वह शराबी तो नहीं है और सड़कें अच्छी बनी हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उन पर तो पहले ही पालन किया जाता है। रोडवेज की बसेज को देख लिया जाता है चलने से पहले कि उनकी मेकेनिज्म ठीक है, ड्राइवर ठीक काम

कर रहा है। प्राइवेट पार्टीज की गाड़ियों का जहां तक सम्बन्ध है उनकी भी पीरियाडिकल चेकिंग होती है।

श्री दयाराम शाक्य--

मन्त्री महोदय ने बतलाया कि बसेज में विशेष प्रबन्ध किया जाता है लेकिन दुर्घटनायें अधिकतर ट्रक्स से होती हैं तो क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उनके लिए भी अधिकतम चाल के लिए कोई सीमा निर्धारित कर दें और उस चाल को चेक करने के लिए जिस प्रकार बसेज में गवर्नर लगे होते हैं उसी प्रकार ट्रक्स में भी गवर्नर लगवा दें ?

श्री मुजफ्फर हसन--

यह सवाल बजट के मौके पर कई दफा आ चुका है। गवर्नर्स की दिक्कत है। उनके लिए फारेन एक्सचेंज की जरूरत होती है क्योंकि वे यहां बनते नहीं। जहां तक सरकारी बसेज का ताल्लुक है उनमें गवर्नर्स लगे लगाय आते हैं लेकिन ट्रक्स में गवर्नर्स लगे हुए नहीं आते। लेकिन अगर उनमें गवर्नर्स बांध भी दिये जायं तो प्राइवेट कैरियर्स में हर रोज यह देखना कि गवर्नर ने किस तरह से काम किया है मुमकिन नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

जैसा बैरिस्टर साहब ने कहा कि शराब पीने से दुर्घटनायें होती हैं तो उस सम्बन्ध में कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं कि हमारे देश के ड्राइवर सबसे कम शराब पीते हैं और सबसे बड़ी शिकायत दुर्घटनाओं की इस वजह से है कि वर्कशाप से निकली टूटी-फूटी गाड़ियां हमारे ड्राइवर चलाते हैं और अधिकतर गाड़ियां उत्तर प्रदेश रोडवेज की जो हैं उनमें ६० फीसदी टूटी-फूटी हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी अपने वर्कशाप को अच्छी हालत में रख कर पैसेंजर गाड़ियों की हालत सुधारने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

अध्यक्ष महोदय, यदि देखा जाय और हिसाब लगाया जाय तो मालूम होगा कि रोडवेज की गाड़ियों से दुर्घटनायें बहुत कम होती हैं और रोडवेज का वर्कशाप बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है।

कछवन ताल से बिसुही नदी तक जल निकासी योजना

*२३--श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के तहसील उतरौला, परगना सादुल्ला नगर के अन्तर्गत कछवन ताल से बिसुही नदी तक पानी निकालने हेतु मार्च, १९६४ में उन्हें कोई दरख्वास्त दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। प्रारम्भिक सर्वेक्षण हो चुका है और मुख्य अभियन्ता को विस्तृत सर्वेक्षण करने के आदेश दिये जा रहे हैं।

[२० अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले में नलकूप विभाग से एप्रूव्ड ठेकेदार

*१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग, वाराणसी ट्यूबवेल सेक्शन में कितने नए ठेकेदार जुलाई, सन् १९६४ से जनवरी, १९६५ तक एप्रूव्ड किये गये हैं ? उनके नाम तथा पते क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

उक्त समय में १६ नए ठेकेदार अप्रूव्ड किए गए उनके नाम तथा पते संलग्न सूची में दिए हुए हैं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ११६ पर)

*२--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में सिंचाई विभाग ट्यूबवेल सेक्शन जो कार्य ठेकेदारों से करा रहा है उसका पेमेंट ६ माह से अधिक हो जाने पर भी नहीं हो पा रहा है जबकि कम्पलीशन के एक माह बाद पेमेंट हो जाना चाहिए ? ऐसे कितने मामले १९६४ के हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ऐसा कोई मामला नलकूप प्रखण्ड वाराणसी में नहीं है।

*३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ओबरा डैम में खरटिया कालोनी के बिल्डिंग निर्माण से सम्बन्धित ठेकेदारों का १० परसेन्ट एक वर्ष से ऊपर रोके रक्खे हो गया है जबकि इसका निराकरण ६ माह के अन्दर हो जाना चाहिए था और जमानत का भी रुपया रोक रक्खा गया है और क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी हां। कुछ ठेकेदारों की जमानत का रुपया जिसमें जिलों से कटा १० प्रतिशत भी शामिल है काम समाप्त होने के एक वर्ष बाद भी वापस नहीं किया जा सका क्योंकि टेक्निकल स्टाफ की कमी थी और अब जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए हिदायत कर दी गई है।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, ६ महीने की जगह एक साल का समय लग गया तो अब और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, असल में बात यह है और नियम यह है कि ६ महीने से पहले नहीं देना चाहिए और ४२ ठेकेदारों का रुपया जमा था जिनमें से ३८ ने तो रुपया वापस करने के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी। लेकिन मैंने आदेश कर दिया है कि विभाग के लोग देखें कि जिन्होंने रुपया नहीं मांगा है उनको भी रुपया जल्द लौटाने की व्यवस्था की जाय।

मथुरा ड्रेनेज विभाग में घोटाला की जांच

*४--सर्वश्री लक्खीसिंह (जिला मथुरा), बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) तथा जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार का ध्यान अलीगढ़ से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक पत्र "प्रावदा" के दिनांक ६ जनवरी, १९६५ के अंक में प्रकाशित "मथुरा ड्रेनेज विभाग में ५० लाख का घोटाला" शीर्षक की ओर गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

आरोपों की विभाग द्वारा जांच कराई गई है। रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है।

*५--सर्वश्री लक्खीसिंह, बिपिनबिहारी तिवारी तथा जगन्नाथ राव--

क्या सरकार उक्त शीर्षक के अन्तर्गत इन्जीनियर पर लगाए गये आरोपों की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

अगर विभागीय जांच जो शासन के विचाराधीन है, संतोषजनक नहीं पायी जाती तो सरकार उचित समय पर यह निर्णय करेगी कि इस मामले की जांच फिर से विभागीय या किसी दूसरी एजेन्सी द्वारा करायी जाय।

श्री लखीसिंह--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शपर्मा--

हमारे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ने जांच की।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रवदा ने लिखा है कि मथुरा ड्रेनेज विभाग में ५० लाख रुपए का घोटाला है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब इतना घोटाला हुआ है तो काम कितने लाख रुपए का हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, यह काम ११.८ लाख रुपए का हुआ है जिसमें ५० लाख रुपए का घोटाला हो गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने का घोटाला है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

श्रीमन्, मैंने अर्ज किया कि हमने जो जांच कराई, उसकी एक प्रारम्भिक रिपोर्ट आ गई है। उसको देखने के बाद पता चल सकेगा कि क्या हालत है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो रिपोर्ट विचाराधीन है उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैंने बताया कि जो रिपोर्ट आई है उसको हम देख रहे हैं सब से पहले उन्होंने कहा कि यह इसलिए गलत है कि ५० लाख का घोटाला है और काम केवल ११ लाख का हुआ है। उनका यह आर्गूमेंट है कि गबन का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री राधेश्याम शर्मा--

माननीय मन्त्री जी अपनी सूचना को दुबारा सही कर लें, ११ लाख का काम नहीं हुआ, मेरी जानकारी में ३४ लाख रुपए का काम हुआ है, उसकी अलग-अलग फिगर्स मेरे पास हैं। माननीय मन्त्री जी इसे ठीक कर लें। ३४ लाख रुपए में ५० लाख रुपए के घोटाले वाली बात में अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन कुछ वास्तविकता अवश्य होगी। यदि ऐसा नहीं है तो मन्त्री जी या तो उक्त अखबार पर मुकदमा चलायें या सही-सही स्थिति की जांच करके सदन के सामने रखें।

श्री अध्यक्ष--

वह तो जांच कर ही रहे हैं, अब इसकी क्या जरूरत है ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो जांच शासन के विचाराधीन है, उसकी रिपोर्ट यदि असन्तोषजनक नहीं पाई जाती है तो सरकार उचित समय पर उसकी आगे जांच करायेगी, यह आश्वासन दिया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने इस आश्वासन में यह क्यों नहीं लिखा कि आगे इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जाएगी ? क्या आप इसके लिए आश्वासन देते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह बात मैंने इसलिए कही थी कि हमने अपने यहां टेक्निकल सेल बना दिया है जिसमें अन्य विभागों के इंजीनियर हैं, वह सेल जाकर मामले की जांच करता है। चूंकि इस में इस प्रकार की शिकायत की गयी थी कि सीमेंट वगैरह ठीक नहीं लगी। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल सेल से दुबारा जांच करायेंगे जब देखेंगे कि जांच ठीक से नहीं हुई है।

श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह घोटाला गोवर्द्धन ड्रेन और कोसी ड्रेन में हुआ है या और कहीं भी ? क्या जांच कराई है आपने ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

मैंने क्या जांच कराई। आपने प्रश्न पूछा कि वहां अखबार में इस तरह की खबर निकली है। मैंने उसके पहले खबर देखी भी नहीं थी। आपके प्रश्न पूछने पर मैंने अखबार मंगवाया और उसे देखकर इंजीनियर से कहा कि इसकी जांच करो, जो हो रहा है और उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें जो थोड़ी शिकायत है कि सीमेंट ठीक नहीं है, उसकी जांच यहां की जांच संतोषजनक न पाने पर टेक्निकल सेल के द्वारा कराई जायेगी। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, मैं इसके ऊपर पूरी जांच कराऊंगा।

जालौन जिले में मलंगा नाले पर पुल की आवश्यकता

*६--श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)--

क्या सरकार की जानकारी में है कि जिला जालौन की सदर तहसील में ऊद नाले में पुल न होने के कारण उसके आस-पास की आम जनता को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जिला जालौन की सदर तहसील में ऊद नाला नहीं बल्कि मलंगा नाम का एक प्राकृतिक नाला है जिस पर ऊद गांव के पास एक पुल की आवश्यकता है।

*७--श्री शिवसम्पति शर्मा--

क्या यह भी सरकार की सूचना में है कि दो साल पहले जिला जालौन, इरिगेशन विभाग ने इस पुल के निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा था ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं।

*८—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रस्ताव पर अभी तक अमल न होने का कारण क्या है और आम जनता की कठिनाई को देखते हुए क्या शीघ्र इस पुल का निर्माण सरकार करा देगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार की यह जानकारी में है कि यह नाला दो गांवों के बीच में बहता है, इरिगेशन विभाग का जो पानी निकलता है वह इसमें बहता रहता है, इसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और स्त्रियां आदि नहीं निकल पाती हैं ? क्या सरकार इसकी आवश्यकता को देखते हुए पुल बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी आवश्यकता महसूस करते हुये भी यह पुल बनाना सिंचाई विभाग का काम नहीं है, यह पी०डब्ल०डी० या नियोजन विभाग का काम है ।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार गांव की आवश्यकता को देखते हुए पी०डब्लू डी० से सिफारिश करेगी कि पुल बना दिया जाये जो कि एक बहुत छोटा सा पुल है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके बदले आप सीधे सीधे संबंधित मंत्री जी से कह दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

जिस विभाग का प्रश्न होता है उसी के बारे में आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन माननीय सदस्य का कहना है कि चूंकि सरकार के नोटिस में यह बात आ गयी तो वह स्वयं इसे पी० डबल्यू० डी० को भेज दें ।

नौगढ़ तहसील में बिलार नदी का कटाव

*९—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़ में ग्राम छितरापार में बिलार नदी उपजाऊ जमीन और आबादी रिंग करवेचर बनाकर काट रही है ? इससे कुल कितनी जमीन, मकान कटा ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । ७.६० एकड़ भूमि कटी परन्तु कोई मकान नहीं कटा ।

*१०—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि कुछ ही थोड़ी खुदाई से गांव और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन बचाई जा सकती है ?

नोट—तारांकित प्रश्न ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री गिरधारीलाल--

केवल साधारण मिट्टी के कार्य से कोई लाभ न होगा क्योंकि यह गांव नदी के पास के बहाव पट्टी में स्थित है ।

*११--श्री जगदीशप्रसाद पांडेय--

क्या उपरोक्त जमीन और आबादी बचाने के लिये सरकार नदी सीधा करने के लिये खुदाई करवायेगी, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

नदी सीधा करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

रोडवेज क्षेत्र, गोरखपुर में क्लर्कों की सेवा समाप्ति

*१२--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर रीजन में १९६३-६४ में जो जनरल क्लर्कों को रेगुलर तथा अल्पकालिक स्थानों में नियुक्ति हुई थी, सेवायें क्यों समाप्त कर दी गयीं और उन्हें कब तक पुनः नियुक्त कर लिया जायेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--

रेगुलर स्थानों पर नियुक्त किसी जनरल क्लर्क की सेवायें समाप्त नही की गईं । तीन उम्मीदवारों को अल्पकालिक स्थानों में कभी-कभी कार्य करने का अवसर दिया गया था किन्तु उनके रेगुलर वेकेंसी में आने के पूर्व चुनाव सूची की मियाद खत्म हो गई । अतः उस सूची के आधार पर उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ बस स्टेशन पर असुविधायें

*१३--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

क्या यह सही है कि ३१ जनवरी से ६ फरवरी, १९६५ तक यात्रियों के पीने के पानी का कोई प्रबन्ध अलीगढ़ बस स्टेशन पर नहीं था ?

*१४--क्या यह यही है कि वाटर चार्जेज का भुगतान समय पर न होने से नल कट गये थे ?

*१५--क्या यह सही है कि श्री कुदसिया ने पट्टी और गुशलखानों को ताला लगा कर बन्द कर दिये हैं और यात्रियों को भारी कष्ट है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं ।

एटा जिले में बिजली

*१६--श्री बेदराम (जिला एटा)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोरों विकास क्षेत्र, जिला एटा के किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण इस वर्ष किया जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल--

ग्रामों के विद्युतीकरण की सूचना विकास क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध नहीं है । १९६४-६५ में एटा जिला के २६ स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है जिनकी सूचना संलग्न सूची 'अ' पर है और १९६५-६६ में ९ स्थानों के विद्युतीकरण होने का प्रस्ताव है जिनकी सूचना संलग्न

सूची 'ब' पर है । अन्य और स्थानों के विद्युतीकरण किये जाने के लिये सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११७ पर)

कोटद्वार के निकट बस दुर्घटना

*१७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, १९६४ के अंतिम सप्ताह में कोटद्वार से २४ मील दूर कोई राजकीय बस खड्ड में गिर गई ? यदि हां, तो कितने आदमी मरे तथा कितने घायल हुये हैं और चालक कंडक्टर तथा आहत यात्रियों के परिवार वालों को कितनी क्षति पूर्ति दी गई अथवा दिये जाने का इरादा है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी हां । दस व्यक्ति मरे और दस व्यक्ति घायल हुये । कम्पेनसेशन स्कीम के अन्तर्गत जिलाधीश, गढ़वाल की रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्षतिपूर्ति संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी ।

राजनीतिक पीड़ितों को पेंशन

*१८—श्री ब्रह्मदत्त मायर तथा श्री रघुवीर (जिल गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले दो साल में स्वतंत्रता-संग्राम में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्तियों की पेंशन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई कि वह केवल एक बार जेल गये हैं ?

*१९—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १ फरवरी, १९६५ को प्रांत में कितने स्वतंत्रता-संग्राम के सेनानी २५ रु० प्रति मास से कम पेंशन ले रहे थे और कितनों को ऐसे कौन-कौन व्यक्ति हैं जिनको ७५ रु० प्रतिमास से ऊपर पेंशन दी जा रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मऊ—गरोठा बस सर्विस

*२०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में मऊ-गरोठा कच्चा रोड पर लारी चलाने हेतु किन-किन व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं ? और उक्त रोड पर कितनी लारी अभी चल रही हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

राजनीतिक पेंशन

*२१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता-संग्राम में कितनी सजा पाने पर राजनैतिक पीड़ित माना गया है और कितनी सजा पाने पर पेंशन देने का सरकार ने निर्णय किया है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

राजनैतिक पीड़ित उन व्यक्तियों को माना जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम ६ माह कारावास का दंड भोगा हो या ६ माह नजरबन्द रहे हों ।

पेंशन संबंधी नियम सरकार के विचाराधीन हैं । फिलहाल सरकार ने कुछ काम चलाऊ सिद्धांत बना रखे हैं जिनके अनुसार आमतौर से उन व्यक्तियों को पेंशन का पात्र समझा जाता है जो स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में दो बार कम से कम छः माह की कारावास की सजा भोगे हों या एक बार ४ वर्ष या उससे अधिक की सजा झेले हों, जिनकी आयु ५० वर्ष से कम न हो तथा जिनकी माली हालत अच्छी न हो ।

वाराणसी जिले में सिंचाई

*२२--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में वाराणसी के चोलापुर चिरई गांव विकास खंडों में सिंचाई के लिये कहां-कहां सर्वेक्षण के अनुसार नलकूप लगने को थे और उनमें कहां-कहां नहीं लग सके ?

श्री गिरधारीलाल--

१९६४-६५ में ऐसी कोई योजना नहीं थी ।

फर्रुखाबाद जिले में नलकूपों की नालियां

*२३--श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज तथा बढ़पुर विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत किन-किन राजकीय नलकूपों की नालियां एक अरसे से खराब हालत में हैं जिनमें कुछ ऐसे भी ग्रामों में नलकूप हैं जो ग्राम अधिक अन्न उत्पादन योजना के अन्तर्गत लिये गये हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां । सीमेंट की कमी के कारण पक्की गूलों के खराब भाग की मरम्मत अभी तक नहीं हो सकी है ।

कानपुर महापालिका में सिंचाई दर

*२४--श्रीमती बृजरानी (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महापालिका की सीमा में खेतों की सिंचाई दर सन् १९४८ ई० से अब तक कितनी दफा, किस आधार पर कितने प्रतिशत बढ़ाई है ?

श्री गिरधारीलाल--

केवल एक बार (१ अप्रैल, १९५०) से सिंचाई दर में ५० प्रतिशत की वृद्धि अनाजों तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में असाधारण वृद्धि तथा सिंचाई कार्यों के रखरखाव आदि की लागत में भारी वृद्धि के कारण की गई ।

*२५--श्रीमती बृजरानी--

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगरमहापालिका में बढ़ी हुई सिंचाई दर को कम करने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

वर्तमान सिंचाई दरों में कमी करने का कोई विचार नहीं है क्योंकि पिछली बार जब दरों में वृद्धि की गई थी उस समय से अनाजों तथा अन्य वस्तुओं की कीमत में निरन्तर वृद्धि हो हुई है ।

लखनऊ में मंकी ब्रिज बस दुर्घटना में लड़की की मृत्यु

*२६--कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या सरकार को विदित है कि अभी लखनऊ के मंकी ब्रिज पर ट्रक नं० यू०पी० डी० ४३४२ ने लगभग सात-आठ वर्ष की बालिका की निर्मम हत्या कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया और उस पर किस धारा के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां । दुर्घटना में एक लड़की की मृत्यु हो गयी । ड्राइवर उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा ३०४ (अ) के अधीन अदालत में मुकदमा चल रहा है ।

पकड़ी तथा सलोना ताल पम्प नहरों की क्षमता

*२७--श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पकड़ी और सलोना ताल पंप नहरों की क्षमता बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है ?

*२८--क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि इन ताल पंप नहरों की क्षमता बढ़ाने के लिये नलकूप लगाकर उस पानी को भी इन नहरों से देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं ।

परिवहन विभाग कर्मचारी

*२९--श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कितने कर्मचारी हैं और उन्हें किस क्रम से वेतन और महंगाई भत्ता मिलता है ? कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी तथा स्थायी बनने के क्या नियम हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*३०--श्री संतसिंह यूसुफ--

क्या परिवहन विभाग रोडवेज कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं ।

क्योंकि विभाग में अच्छे काम पर इनाम दिये जाते हैं ।

*३१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[हटा दिया गया।]

इलाहाबाद क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारी

*३२--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतावेगी कि इलाहाबाद रीजन में १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में कितने आदमियों को अच्छा कार्य करने में तरक्की दी गयी और कितने कर्मचारियों को किस-किस अपराध में दंडित किय गया ?

*३३--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद रीजन में ड्राइवरों, क्लीनरों तथा कंडक्टरों की संख्या क्या है तथा उसमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाराणसी जिले में गंगा से बाढ़

*३४--श्री रघुनाथसिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में गंगा की दो धाराओं के बीच ११-१२ वर्गमील के उपजाऊ भूमि में आबाद रामचन्दीपुर, रामपुर, गोबरहा, मोकलपुर गांवों के, जो प्रायः प्रतिवर्ष बाढ़ की परेशानी में पड़ जाते हैं, बचाव के लिए उन्हें बाढ़ निरोधक योजना के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों और क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद ही बाढ़ निरोधक उपायों के विषय में कुछ कहा जा सकेगा।

*३५--श्री चन्द्रपाल--

[ग्यारहवें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ११२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में हरिजन कर्मचारी

*३६--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर रोडवेज रीजन में अब तक वर्कशाप में क्लर्क व पानी वाले, कन्डक्टर, ड्राइवर, बुकिंग क्लर्क इत्यादि स्थानों पर अलग-अलग विभाग के कितने लोगों को सेवा हेतु रक्खा गया और उपरोक्त व्यक्तियों में से रिजर्वेशन के अनुसार हरिजन अनुसूचित जाति को कितनी संख्या में रखा गया और उपरोक्त व्यक्तियों में कितने लोगों को स्थाई स्थान पर रक्खा गया तथा कितने लोग अस्थायी हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन--

गोरखपुर रीजन वर्कशाप में मार्च, १९५७ से अब तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनका विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११८-११९ पर)

चन्दौसी क्षेत्र में नलकूप गूलों की दुर्व्यवस्था

*३७--श्री हेतरामसिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, चन्दौसी (मुरादाबाद तथा बदायूं) में जिन नलकूपों पर सन् १९३७ से सन् १९४५ तक नलकूपों की पुख्ता गूलें बनायी गयीं थीं वह पानी चल कर बिलकुल खराब हालत में हो गयी हैं और उसके अन्दर घास उगी हुई है, जिसकी वजह से पानी नीचे को निकलता रहता है और कृषकों को सिंचाई में बहुत असुविधा होती है जिस से बहुत ज्यादा रेट आबपाशी में पड़ता है ? क्या सरकार उन गूलों को दुबारा तुड़वा कर फिर से बनवानें की व्यवस्था करेगी जिससे कि काश्तकारों को सिंचाई में सुविधा हो जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, परन्तु कुछ गूलें संतोषजनक दशा में नहीं हैं और उन की तथा ऐसी सभी गूलों की मरम्मत के प्रश्न पर विचार हो रहा है।

* ८-३९--श्री उमाशंकर--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४०--श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह--

[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में गांवों को बिजली तथा गाढ़ाताल व खरिया नाला पर रेगुलेटर

*४१--श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) तथा श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला के द्वारा निर्वाचन-क्षेत्र के किन-किन गांवों में ग्रामीण विद्युत् योजना के अन्तर्गत बिजली लगाने की कार्यवाही हो रही है ? क्या उसमें सोनबरसा गांव सभा का भगवानपुर गांव भी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल--

ग्रामीण विद्युतीकरण जनपद के आधार पर किया जाता है न कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर।

बलिया जिले के जिन ग्रामों में १९६४-६५ में विद्युतीकरण हो चुका है अथवा जिले के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण १९६५-६६ में करने का प्रस्ताव है इन की संलग्न तालिका "अ" व "ब" में दी गयी है।

प्रश्न में उल्लिखित ग्राम के सर्वेक्षण का आदेश दे दिया गया है। यदि निर्धारित माप-दण्ड के अनुसार सम्भव पाया गया तो विद्युतीकरण का आदेश दे दिया जायगा।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १२०-१२१ पर)

*४२--श्री मैनेजरसिंह तथा श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत गाढ़ाताल, खड़िया नाला पर रेगुलेटर न बनने के कारण प्रत्येक वर्ष काफी भूमि की क्षति होती है ? यदि हां, तो रेगुलेटर बनाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

गाढ़ाताल नाले और खड़िया नाले पर पहले से ही रेगुलेटर बने हुए हैं। अतः और रेगुलेटर बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में बस दुर्घटना

*४३--श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)--

क्या परिवहन मन्त्री यह बतायेंगे कि २६ जनवरी, सन् १९६४ को कमला नेहरू रोड और नवाब यूसुफ रोड, इलाहाबाद की क्रासिंग पर किसी ट्रक से दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो पुलिस ने क्या छान-बीन की और ट्रक के ड्राइवर को क्या दण्ड दिया गया?

श्री मुजफ्फर हसन--

जी हां।

पुलिस ने धारा २७९/३३८ भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत ड्राइवर का चालान किया परन्तु तफतीश के बाद इसमें फाइनल रिपोर्ट लग गयी है।

जल विद्युत् वितरण प्रखंड, झांसी के अस्थायी कर्मचारी

*४४--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि ३१ अक्तूबर, १९६३ तक बिजली उत्पादन का कार्य झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि०, झांसी द्वारा संचालित होता था और बिजली कारखाने के मालिकों एवं मजदूरों के सम्बन्ध में स्टैंडिंग आर्डर ऐक्ट, १९४६ के अन्तर्गत बनाये हुये स्टैंडिंग आर्डर्स के आधार पर चलते थे और स्टैंडिंग आर्डर की धाराओं के अनुसार कोई भी मजदूर ६ मास से अधिक अस्थायी नौकरी पर नहीं रखा जा सकता था? क्या यह भी सत्य है कि प्रत्येक मजदूर का वेतन सुरक्षित रहता था एवं मंहगाई का भत्ता राज्यादेश दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८, नं० ३७५४/एल०एल०--तेरह--८९४--एल०- १९४८ के अनुसार प्रत्येक मजदूर को मिलता था?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, ३१ अक्तूबर, १९६३ तक बिजली सप्लाई करने का काम झांसी एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा होता था और उल्लिखित स्टैंडिंग आर्डर कर्मचारियों को लागू होता था। अस्थायी कर्मचारी जिनको किसी आवश्यक अस्थायी रूप से काम पर नियुक्त किया जाता है स्टैंडिंग आर्डर के पैरा २ (डी०) के अनुसार ६ मास से अधिक भी अस्थायी तौर पर रखा जा सकता था। कम्पनी के नियमित कर्मचारियों का वेतन व मंहगाई भत्ता राज्यादेश, दिनांक ६ दिसम्बर, १९४८, नं० ३७५४/एल०एल०--१३--८९४-एल०-१९४८ के अन्तर्गत दिया जाता था।

*४५--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि उक्त बिजली संस्थान को राज्य विद्युत् परिषद् के अधीन हस्तान्तरित करने पर जब उसका परिवर्तित नाम जल विद्युत् वितरण प्रखण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद्, झांसी हो गया, ५४ स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से दिनांक १ नवम्बर, १९६३ को पृथक् कर दिया गया एवं उन में से अधिकांश मजदूरों को ३ नवम्बर, १९६३ के पश्चात् अस्थायी नौकरियों पर ले लिया गया? क्या यह भी सत्य है कि स्टैंडिंग आर्डर्स की अवहेलना करते हुए इन मजदूरों की नौकरियों को, जबकि उन्हें एक वर्ष से ऊपर कार्य करते हुए व्यतीत हो चुका है, स्थायी नहीं किया गया है एवं उन्हें किसी भी प्रकार का मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता है?

श्री गिरधारीलाल--

जिन ५४ कर्मचारियों को अलग किया गया था उन में से २९ कर्मचारियों को बाद में वर्कचार्ज पर और ६ को नियमित अस्थायी नौकरी पर डिवीजन में कार्य बढ़ जाने के कारण लिया गया। चूंकि इन २९ कर्मचारियों को वर्क चार्ज में रखा गया है इस लिए उन्हें स्थायी करने

RA 5005
132746

अथवा महंगाई भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता है। ६ कर्मचारी जिनको कि नियमित अस्थायी नौकरी पर लिया गया है वे परिषद् के अन्य अस्थायी कर्मचारियों के समान हैं।

*४६--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह भी सत्य है कि जल विद्युत वितरण प्रखण्ड उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्, झांसी के अधिकारी अस्थायी कर्मचारियों को मासिक वेतन देने में परेशान करते हैं एवं अस्थायी मजदूरों पर दबाव डाला जाता है कि वह अधिकारियों को लिख कर दें कि वह (मजदूर) कम वेतन पर कार्य करने के लिए तैयार हैं? यदि मजदूर ऐसा नहीं करता है तब उसे अधिकारी ८-१० दिनों तक वेतन नहीं देते हैं एवं अनैतिक रूप से परेशान करते हैं, ऐसा क्यों एवं किस लिये हो रहा है?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

*४७--श्री सुखरामदास तथा श्री धूमप्रसाद--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किया गया।]

भेड़ी गांव के निकट राप्ती बांध पर ठोकर की आवश्यकता

*४८--श्री कृष्णा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राप्ती नदी के किनारे भेड़ी गांव के पास सरकारी बांध को बचाने के लिए सरकार ठोकर का कोई प्रबन्ध कर रही है?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं।

*४९--श्री कृष्णा--

क्या यह सही है कि यदि इस वर्ष ठोकर नहीं बनी तो समूचा गांव ध्वस्त हो जायगा?

श्री गिरधारीलाल--

इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*५०-५१--सर्वश्री विजयपालसिंह आदि--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

नलकूप विभाग, आजमगढ़ में ओवरसियर

*५२--श्री रामसुन्दर पाण्डेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग, आजमगढ़ में कौन-कौन ओवरसियर ऐसे हैं जिन्हें सन् १९५८ से इफिशियेंसी बार में गणना न करने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है? गणना न करने के कारण कौन-कौन हैं?

श्री गिरधारीलाल--

नलकूप विभाग, आजमगढ़ में कोई भी ऐसा ओवरसियर नहीं है जिसका सन् १९५८ ई० से इफिशियेंसी बार ड्यू हो और गणना न करने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा हो।

*५३-५४--श्री उग्रसेन--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिए स्थगित किये गये।]

*५५--श्री सुकदेवप्रसाद--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा इंजीनियरों का चुनाव

*५६--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इन्जीनियरों को चुनने के लिए जनवरी, १९६५ में बुलाये गये साक्षात्कार में कितने उम्मीदवार आये और कितने चुने गये ? जो इन्जीनियर चुने गये उन में से कितने प्रथम श्रेणी में बी० एस-सी० इन्जीनियरिंग की परीक्षा में उत्तीर्ण थे तथा कितने द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण थे ?

श्री गिरधारीलाल--

आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १२२ पर)

*५७--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन्जीनियरों के चुनाव में ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जो कि पृथक श्रेणी में इन्जीनियरिंग में उत्तीर्ण होने पर भी सेलेक्शन बोर्ड द्वारा नहीं लिये गये और उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल--

असिस्टेंट इन्जीनियर (इलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल) के पदों के लिए ३ ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने इन्जीनियरिंग परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी, नहीं चुने जा सके। जो उम्मीदवार नहीं चुने जा सके उनको सेलेक्शन कमेटी ने उपयुक्त नहीं समझा था।

बुलन्दशहर जिले में पानी निकासी योजनायें

*५८--श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर की अनेकों छोटी-छोटी बरसाती पानी निकालने वाली योजनायें हैं जिससे कृषि योग्य भूमि निकल आयेगी, पानी नहीं भरेगा, पानी निकालने वाली योजनाओं पर कब से काम शुरू हो जायगा ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला बुलन्दशहर में प्रस्तावित योजनाओं पर कार्य उनकी उचित स्वीकृति तथा धन के मिलने के बाद आरम्भ किया जा सकेगा ?

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन विकास योजनायें

*५९--श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)--

क्या सरकार पर्वतीय जिलों के आर्थिक विकास व उन्नति के दृष्टिकोण से पर्यटन उद्योग को चालू करने के लिए कुछ विचार कर रही है और कोई योजना बना रही है ?

श्री मुजफ्फर हसन--

पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए कुछ योजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं, कुछ कार्यान्वित की जा रही हैं तथा कुछ योजनायें चौथे पंचवर्षीय ड्राफ्ट प्लान में रख दी गयी हैं।

असिस्टेंट इंजीनियरों की परीक्षा

*६०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा १९६३ के नवम्बर मास में इन्जीनियरिंग विभाग के लिए असिस्टेंट इन्जीनियरों की भरती के लिए कोई परीक्षा हुई थी ?

श्री गिरधारीलाल—

आयोग ने सन् १९६३ ई० के माह नवम्बर, और दिसम्बर, में इन्जीनियरिंग विभाग के लिए असिस्टेंट इन्जीनियरों की भरती के लिए परीक्षा ली थी।

*६१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लोक सेवा आयोग के सेक्रेटरी, श्री क्यु० एम० अहमद, के हस्ताक्षर से मई, १९६४ में उक्त परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किया गया ? यदि हां, तो कितने परीक्षार्थियों को सफल घोषित किया गया तथा प्राप्तांक के आधार के अनुसार वह सूची क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

श्री जे० डी० शाह के हस्ताक्षर से उक्त परीक्षाफल सन् १९६४ ई० के मई मास में घोषित किया गया था। इस सूची की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२३–१२६ पर)

*६२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी कि सफल परीक्षार्थियों की सूची में से कितने विद्यार्थियों को इन्जीनियरिंग विभाग में नियुक्त किया गया और शेष को कब तक नियुक्त किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—

आयोग ने ९४ परीक्षार्थियों की सूची भेजी थी। २७ परीक्षार्थियों के औपचारिक आदेश जारी किये जा चुके हैं। ५६ के विषय में मुख्य अभियन्ता को यह बता दिया गया है कि आयोग के द्वारा ये परीक्षार्थी अनुमोदित कर दिये गये हैं। इनमें से तीन ने त्याग पत्र दे दिया है। शेष परीक्षार्थियों के बारे में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १२३–१२६ पर)

कटौली ग्राम के बन्धे से सिंचाई

*६३—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कटौली (दुद्धी, मिर्जापुर) के बन्धे से कितनी एकड़ भूमि गत पांच वर्षों में प्रतिवर्ष सिंचित हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १२७ पर)

*६४—श्री रक्षपालसिंह—

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

*६५-६७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता

*६८--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३० सितम्बर, १९६४ के सरकारी आदेश के मुताबिक स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अन्तर्गत काम करने वाले अस्थायी और वर्क-चार्ज कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता अदा की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री गिरधारीलाल--

३० सितम्बर, १९६४ के आदेश के अनुसार वर्क चार्ज कर्मचारियों को छोड़कर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सभी स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता दी गई । वर्क चार्ज कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

*६९--श्री सन्त सिंह यूसुफ--

उपरोक्त सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिये कौन जिम्मेदार है और सरकार इस संबंध में क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

भीमसेन-कानपुर रेलवे लाइन पर नहरी पुल का निर्माण

१--श्री मतोलासिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर में बांदा-कानपुर रेलवे लाइन पर भीमसेन कानपुर के बीच नहर में पुल कब से बन रहा है और कब बनकर तैयार होगा तथा देरी का क्या कारण है जब हर डाक व पसेंजर गाड़ियों को यहां पर रुकना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल--

पुल रेलवे विभाग द्वारा बनाया जा रहा है । अतः यह नहीं बताया जा सकता कि कब तक बन कर तैयार होगा ।

नरवल तहसील में नहरें बढ़ाने की प्रार्थना

२--श्री मतोलासिंह--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर, तहसील नरवल में एक माइनर कानपुर से सरसौल व करविंगक तक जाकर खत्म हो गई है और करविंगक से मिले जिला फतेहपुर के तहसील व परगना बिन्दकी के ग्राम मिराई परसदेपुर तथा खरौली ग्राम असिंचित रहते हैं तथा क्या सरकार रजबहा को बढ़ाकर इन तीनों ग्रामों तक कोई माइनर ले जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

प्रथम भाग--जी हां ।

दूसरा भाग--पानी के अभाव के कारण किसी नई उप शाखा का निर्माण या पुरानी उप शाखा के बढ़ाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ।

सहायक अभियन्ता सिंचाई विभाग, फतेहगढ़ के विरुद्ध शिकायत

३—श्री महरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अभियन्ता, प्रथम सिंचाई विभाग, फतेहगढ़ के चार्ज का सैकड़ों बोरी सीमेंट खराब हो रहा है, जबकि जिले में नलकूपों की तमाम नालियां सीमेंट न मिलने के कारण खराब हालत में पड़ी हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, कोई सीमेन्ट खराब नहीं हो रहा है ।

४—श्री महरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि दिसम्बर, सन् १९६४ से जनवरी, सन् १९६५ तक ताजपुर तथा वधार ड्रेनेज की मरम्मत तथा बनाने के संबंध में सिंचाई विभाग, फतेहगढ़ के अधिकारियों ने करीब १७,००० रुपये का फर्जी पेमेन्ट कर लिया है ? यदि हां, तो किन-किन तिथियों में कितना-कितना रुपया इस बीच में पेमेन्ट किया गया ? सरकार क्या किसी उच्च अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारी लाल—

जी नहीं, इस अवधि में कोई पेमेन्ट नहीं हुआ ।

५—श्री महरामसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सहायक अभियन्ता, प्रथम सिंचाई विभाग, फतेहगढ़ के विरुद्ध ६ मास के अन्दर सरकार तथा उच्च अधिकारियों को जनता द्वारा शिकायती-पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

प्राप्त सूचना के आधार पर दो गुमनाम शिकायती पत्र मिले । मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को वह शिकायती पत्र इस आदेश के साथ भेज दिये गये हैं कि वह उन पर की गई कार्यवाही से सरकार को अवगत करायें । इनके अतिरिक्त माननीय सदस्य का भी एक शिकायती पत्र अभी हाल ही में आया है, उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

खजुहा तथा अमौली विकास क्षेत्र में सिंचाई

६—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के विकास सेवा क्षेत्र, खजुहा तथा अमौली के असिंचित ग्रामों के निमित्त विभाग द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करने के लिये प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना की (१५ फरवरी, १९६५) अवधि तक क्या-क्या और किस प्रकार के साधन जुटायें गये ?

श्री गिरधारीलाल—

कुछ भी नहीं ।

७—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त दोनों विकास सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत वह कौन-कौन से ग्राम हैं जहां अब तक सिंचाई की किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है और क्यों, तथा क्या किसी प्रकार की सुविधा इस वर्ष प्रदान करने की शासन के समक्ष विचाराधीन है और क्या ?

श्री गिरधारीलाल--

सूची संलग्न है। फतेहपुर ब्रांच तथा घाटमपुर राजवहां में पानी कम होने के कारण इन ग्रामों को सिंचाई सुविधा इस वर्ष उपलब्ध नहीं की जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ १२८ पर)

८--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगें कि क्या वर्ष १९६५-६६ की अवधि में उक्त विकास सेवा क्षेत्रों के अन्तर्गत किन्हीं रजवहों के बढ़ाने अथवा उनसे नई शाखायें सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिये निकालने जा रहें हैं ? यदि हां, तो किन-किन को या किन-किन से ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं।

९-११--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

कोसी-बरसाना सड़क पर बठेन नाले का पुल

१२--श्री लखीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला कोसी-बरसाना सड़क मील ५-६ के बीच ग्राम जाव पर नाला बठेन का पुल नहीं है ? यदि हां, तो इस नाले के पानी निकासी का पुल न होने के कारण रुकावट होकर रोड के आस-पास के गांवों की फसल नष्ट कर देता है ?

श्री गिरधारीलाल--

जिला मथुरा में कोसी बरसाना सड़क के नीचे जाव ग्राम के पास बठेन नाला और पुल से पहले ही बने हुये हैं। १९६१ में वर्षा का पानी नाले के ऊपर के गावों से आकर नीचे के गांवों में इकट्ठा हो गया था। इस नाले को गोवर्धन ड्रेन में डालने की योजना है। यह नाला आगामी बरसात के पूर्व साफ कर दिया जायगा।

१३--श्री लखीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जून, सन् ६५ तक बठेन नाले के बनाने का आश्वासन है तो क्या इस पुल को बनाने का कार्य किस महीने में शुरू होगा और इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल--

चूंकि बठेन नाला तथा पुल दोनों पहले बने हुये हैं अतः उनको बनाने का प्रश्न नहीं उठता है।

१४--श्री लखीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत कोहवन व हताना व खरौट व फालेन व नबीपुर व कोंसी देहात के प्रधान के पत्र जिलाधीश तथा सिंचाई विभाग अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज १ मथुरा के पास आये हैं कि कोसी ड्रेन को शुरू से चौड़ा कर खोदा जाय ? यदि हां, तो इसको चौड़ा करने में कितना समय लगेगा और कितना धन व्यय होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

केवल एक प्रार्थना पत्र प्रधान ग्राम खरोट का प्राप्त हुआ था। कोसी आर्टिरियल ड्रेन को उस के मील १८ फ० २ के ऊपर चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

१५–१७—श्री लखीसिंह—

[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

१८–२०—श्री रामकिशोर वर्मा—

[हटा दिये गये।]

देवरिया जिले में नलकूपों से सिंचाई

२१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कुल कितने नलकूप कहां-कहां १९६४ में चालू थे और प्रत्येक नलकूप से १९६४ में कितने–कितने एकड़ विभिन्न किस्म की फसलों की सिंचाई हुई है?

श्री गिरधारीलाल—

यह सूचना यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आकर देख सकते हैं।

२२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला में कुछ इलाके ऐसे हैं जो पीली बालू वाले हैं तथा वहां पर कच्चे कुओं से दिन भर में सिर्फ २ से ३ बिस्वा तक सिंचाई होती है? यदि हां, तो ऐसे इलाके देवरिया के किस–किस विकास क्षेत्र में हैं?

श्री गिरधारीलाल—

देवरिया जिले के रुद्रपुर विकास क्षेत्र में कुछ ग्रामों की भूमि पीली बालू की है।

२३—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पीली बालू वाले देवरिया के इलाके में कम से कम ६० ट्यूबवेल की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—

इस समय रुद्रपुर में विकास क्षेत्र में कोई नलकूप लगाने का विचार नहीं है।

कवाल टाउन्स में सड़क दुर्घटनायें

२४—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार इस बात से सदन को अवगत करायेगी कि सन् १९६४ में उत्तर प्रदेश के कवाल शहरों में कितने आदमियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हुई और कितने घायल हुये?

२५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केवल ट्रक दुर्घटना से कितने आदमियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुये?

२६—क्या सरकार ने ऐसा कोई ठोस कदम उठाया है कि जिससे दुर्घटनाओं में कमी हो और विशेष रूप से ट्रकें एक निश्चित गति सीमा से तेज न चल सकें?

श्री मुजफ्फर हसन—

सूचना अभी एकत्रित की जा रही है।

गाजीपुर जिले में नलकूप

२७—श्री राजनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत मनिहारी, सादात तथा जखनियां विकास खंडों के अन्तर्गत सन १९६२–६३, १९६३–६४ व १९६४–६५ में किन-किन स्थानों पर नलकूप प्रस्तावित थे ? उनमें किन स्थानों पर लगाये जा चुके हैं ? यदि नहीं, लगे तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

इसका विवरण संलग्न सूची संख्या १ में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १२९ पर)

२८—श्री राजनाथसिंह—

सन् १९६५–६६ में मनिहारी जखनियां तथा सादात विकास खंडों में कहां-कहां नलकूप प्रस्तावित है और उनके कब तक बोर हो जाने की आशा है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—इसका विवरण संलग्न सूची संख्या २ में दिया हुआ है ।

दूसरा भाग—मार्च १९६६ के अन्त तक ।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ १२९ पर)

२९—श्री राजनाथसिंह—

लालगंज तथा ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी, जिला गाजीपुर द्वारा मार्च, १९६४ तक पानी मिलना था किन्तु पानी न देने की सरकार द्वारा घोषणा हो चुकी है तो क्या ऐसी परिस्थिति में उन असिंचित क्षेत्रों में जहां की उपजाऊ भूमि का एक बड़ा भू–भाग नहर खुदाई में लग गया है शीघ्रातिशीघ्र नलकूप की व्यवस्था की जायगी ? यदि हां, तो कहां–कहां और कब तक नलकूप की व्यवस्था हो जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

ऐसी कोई घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई है कि लालगंज एवं ठेकमा डिस्ट्रीब्यूटरी, जिला गाजीपुर द्वारा पानी नहीं दिया जायगा । अतः इस क्षेत्र में इस समय नलकूप लगाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर डिपो में कण्डक्टरों की सेवा समाप्ति तथा शाहजहांपुर में रोडवेज कर्मचारियों को दण्ड

३०—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि सीतापुर रोडवेज में धीरे-धीरे परिचालक, जो कि २ वर्ष से अधिक सेवा करते आ रहें हैं, उनको अलग किया जा रहा है जब कि उनके विरुद्ध कोई शिकायतें भी नहीं है और इनक्रीमेंट भी मिल चुका है और ओवरएज होने के कारण अन्य दूसरी जगह नौकरी भी करने में असमर्थ हैं ? ऐसी दिशा में क्या मंत्री जी उनको टेस्ट से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सीतापुर डिपो के ४ कन्डक्टरों को जो अल्पकालीन रिक्त स्थानों पर काम कर रहें थे, परीक्षा पास व्यक्तियों को जगह देने के लिये, हटा दिया गया था । अल्पकालीन स्थानों पर काम करने वाले कन्डक्टरों की लिस्ट में इनका नाम है ।

३१--श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महराम सिंह--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रीजन में तथा सीतापुर डिपो में कितने ऐसे परिचालक है जो कि बिला टेस्ट दिये हुये सेवा करते चले आ रहें हैं और कितनों को अलग कर दिया गया है और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

लखनऊ क्षेत्र में बिना परीक्षा पास ३०९ कन्डक्टर हैं जिस में से ६६ सीतापुर डिपो में हैं। इनमें से २३ कन्डक्टरों को अलग कर दिया गया क्योंकि उन को सेवा में रखना ठीक नहीं पाया गया।

३२--श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह--

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर रोडवेज में सर्वश्री जुगल किशोर, लालता प्रसाद और विजय बहादुर सिंह परिचालकों को जो हजारों रुपये का ओवर पेमेन्ट किया गया और अब उनके वेतन में से कट रहा है इसका उत्तरदायित्व किस पर है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

ओवर पेमेंट की जिम्मेदारी सर्वश्री लालता प्रसाद, विजय बहादुर सिंह व जुगल किशोर परिचालकों पर है जिन्होंन अपने को नान-मैट्रिक होते हुए भी मैट्रिक पास बतलाया जिसके कारण उन्हें मैट्रिकुलेट कंडक्टर का वेतन दिया गया। इसके अतिरिक्त श्री देवी चरन मिश्र संबंधित लिपिक भी जिम्मेदार पाये गये। ओवर पेमेंट की वसूली के अलावा श्री लालता प्रसाद की एक वर्ष व श्री विजय बहादुर की २ वर्ष की वार्षिक वृद्धि रोक दी गई। श्री जुगल किशोर के विरुद्ध अभी अनुशासनात्मक कार्यवाही हो रही है व श्री देवी चरन मिश्र को कठोर चेतावनी दे दी गई है तथा चरित्र पंचिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई है।

गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र के क्लर्कों की अपील तथा कुछ गाड़ियों के संबंध में जानकारी

३३--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के बुकिंग क्लर्कों एवं जूनियर क्लर्कों की जो सूची दिनांक ११ सितम्बर, १९६४ को प्रकाशित हुई थी, उसके विरुद्ध अब तक कितने कर्मचारियों ने अपीलें कर रखी हैं? यदि हां, तो उनकी अपीलों का निर्णय अब तक क्यों नहीं दिया गया ?

श्री मुजफ्फरहसन--

२४ कर्मचारियों ने ११ सितम्बर, १९६४ को प्रकाशित सीनियरटी लिस्ट के विरुद्ध रिप्रेजेंट किया है। इन पर निर्णय न हो सकने के कारण यह है कि जी० एम०, गोरखपुर ने परिवहन आयुक्त से कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है जो कि वहां विचाराधीन हैं।

३४--श्री उग्रसेन--

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र में आफिस ग्रेड सेकेंड की कोई सूची दिनांक २० सितम्बर, १९६३ तथा १३ फरवरी, १९६४ को भी प्रकाशित हुई ? यदि हां, तो उपरोक्त दोनों सूचियों की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन--

†सूचियों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

---

†छापी नहीं गई।

३५—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ फरवरी, १९६४ को जो आफिस ग्रेड सेकेंड की सूची प्रकाशित हुई है उसमें उन लोगों का नाम किस आधार पर जोड़ा गया है जिनका नाम दिनांक २० सितम्बर, १९६३ की सूची में नहीं था ? यदि हां, तो वे कौन-कौन से लोग हैं और अब वे किन-किन पदों पर कब से कार्य कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इसकी जांच हो रही है।

३६—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज, गोरखपुर के देवरिया डिपो की बस नं० २७४०, दिनांक १३ फरवरी, १९६५ को कठकुंइया भेजी गई थी जो कठकुंइया से गोरखपुर सामान पहुंचाई और पुनः देवरिया वापस गई ? यदि हां, तो उपरोक्त बस रिजर्व होकर गई थी या नहीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

१३ फरवरी, १९६५ को बस नं० २७४० असाधारण भीड़ के कारण कठकुंइया भेजी गई थी जो वहां से गोरखपुर के लिए स्पेशल बुक की गई थी और बाद में यह बस देवरिया वापस हो गई थी।

३७—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र की स्टाफ कार ने (जिसका नं० १४९० है), दिनांक १३ फरवरी, १९६५ से १५ फरवरी, १९६५ तक कुल कितना माइलेज किया है और किस अधिकारी की सेवा में लगी थी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

४३५ मील का माइलेज किया। कार जनरल मैनेजर व ट्राफिक सुपरिटेंडेंट, आजमगढ़ के पास सरकारी ड्यूटी में रही।

३८—श्री उग्रसेन—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि उक्त स्टाफ कार दिनांक १५ फरवरी, १९६५ को जिलाधीश, आजमगढ़ को इलाहाबाद से आजमगढ़ तक ले आई है, जिन्हें ले आने के लिए टी० एस०, आजमगढ़ दिनांक १३ फरवरी, १९६५ को ही उपरोक्त स्टाफ कार से इलाहाबाद गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

यह सही नहीं है कि जिलाधीश, आजमगढ़ को इलाहाबाद से लाने के लिए यह गाड़ी टी० एस० द्वारा इलाहाबाद से लाई गई थी। सरकारी काम से जी० एम० व टी० एस० इस कार से १३ फरवरी, १९६५ को इलाहाबाद गये थे और जब टी० एस० १५ फरवरी, १९६५ को चेकिंग करते हुए आजमगढ़ आये तो उसी गाड़ी में जिलाधीश, आजमगढ़ भी इलाहाबाद से चले आये।

प्रश्नों के संबंध में आपत्ति

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न था नत्थी (ग) के नं० ४३ पर, जिसका उत्तर इस तरह से दिया गया है कि.....

श्री अध्यक्ष—

यह आप लिखकर भेज दीजिए तो मैं देख लूंगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

प्रश्नों के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है। नत्थी (ख) में माननीय सत्यनारायण पांडेय जी के नं० ९, १० और ११ के जो सवाल हैं वे आपके कार्यालय से प्रथम बार २ मार्च, १९६५ को सरकार के पास भेजे गये जिनके उत्तर ३० मार्च, १९६५ को मिलने थे, लेकिन उस दिन सरकार ने उनके स्थगन की सूचना दे दी। दोबारा फिर आपके कार्यालय से वे सरकार के पास भेजे गये और श्रीमन्, यह केवल दो ब्लाक्स के असिंचित क्षेत्रों की तालिका के एकत्र करने की बात है। अगर इस तालिका को भी सरकार दो महीने में नहीं एकत्र कर सकी तो इसका साफ माने यह है कि सरकार उन सवालों के उत्तर देना ही नहीं चाहती है। श्रीमन्, आप इस सदन में पहले भी इस प्रकार का आदेश दे चुके हैं कि दो बार से अधिक सवालों का स्थगन नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से तिबारा उनके स्थगन की सूचना दी गयी है। तो मेरा निवेदन यह है कि आपके कार्यालय को इस पर ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए जिससे आपके आदेशों का पालन सरकार करे। उनको मजबूर करने के लिए आप ही सक्षम हैं, हम तो हार गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

जिस समय यह प्रश्न आये थे, माननीय सदस्य, जिन्होंने ये प्रश्न किये थे वह सदन में उपस्थित थे। उनके प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बतलाया उससे वे संतुष्ट हो गये, वे कुछ बोले नहीं।

(राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मुझे भी प्रश्नों के बारे में कुछ कहना है। मेरे प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैंने राजस्व मंत्री को बुला लिया है।

जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री राम कुमार शास्त्री)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली में राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११२९/१(क)–४२(४)–६४, दिनांक २०-मार्च, १९६५ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, जौनसार बावर जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ४३ की उपधारा (६) के अनुसार सदन के मेज पर रखता हूं।

विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट, १९६४ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन **

†श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सामने लोक लेखा समिति, विनियोग लेखे १९६२–६३ तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९६४ पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

**छापा नहीं गया।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलवानसिंह]

श्रीमन्, इस संबंध में दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले साल यहां पर जब कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने यह रिपोर्ट पेश की थी तो इस पर चर्चा करने के संबंध में उन्होंने कहा था और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस पर चर्चा हो सकती है। श्रीमन्, पब्लिक एकाउंट कमेटी की रिपोर्ट पर अगर इस सदन के सामने दो घंटे तक चर्चा हो जाय तो यह एक अच्छी बात ही होगी। यह मैं नहीं चाहता कि क्रिटिसिज्म की तरह से कोई चीज यहां आये लेकिन कम से कम इस पर चर्चा हो जाय, क्योंकि दो तीन बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि पब्लिक एकाउंट कमेटी के सामने कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके सेक्रेटरी बगैर किसी तैयारी के आते हैं और अगर उनसे किसी बात के ऊपर कोई सवाल किया जाता है तो वे उसका जवाब नहीं दे पाते। इस सिलसिले में मैंने माननीया मुख्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी साहब का ध्यान दिलाया है और उनसे बातचीत हुई है। इस संबंध में एक वाकया मैं आपको बतलाऊं कि सन् १९५६ में दो हैंडबुक बनाने की बातचीत थी जिससे कि सीनियर और जूनियर स्कूलों को गाईडेंस हो। उसके लिए ६ महीने का समय और १६,००० रुपया दिया गया था। उसमें प्रति पेज पर ५ आदमी लगे और करीब ९७,००० रुपया खर्च हुआ। अब सरकार उसके पब्लिकेशन की बात सोच रही है और उसमें करीब १४ लाख रुपये का खर्च आयेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। १९६२–६३ की लेखा परीक्षा की १९६४ की रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। आडिट रिपोर्ट में जो खास-खास बातें है उन पर लोक लेखा समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है और इस पर अपना नुक्तेनजर दिया है। उस के बारे में मुख्य मंत्री महोदया को यहां चर्चा करानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैं समझता हूं।

श्री बलवानसिंह—

मैं जो बोल रहा हूं वह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रेकमेंडेशन के आधार पर ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने शायद पूरी पढ़ी नहीं है।

श्री बलवानसिंह—

उस सिलसिले में डाइरेक्टर साहब को बुलाया गया, सेक्रेटरी साहब को बुलाया गया। सात साल के बाद भी उन्होंने उस हैंडबुक को देखा नहीं था...

श्री अध्यक्ष—

नियम २१७ के अन्तर्गत आप संक्षेप में ही इस संबंध में जिक्र कर सकते हैं।

श्री बलवानसिंह—

दूसरी बात उस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब १४ लाख रुपये के खर्च का सवाल आयेगा उस किताब को छपाने के सिलसिले में, उस के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि लोक लेखा समिति की रेकमेंन्डेशन्स शायद सरकार को पसन्द नहीं है। दूसरी बात मैं यह सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में जितना रुपया दिया जाता है उसकी कोई आडिट रिपोर्ट इस सदन के सामने नहीं आती। जब पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का ध्यान इस तरफ दिलाया गया तो यह जवाब उस विभाग से आया कि चूंकि यह

आटोनामस बाडीज है इसलिए आपको परव्यू का अधिकार नहीं है। तो उनकी आडिट रिपोर्ट कम से कम हाउस के सामने आनी चाहिए और अगर इसके लिए जरूरत पड़े तो कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट में अमेंडमेंट करना चाहिए।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। अभी सभापति लोक लेखा समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें उन्होंने कुछ खास बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराया है। पहली बात यह कि जो विभाग के सेक्रेटरी हैं वे तैयार हो कर नहीं आते और इस तरह कमेटी के काम में विलम्ब होता है और कमेटी सही तरीके पर अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाती। दूसरी गंभीर बात यह है कि बहुत बार कमेटी में ऐसी परिस्थिति पदा हो जाती है कि जब वे कमटी में किए गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कमेटी का कंटेम्प्ट करते हैं और इस के लिए कमेटी को सीरियस नोटिस लेना चाहिए। तीसरी बात यह कि और बहुत सी कमियों की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है। मैं समझता हूं कि जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया गया है उन पर चर्चा के लिए आप कम से कम दो घंटे का समय निर्धारित करें क्योंकि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्टस में कई बार इस बात की शिकायत की जा चुकी है और आश्वासन समिति के अध्यक्ष ने भी इस बात की शिकायत की है कि ध्यान दिला देने पर भी अधिकारी तैयार हो कर नहीं आते और उनका व्यवहार भी कमेटी में अक्सर ऐसा रहा है कि जिस पर कमेटी ने क्षोभ प्रकट किया है। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आप इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित करें ताकि इस गंभीर मसले पर विचार विमर्श किया जा सके और उस रोशनी में जो अधिकारी इस तरह के हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। और आगे से इस प्रकार का व्यवहार करने से उनको रोका जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष ने कहा है उसके समर्थन में मैं आदरणीय सदन और सरकार से मांग करता हूं कि हमारी कमेटी की रिपोर्ट बहुचर्चित है। मुझे भी इसमें रहने का अवसर मिला है और मैंने देखा कि जो अफसर आते थे गवाही देने उनको यह ही पता नहीं था कि आज उन्हें गवाही देनी है। ५५ लाख रुपया पशुपालन विभाग के अफसर खा गये।

श्री अध्यक्ष---

जो बातें बलवानसिंह जी कह चुके हैं उनको दोहराने से कोई लाभ नहीं है।

श्री उग्रसेन---

लेकिन मैं चाहता हूं कि सदन में यह रिपोर्ट आये और उस पर सदन विचार करे।

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि जिस समय किसी भी समिति की रिपोर्ट इस सदन के समक्ष प्रस्तुत होती है, उसी समय माननीय सदस्य कुछ चर्चा इस संबंध में कर देते हैं और आग्रह करते हैं कि उसके उपर बहस हो जाय। किंतु रिपोर्ट के प्रकाशित होने के उपरांत फिर न उस समिति के सदस्य और न उसके सभापति कभी इतना कष्ट करते हैं कि मुझसे आग्रह करें कि इस संबंध में दो तीन घंटे की बहस हो।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

इसी को आग्रह माना जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

इसको आग्रह नहीं मानेंगे, अभी रिपोर्ट छपी भी नहीं है और माननीय सदस्यों को बंटी भी नहीं है। जब तक छपकर यहां वितरित न हो जाय तब तक वह प्रश्न नहीं आ सकता है। तो पहली चीज यह है कि वह रिपोर्ट छप जाय और सबके पास पहुंच जाय, तब आप निवेदन करें सचेत होकर। हमें चाहिए कि विभिन्न रिपोर्टों के संबंध में एक प्रस्ताव आये या मेरे पास सूचना आये तो फिर हम उस विषय को अपने कार्यक्रम में स्थान देंगे। यह मैं विश्वास दिलाता हूं। इस समय माननीय बलवानसिंह ने जो कुछ कहा उसको सुन लिया गया और रिपोर्ट वितरित होने पर आपका फर्ज होगा कि आप याद दिलाएं।

श्री चन्द्रजीय यादव--

मैं आपके एक आश्वासन की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैं अब भी दे रहा हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव--

जो आपने पहले आश्वासन दिया है, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सन् १९६३ में जब डाक्टर जेड० ए० अहमद, सभापति थे, तो उनकी इसी प्रकार की शिकायतें थीं, जो आज सभापति लोक लेखा समिति ने की हैं। उस वक्त माननीया मुख्य मंत्री ने उनको सुनने के बाद सदन में यह कहा था कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनको मैंने बड़े गौर से सुना है और जो बातें उन्होंने कहीं हैं, मैं सही समझती हूं। और कहा था कि जो कुछ पी० ए० सी० की रिपोर्ट में आयेगा उस पर अमल किया जायगा। इस कमेटी का मतलब यह है कि जो काम सरकार का ठीक नहीं हो रहा है उसके बारे में वह बताये कि किस प्रकार उसको ठीक किया जाय, सुधार किया जाय और वह अलग से बुलाकर बात करेंगे कि किस तरह की कार्यवाही की जायगी। उसके बाद आपने कहा था कि कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए वरना मैजारिटी पार्टी है वह रिजेक्ट हो जायगा, प्रभावहीन हो जायगा। लेकिन आखिर में माननीया मुख्य मंत्री ने डाक्टर साहब को आमंत्रित किया है, तो बैठकर निश्चित हो जाय कि २-३ घंटे जैसा कि तय हो इस रिपोर्ट को सदन में चर्चा के लिए रखते हैं। मुझे आशा है कि इस बात का आप ध्यान रखेंगे। केवल रिपोर्ट को डिस्कस करने का मतलब नहीं है, बल्कि लोक लेखा समिति में हमारे अधिकारियों का जो व्यवहार है और जिस तरह से वह पूरी तैयार करके नहीं आते हैं, उस सारे के सारे प्रोसीजर को प्रभावकारी बनाया जाय, इस पर भी हमको विचार करना है।

समिति की रिपोर्ट हम लोगों को मिल जाती है, जिसका हम अन्य मौकों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो इस सदन की समितियां बनी हुई हैं, उनको कैसे प्रभावकारी बनाया जाय और उनके मार्ग में कौन लोग बाधक होते हैं, उसको डिस्कस करने का प्रश्न है। यह एक गम्भीर प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करने के लिए कि हमारी कमेटी को क्या दिक्कतें हैं कौन अधिकारी बाधा पहुंचाते हैं, कैसे वह प्रभावकारी नहीं होती हैं, इन सब के लिए दो तीन घंटे की बहस होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

उसके ऊपर भी विचार करेंगे। अगर माननीय सभापति, लोक लेखा समिति मेरे पास आयेंगे तो मैं देखूंगा।

श्री बलवानसिंह--

रिपोर्ट तो एक महीने में छपकर आयेगी और तब तक शायद यह सदन नहीं बैठेगा

श्री अध्यक्ष--

सदन बहुत दिन रहेगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास दो विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाएं आई हैं, उनको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। एक माननीय काशीनाथ द्वारा और दूसरी उग्रसेन द्वारा दी गई है। उन पर मैंने आदेश लिख दिया है, आप उसको देख लें।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

एक ही सरकार के दो मंत्री विधान परिषद् और विधान सभा में अलग अलग बात कहते हैं..

श्री अध्यक्ष---

अगर कभी प्रश्नों के उत्तर में, विभिन्न उत्तर आ जायं, एक ही मंत्री के द्वारा तब मंत्रीजी से पूछा जा सकता है कि कौन सा सहीं है? यहां आप स्वयं कह रहे हैं कि माननीय राजस्व मंत्री तथा स्वायत्त शासन मंत्री ने अलग अलग विभिन्न बयान दिए। इस बारे में आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

एक ही प्रश्न के बारे में दो जवाब हैं। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी ह।

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता। मैंने आदेश लिख दिया है, आप देख लीजिएगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा प्रश्न अलग है। मेरा यह कहना है कि माननीय कन्हैया लाल मिश्र ने विधान परिषद् में यह कहा था कि माननीया मुख्य मंत्री ने हमसे कहा कि हमारी बहस करो और अपनी बहस न करो। इस तरह सदन की इज्जत जहां रखनी चाहिए थी, वहां नहीं रख पाये। अगर माननीया मुख्य मंत्री ऐडवोकेट जनरल की बात मान कर उन्हीं की बहस करातीं, तो शायद सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मामला अच्छा होता। तो इस तरह से सदन गुमराह हुआ है, इसलिए मैं मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

माननीय उग्रसेन जी, एक बात मैं बता दूं। आपने जो सूचना दी है, उसमें यह नहीं लिखा है क माननीया मुख्य मंत्री ने सदन में जो व्यवस्था हुई थी और सदन ने जो विचार प्रकट किये थे, उसके विरुद्ध कोई बात महाधिवक्ता से कही थी। उन्होंने जो कुछ कहा था, और जो मैं समझता हूं समाचार पत्रों द्वारा, वह यह था कि ऐडवोकेट जनरल, पंडित कन्हैयालाल का मत यह था--"डाक्टर मैं हूं और मरीज यह सदन है, मैं डाक्टर की हैसियत से मरीज की दवा कर सकता हूं। मरीज अपनी दवा अपने मन से मुझसे कराये, तो वह मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं।" इसका मतलब यह हुआ कि माननीय महाधिवक्ता इस सदन के जो विचार हैं, उस आधार पर, बहस नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसके विपरीत करना चाहते थे, क्योंकि वह समझते थे कि वह डाक्टर हैं और हम मरीज हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि माननीय कन्हैयालाल जी के जो विचार उच्चतम न्यायालय के लिए थे और जो उन्होने प्रकट किए हैं विधान परिषद् में वह आदरणीय सदन की व्यवस्था के विरुद्ध थे। और मैं समझता हूं कि अगर माननीया मुख्य मंत्री ने उनसे यह कहा कि आप अपने मन की नहीं बल्कि विधान सभा के सदस्यों का जो मत है, उसको व्यक्त कीजिए और उसके लिए अगर तैयार नहीं थे तो बहस करने न जायं। तो मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री का व्यवहार बिलकुल सही है। (व्यवधान) अब आप बैठ जायं। यह विषय समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन--

आप से हम लोग बाद में बात कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

हां, आप कर लीजिएगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, एक बात हमारी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आपके उपनेता ने जो कहा है, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है कि हम लोग बातचीत कर सकते हैं ।

प्रदेश की सीमा के समीप चीन की सैनिक गतिविधियों के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया, उसको मैंने स्वीकार इसलिए नहीं किया है कि...

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, पहले आप मुझे सुन लें, तब व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

यह महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसको पढ़े देता हूं--

"अत्यन्त विश्वस्त सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि हमारे प्रदेश की सीमा पर बाराहोती के बिलकुल समीप चीन ने अपनी सैनिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। बाराहोती के पठार पर चीनी कब्जा हो चुका है। ५ डिवीजन चीनी सेना आधुनिक ढंग के हथियारों से लैस वहां एकत्र है। यह भी ज्ञात हुआ है कि चीन ने उसके कुछ ही पीछे एक हवाई अड्डा बना लिया है तथा राडर भी लगा लिया है। इसकी भी सूचना है।

प्रान्त में पाकिस्तानी एवं चीनी जासूस गड़बड़ी करने के लिए योजनाबद्ध रूप से सक्रिय हो रहे हैं जिससे कि प्रान्त के लिए भीतर तथा बाहर दोनों से ही खतरा पैदा हो गया है।

सीमा पर इस गतिविधि से पूरे प्रदेश में आन्तरिक असुरक्षा की दशा व्याप्त है। सीमा क्षेत्र में भगदड़ मच गई है। लोग वहां से भागकर मैदान में आने लगे हैं। गर्मी के कारण मैदान के बहुत से नागरिक जो कि पहाड़ पर जाने का कार्यक्रम बना रहे थे उन्होंने कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए हैं। बड़ी अनिश्चितता तथा आतंक एवं आक्रमण की स्थिति पूरे प्रदेश में व्याप्त है।

आन्तरिक असुरक्षा की दशा में वृद्धि को नियन्त्रित करने में सरकार बिल्कुल असफल रही है। अभी खीरी जिले के पलिया थाने में एक चीनी जासूस पकड़ा गया, उसके पास हथियार, डायरी, सीमा के पास के नक्शे भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद भी उसे पुलिस ने छोड़ दिया है। पाकिस्तानी पंचमांगियों की देशघाती गतिविधियां भी सक्रिय हैं। बरेली में एक जासूस पर पाकिस्तानी तत्वों ने आक्रमण किया।

इस प्रकार प्रदेश के भीतर आन्तरिक अराजकता उत्पन्न करने का प्रयास हो रहा है। दूसरी ओर प्रदेश के गृह मन्त्री ने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि पुलिस अपराधों को रोकने में पूर्णतया अक्षम्य है। इस घोषणा से सरकार की अक्षमता प्रकट हो गई है। अराजक तत्वों को इस घोषणा से बड़ा प्रोत्साहन मिला है। परसों राजधानी के ही समीप एक मालगाड़ी को रोककर उसमें लगे पीतल के एक्सल (axle) आदि लूट लिए गए।

इस प्रकार प्रदेश की आन्तरिक सुरक्षा को ठीक रखने में राजकीय असफलता स्पष्ट हो गई है। सीमा पर विदेशी आक्रमण की दशा में भीतरी अशान्ति एवं सरकार की अक्षमता से पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है। सरकार के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ रही है।"

आपने इसमें यह व्यक्त किया है कि चीन ने आक्रमण किया और चीन की वृहद सामरिक तैयारी है। फिर दूसरा उल्लेख यह किया है कि इस कारण से आतंक है एक सीमा प्रान्त में। तीसरी बात यह है कि आपने गृह मन्त्री की अक्षमता की शिकायत की। यह वस्तुतः केन्द्रीय विषय है। वह हमारे अधिकार के बाहर है। दूसरी बात यह है कि आपने कई विषय इसमें जोड़ दिए हैं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, आपको मैंने जो लिख कर दिया है उसका निष्कर्ष यह है कि नागरिक सुरक्षा का जिम्मेदार कौन है, यह हमारी सरकार जिम्मेदार है या कोई और है। इसमें जिन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है उन परिस्थितियों का संकेत यह है कि अगर आन्तरिक असुरक्षा रही और वह परिस्थितियां बराबर रहीं, जैसी इस समय है, तो उससे आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति और खराब हो जायगी और फिर कोई उनकी सुरक्षा कर नहीं सकता है और उसकी रक्षा भी कोई कर नहीं सकता है, विशेषकर गृह मन्त्री के वक्तव्य के कारण, जो मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा। आपने सवाल किया कि इसमें चीन के बारे में जिक्र है जोकि केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है। चीन ने हमला किया, आप वहां पर फौज भेजिए---यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं है। दूसरी बात मैंने यह कही है कि चीन के आक्रमण होने के कारण क्या परिस्थिति हुई, हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, कैसा साहस रखना चाहिए, गृह मन्त्री को सुरक्षा कैसे दृढ़ रखनी चाहिए, सब में विश्वास कैसे कायम रखना चाहिए, इन सब चीजों में गड़बड़ी है। चीन के जो जासूस यहां हैं उनसे सम्बन्धित विषय केन्द्र का नहीं है, वह हमारी सरकार का कर्तव्य है। अगर पाकिस्तान हमलावर हो और पाकिस्तानी जासूस आयें, तो वह हमारा कर्तव्य है, केन्द्रीय विषय नहीं है। अब मैं गृह मन्त्री का स्टेटमेंट पढ़ देना चाहता हूं--

"जनपदीय पत्रकार संघ के सदस्यों से गोष्ठी के क्रम में गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, न कहा कि वे किसी भी दशा में जिलाधीश, कप्तान या प्रशासन के सम्बन्ध में गोष्ठी में कुछ सुनन के लिए तैयार नहीं हैं, न वे किसी घटित घटना के विवरण पर भी वार्ता करना चाहते हैं। अपराधों की वृद्धि जोरों से हो रही है। यह प्रजातन्त्र की बुराई है, जो अनिवार्य है। यदि प्रजा ने इसे न रोका तो जो एशिया के और देशों की दशा हुई वही इस देश की भी होगी। पुलिस भ्रष्टाचार निवारण में पूर्णतया अक्षम्य है। हां, यदि कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो वह मेरे नाम भेजें, मैं गोपनीय ढंग से जांच करवा दूंगा।"

मैं इससे यह कहना चाहता हूं कि बाहर का कोई हमला होता है तो उसको संभालने की जरूरत होती है। तो यदि ऐसा भीषण हमला होता है तो प्रथम गृह मन्त्री की जिम्मेदारी है। वह इसमें अपनी असमर्थता, अक्षमता प्रकट करते हैं, तो क्या इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न कोई हो सकता है? (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---

काशीनाथ जी, आप अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। एक महानुभाव बोल रहे हैं तो आप क्यों बीच में बोलते हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

तो आप इस पर विचार करें कि यह ऐसा योग्य एक प्रस्ताव है जिसको ऐडजर्नमेंट मोशन के तौर पर आपको स्वीकार करना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी माधवप्रसाद जी द्वारा सत्यनारायण के सातों अध्याय की कथा पढ़ी गयी। उसमें एक ही बात महत्व की है कि क्या कोई गृह मन्त्री जो इस तरह का बयान दे कि हमारी पुलिस अपराधों को रोकने में असमर्थ है, तो मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री से जानना चाहूंगा और आपसे भी व्यवस्था चाहूंगा कि क्या वह इस आदरणीय सदन में गृह मन्त्री के पद पर बना रह सकता है जो सार्वजनिक रूप से कहे कि हम अपराधों को रोकने में सर्वथा असमर्थ हैं और आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री का जवाब चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न काशीनाथ जी ने उठाया है वह इस विषय से पूर्णतया असंगत है। रहा जो प्रश्न माननीय माधवप्रसाद जी ने उठाया है, मैंने यह नहीं कहा कि आपका विषय महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं महत्वपूर्ण न समझता तो इस आदरणीय सदन के समक्ष इसको पढ़कर न सुनाता। लेकिन महत्वपूर्ण होते हुए भी, आपकी सारी बहस मानते हुए भी, परिणाम यह निकलता है कि जो कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे यहां प्रदेश के अन्दर हो रही हैं उनका मूल कारण चीन का आक्रमण, उसकी हमारी सीमाओं पर सैनिक शक्ति है। मूल चीज यही है। अगर मौलिक कारण यही है कि सैनिक बल जिसका प्रदर्शन चीन कर रहा है, वह है, तो ये अवस्थाएं हमारी वैसे ही रहेंगी जब तक कि उस सैनिक बल या उस आक्रमण के परिहार के लिए केन्द्रीय सरकार व्यवस्था न करे। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि यह विषय मूलतः केन्द्र का है। केन्द्र द्वारा सुव्यवस्था होने पर हम इन तमाम प्रश्नों से बच जायेंगे। इस वजह से मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके कन्डक्ट पर एतराज करना है। मैं कहना यह चाहता हूं कि जबकि हमारे देश में, उसमें प्रदेश भी शामिल है, एक गम्भीर संकट है और हम संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं, सीमाओं पर तनाव है, आन्तरिक उलझनें हैं, उस स्थिति में इस तरह से सत्य-नारायण की कथा जो आपने पढ़ कर सुनायी, जिसके पीछे अगर कोई राज है तो उसे प्रस्तावक महोदय द्वारा लिख कर माननीया मुख्य मन्त्री को दिया जा सकता था, उसे यहां आप को नहीं पढ़ना चाहिए था। माननीया मुख्य मन्त्री उस पर प्रकाशन ले सकती थीं, आवश्यक कार्यवाही कर सकती थीं, लेकिन आपने उसको अस्वीकार भी किया और रामायण की तरह पढ़ा भी बाद में उसकी आलोचना भी की, यह सब आपके कन्डक्ट में ऐसा विरोधाभास है कि इससे देश और प्रदेश को लाभ नहीं होगा....

श्री अध्यक्ष---

जिन शब्दों में आप अपने विचार रख रहे हैं वे अत्यन्त अनुचित हैं और आपको इस तरह से यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए .... (व्यवधान)

श्री झारखण्डे राय--

मैं समझता हूं कि आप आब्जेक्टिवली पेनिक मांगरिंग के स्वयं शिकार हो रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया इन शब्दों को वापस लीजिए।

श्री झारखण्डे राय--

वापस नहीं लेता.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

तो आप कृपया सदन छोड़िए।

(श्री झारखंडेराय सदन छोड़ कर बाहर चले गए।) (व्यवधान)

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

मान्यवर, अब तक, सदन के नियमों के अनुसार अगर किसी कामरोको प्रस्ताव को आप अस्वीकार कर देते हैं तो आम तौर से उसे आप पढ़ते नहीं हैं। अगर उस प्रस्ताव को आपने अस्वीकार किया तो उसके ऊपर प्रस्तावक महोदय को उसकी व्याख्या करने का अवसर देना मैं समझता हूं कि नियमों के विरुद्ध है और इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

दूसरी बात एक और निवेदन करना चाहता हूं। जो आपने आज यह पढ़ा है उसकी दो तीन गम्भीर बातों की ओर मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जो बातें इस प्रस्ताव में कही गयी हैं, उनकी टैक्नीकैलिटी में जाये बगैर, अगर वे सही हैं, बाराहोती पर अगर चीन ने कब्जा कर रखा है और वहां पर हमारे नागरिकों में भगदड़ मची है, तो इस प्रश्न पर अगर माननीया मुख्य मन्त्री की ओर से कोई सफाई नहीं आती है तो पूरे प्रदेश के अन्दर एक पैनिक फैलेगी। अगर यह स्थिति है कि वहां से जनता भाग कर आ रही है, हमारी जनता की सुरक्षा करने में यह सरकार असमर्थ है, तो यह एक गम्भीर बात है और इस पर माननीया मुख्य मन्त्री को कुछ कहना चाहिए। बरेली की एक घटना को लेकर यह कहा गया कि पूरे प्रदेश में पाकिस्तानी पंचमांगी सक्रिय हैं और सरकार असमर्थ है, इसके द्वारा एक साम्प्रदायिक पार्टी द्वारा साम्प्रदायिक भावना को पैदा करने का प्रयास किया गया है और शान्ति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया गया है, इससे स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए मैं माननीया मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जो बातें यहां कही गयी हैं उनके ऊपर अपनी सफाई दें, क्योंकि यह सब बातें अखबारों में भी छपेंगी और उसका प्रदेश के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वह यह बतायें कि यह बातें सही हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप चाहते हैं तो इस सम्बन्ध में प्रश्न कर सकते हैं लेकिन यह कामरोको प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं आते। यह विषय अब समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

हमारा भी निवेदन आप सुन लें। आप जानते हैं कि बजट में प्राविधान है इसके लिए और प्रादेशिक सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस काम के लिए सहायता भी देती है और पी० ए० सी० भी तैनात रहती है....

श्री अध्यक्ष--

जब मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है तो उस पर बहस नहीं हो सकती, आप प्रश्न कर सकते हैं। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, एक पार्टी के उप नेता निकाले गए हैं। ऐसा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है और सदन में अनेकों बार कहा जा चुका है कि जहां हमारे प्रदेश की सीमा पर इस प्रकार का आक्रमण हो, वहां इस प्रादेशिक सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसका मुकाबिला करे, केन्द्रीय सरकार तो बाद में आती है और करोड़ों रुपया हमारा सीमा पर खर्च हो रहा है ....

श्री अध्यक्ष--

अब यह तो आप बहस कर रहे हैं। मैं इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। अब इस पर और बात नहीं होगी।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए कृपा करके। ....जो किया जायगा वह आप बाद में पूछ सकते हैं। जहां तक कामरोको प्रस्ताव का विषय है, वह समाप्त हो गया।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा भी सुन लीजिए।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्, आप व्यवस्था दे चुके, उसे तो हम शिरोधार्य हमेशा करते हैं। अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रस्ताव और कामरोको प्रस्ताव का एक निश्चित महत्व होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है और निश्चित कार्यक्रम से वह जुड़ा होता है। माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का जो आपने, श्रीमन्, पढ़ा उसमें चार पांच विभिन्न अलग-अलग बातें हैं। उसमें कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, निश्चित घटना का कोई वर्णन नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हुए भी कि यह निश्चित नहीं है इसको आपने क्यों इस सदन में पढ़ दिया जबकि आपको पूरी जानकारी थी और जब पढ़ भी दिया....

श्री अध्यक्ष--

अच्छा, अब आप बैठ जाइए। माननीय राधेश्याम जी, आप कृपा करके बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।.... कोई व्यवस्था का प्रश्न इस कामरोको प्रस्ताव के बारे में अब नहीं उठेगा।

श्री उग्रसेन--

श्रीमन्, मेरा सम्बन्ध कामरोको से बिलकुल नहीं है। मै यह कहना चाहता हूं कि माननीय झारखंडे राय जी खड़े होकर आपसे स्पष्टीकरण मांग रहे थे। उनकी बात आप को कुछ बुरी लगी। आप कुछ नाराज हो गए। अध्यक्ष नाराज नहीं होता है यह संसदीय परम्परा है और जब नाराज होता है तो अध्यक्ष नहीं रह जाता है। लेकिन नाराज होकर आपने उनको निकाल दिया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस नियम, किस कानून से ? किस संसदीय व्यवस्था का उल्लंघन माननीय झारखंडे राय ने किया है ? यदि नहीं किया है, तो उनको आप वापस बुलाइए।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए। इस सम्बन्ध में व्यवस्था हो गई है।

प्रस्ताव की सूचना

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, वह तो आपने उस पर निर्णय दे दिया और उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे खटक रही है वह यह कि जो न्यूजपेपर्स में खबर निकली है बाराहोती के सम्बन्ध में उसके अलावा भी क्या कोई सोर्स आफ इन्फार्मेशन माननीय नेता विरोधी दल के पास है ? यदि है, तो वह उसको क्लियर कर दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है ...

(व्यवधान)

तो व्यवस्था मैं यही चाहता हूं कि वह जो सोर्स आफ इन्फार्मेशन उनकी है, पेपर के अलावा जिससे कि उन्हें मालूम हुआ है कि वहां पर चीनियों का जमाव है, उसे वह बतलावें।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपा करके बैठ जायं। अब यह विषय समाप्त हुआ।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)--

मैं यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि जो समस्या पैदा हुई है उसकी गम्भीरता को आप समझें, यह मेरी दरख्वास्त है आपसे। मुमकिन है माननीय झारखंडे राय ने तैश में कुछ बातें कहीं हों लेकिन चन्द्रजीत यादव जी ने जो सवाल उठाया वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज अगर इस संकटकाल में हमारे इधर-उधर सीमाओं के ऊपर घटनाएं हो रही हैं आज ऐसी हालत में मैं या वह, कोई खड़ा होकर ऐसा बयान दे देता है और आप उसको पढ़ देते हैं तो वह प्रेस में चला जाता है और अब अगर मुख्य मन्त्री उसके बारे में कुछ नहीं कहते कि वह सही है या गलत है, तो इसका बहुत खराब असर बाहर हो सकता है। अगर वह सवाल सदन के सामने आ गया है तो उसका कुछ न कुछ उत्तर मुख्य मन्त्री को अवश्य देना चाहिए। यहां पाकिस्तान के एजेन्ट्स हैं, या तो मुख्य मन्त्री जी इस को तस्लीम करें कि हां, ऐसा है और अगर यह चीज गलत है तो उसको भी हिम्मत के साथ कह दें कि ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माफ कीजिए जिस तरह से इस सवाल को उठाया गया है, उससे ऐसी संभावना हो सकती है कि सारे सूबे में आग लग जाय और हम लोग खड़े होकर तमाशा देखें। अगर इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री कोई बयान नहीं देतीं तो उससे यह साबित होगा कि जो कुछ माधवप्रसाद जी ने कहा है वह सही है। यह चीज मुनासिब नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--

जो इस सदन के अधिकारों के अन्तर्गत नहीं आता है, उस सम्बन्ध में यहां कोई बात न होगी।

श्री जेड० ए० अहमद--

मैं और मेरी पार्टी इसके विरोध में वाक आउट करते हैं।

(साम्यवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

आप यह बता दीजिए कि यह चीज सही है या गलत है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय दीपनारायणसिंह जी, आप बैठ जाइए। अगर नहीं बैठते हैं तो सदन छोड़िए।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, जब आपने नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को पढ़ दिया तो जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा उसके बारे में मुख्यमन्त्री जी को यह जरूर कहना चाहिए कि वह गलत है या सही है। क्योंकि जब सदन में कोई चीज आ गयी है तो वह प्रदेश, देश और विदेशों को अखबारों में आ जायगी। उसका उत्तर न दिलाया जाना हमारे अधिकारों का हनन है। सत्ताधारी दल की ओर से उसका समर्थन या विरोध अवश्य होना चाहिए कि यह वाकया हुआ है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं समझता हूं कि उससे देश और प्रदेश का हित न होगा और ऐसी बातों के फैलने से खतरा बढ़ जायगा।

श्री अध्यक्ष--

इस सम्बन्ध में जो मुझे कहना था, मैं वह कह चुका हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, इसके विरोध में हमारा दल १० मिनट के लिए वाक आउट करता है।

(संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

(मुख्य मन्त्री के बुलाए जाने पर) अध्यक्ष महोदय, मैं १० बार खड़ा हुआ हूं। पहले एक मिनट आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइए, मैं माननीय मुख्य मन्त्री को बुला चुका हूं।

श्री नेकराम शर्मा--

मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

मुझे खेद है कि इस विषय को सदन में उठाने से पहले माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। न उन्होंने यह बताया कि उनका सोर्स आफ इन्फार्मेशन क्या है। लेकिन हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई इन्फार्मेशन नहीं है। जहां तक चीनियों के बिल्ड अप की बात है, वह तो सारी सरहद से सम्बन्ध रखती है। खास तौर से बाराहोती में ही ऐसा हो, हमारी इस बारे में कोई इन्फार्मेशन नहीं है। दूसरी बात उन्होंने एजेन्ट्स की कही कि उसके एजेन्ट्स घूम रहे हैं। इन बातों पर हमारी निगरानी रहती है। जो बातें पता चलती हैं, उन पर कार्यवाही की जाती है। वे हाउस में बताने वाली बातें नहीं हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से.. ..

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं ३ बार खड़ा हो चुका हूं लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। मेरा कहना यह है कि जो बातें माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहीं उन्हीं बातों को श्री झारखंडेराय जी

जानना चाहते थे और श्री चन्द्रजीत यादव भी व्यवस्था चाहते थे और यह परिस्थिति साफ करना चाहते थे लेकिन आप ने उनको मौका नहीं दिया, यही चीज अगर आप पहले कर लेते तो कम्युनिस्ट दल को वाक-आउट का मौका न होता ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय झारखंडेराय ने उस प्रश्न के जिस भाषा और जिन शब्दों में उठाया था उन पर मुझे आपत्ति थी। वह मुख्य मन्त्री के विचार जानना चाहते थे, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। लेकिन जिस तरह से वह आक्षेपणीय बातें कर रहे थे उनको मैंने कहा कि वह वापस लें और उस पर वह तैयार नहीं हुये और उसके फलस्वरूप उनको सदन छोड़ना पड़ा। अब यह विषय समाप्त।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री यादवेन्द्रदत्त --

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कहा उसमें मैं एक जानकारी चाहता हूं और प्रश्न के रूप में आपकी आज्ञा से पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आप बाद में अल्पसूचित प्रश्न पूछ सकते हैं, और दूसरे तरीके भी हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

एक मिनट में क्लैरिफिकेशन होने दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--

अगर मुख्य मन्त्री जी उत्तर देना चाहें तो आप पूछ लें।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या माननीय मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि आज से पिछले २ मास के अन्दर पलिया, जिला पीलीभीत, में कोई सिपाही ऐसा पकड़ा गया था जिसके पास टायर नक्शे थे जिन में बाराहोती के पिकेट्स बने थे जो चीन के खिलाफ बने हुये थे? क्या ऐसा सिपाही आपकी पुलिस द्वारा पकड़ा गया था और कुछ दिन बाद फिर वह छोड़ दिया गया था? यह सही है या गलत है?

श्री अध्यक्ष--

मुख्य मन्त्री जी बताना चाहें तो बता दें।

श्रीमती सुचेता कृपालानी---

इस विषय में मैं बोलना नहीं चाहती, हमारी पुलिस और जासूस लगे रहते हैं और इस तरह की सूचना होती है तो मुनासिब कार्यवाही की जाती है।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम ५२ में मैंने कोई सूचना स्वीकार नहीं की है।

गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर बने बांध के अनेक स्थानों पर टूट जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

*विद्युत् उप मन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर १३ मील लम्बे ४ बांध कोठा से दादरी तक लगभग ३६ ग्रामों में गुजरते हुये भूतपूर्व जमींदारों और टेस्ट वर्क द्वारा निर्मित हुये थे। इनकी मरम्मत और रख रखाव हितग्राही जनता द्वारा होना था परन्तु कई ग्रामों में फैले होने के कारण इन बांधों की मरम्मत इत्यादि नहीं हो सकी। इनसे सिंचाई विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बांध राप्ती नदी के कटाव क्षेत्र (मेंडर बेल्ट) में स्थित हैं। अतः इनका रख रखाव आर्थिक दृष्टिकोण से करने योग्य नहीं है।

देवरिया जिले में राप्ती नदी के दायें किनारे पर तिघरा मराछी बांध कई स्थानों पर टूट गया था, अतः जनता के अनुरोधपर इसकी मरम्मत के आदेश दिये गये और वह कार्य पूरा भी हो चुका है। यह कहना कि इस बांध की मरम्मत हो जाने के कारण बाढ़ प्रकोप गोरखपुर जिले में बढ़ गया है, ठीक नहीं प्रतीत होता है क्योंकि यह बांध जहां पहले बना था, वहीं पर है, केवल मरम्मत करा दी गयी है। इस मरम्मत के कारण बाढ़ का प्रभाव दूसरे किनारे पर गोरखपुर जिले में बढ़ने की कोई सम्भावना नहीं है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि राप्ती के दाहिने किनारे की जिस स्थिति की चर्चा हुई वह था कि जिसकी मरम्मत मन्त्री जी ने नहीं करायी बल्कि वह भूतपूर्व जमींदारों द्वारा या टेस्ट वर्क से बना था। बायें किनारे पर जनता के अनुरोध पर मरम्मत करायी गयी लेकिन जब वहां के इन्जीनियर्स ने यह घोषित कर दिया कि दोनों ओर के किनारे कटाव में हैं तो इस तरह का व्यवहार सरकार की ओर से एकांगी क्यों हो रहा है कि एक तरफ बांध बने और दूसरी ओर न बने और दूसरे यह कहना कि एक तरफ ऊंचा हो जायगा और दूसरी ओर खुला रहेगा तब भी बाढ़ का प्रकोप नहीं होगा, इससे बढ़ कर क्या प्रमुख बात हो सकती है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

बांध कोई नया नहीं बनाया गया है। एक बार उसकी मांग आयी। उसकी मरम्मत कर दी गयी। चूंकि एक तरफ मरम्मत हो गयी, तो यह जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ भी मरम्मत हो जाय।

श्री कल्पनाथसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले में राप्ती नदी के दाहिने किनारे पर १३ मील लम्बे ४ बांध कोठा से दादरी तक लगभग ३६ ग्रामों में गुजरते हुये बनाये गये थे? उस से कितनी एकड़ जमीन नष्ट नहीं हुई और उसे किसने बनाया था कि सरकार ने उसकी मरम्मत कर दी। यह कहा गया है कि यह टेस्ट वर्क से बनाया गया तो सिंचाई विभाग से उसकी मरम्मत कैसे होगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

इस बांध को ऊंचा नहीं किया गया। इसकी मरम्मत अगर किसी तरह से हो गयी तो यह तो जरूरी नहीं है कि दूसरी तरफ को भी हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगें, जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई दूसरा बांध दाहिने तरफ बनाने की योजना नहीं है, तो बस्ती जिले में एक बांध डुमरियागंज से सहजनवा तक राप्ती के दाहिने किनारे पर बनाने को जो योजना है वह बांध अब नहीं बनेगा क्योंकि बायीं तरफ बांध बन गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जिस बांध के बारे में मैंने कहा है उससे तो यह सम्बन्धित नहीं है।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया में जो बांध बन रहा है उस के बनने से कितने धन की हानि बच जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जैसा मैंने पहले ही कहा, वहां पर कोई नया बांध नहीं बन रहा है। वहां पर एक बांध पहले से बना था। उसकी मरम्मत थोड़ी सी हो गयी है।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को बतायेंगें कि जिस बांध के लिए शुक्ला जी ने जिक्र किया उस बांध का पूरा एरिया डुमरियागंज–सहजनवा बांध में जा रहा है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही है ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री रामलखन शुक्ल—

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि राप्ती नदी के बायें किनारे पर बांध टूट गया था अतः उसकी मरम्मत करा दी गयी। दफा ५२ के अतर्गत जो प्रश्न हमने दिया था उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा था कि पानी की ठोकर लगने से गोरखपुर में लाखों रुपयों की क्षति हो गयी है, तो क्या माननीय मन्त्री जी उसका स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने बारबार स्पष्ट कर दिया है कि ये बांध पुराने जमींदारों और टेस्ट वर्क द्वारा बनाये गये थे। कुछ बांधों की मरम्मत की गयी है। कोई बांध ऊंचा नहीं किया गया है। जहां तक दूसरी तरफ के बांधों का प्रश्न है, आप यह चाहते हैं कि उनकी भी मरम्मत कर दें। तो अगर वैसा कर देंगे तो दूसरी ही गलती होगी।

(श्री रामलखन शुक्ल के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय शुक्ल जी, आप जो प्रश्न करें वह स्पष्ट हो, उसमें बहस न हो, और वह छोटा हो।

श्री रामलखन शुक्ल—

अगर बायीं तरफ बसी हुई जनता के अनुरोध पर आपने बांध बनवाया है तो हमारे अनुरोध पर भी बनवाने की कृपा करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

परेशानी रुपये की है। और इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

इस बांध को सन् १९५० से जिलाधीश बनवाते चले आते हैं और पिछले ३ वर्ष से सिंचाई विभाग बनवा रहा है और जहां तक मरम्मत का प्रश्न है वह हट कर जमीन की तरफ हुई है और दूसरी तरफ नुकसान की बात कही जा रही है जो कि सम्भव नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि कोई नयी चीज नहीं बनायी है, उसकी मरम्मत की जा रही है। इसे देखेंगे कि मरम्मत करके कुछ फायदा हुआ तो आगे विचार किया जा सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

सरकार ने यह कहा कि जनता के अनुरोध पर एक दफा बांध की मरम्मत करा दी गयी। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को इसके सम्बन्ध में जानकारी है कि दूसरी तरफ राप्ती के दाहिने किनारे पर कितने क्षेत्रफल का नुकसान इस बांध की मरम्मत न होने की वजह से हो रहा है या कितनी जनता उससे प्रभावित है, दोनों की कितनी लम्बाई है, कितनी आबादी पर दोनों का प्रभाव पड़ेगा ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री केवल यह उत्तर दें दे कि दूसरी तरफ अगर बांध वे नहीं बनवाते हैं तो उससे बड़ा नुकसान हो सकता है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर माननीय सदस्यों का ऐसा अनुरोध है तो उसे देख लिया जायगा। मेरे विभाग का यही विचार है कि इस बांध की मरम्मत नहीं होनी चाहिये। लेकिन मेम्बर साहबान जो वहां के रहने वाले हैं, यह चाहते हैं कि मरम्मत की जाय, तो मैं विभाग से कहूंगा कि वह इसकी जांच करे और जांच करके फिर आप से सलाह करें।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

राप्ती नदी बीच में बहती है और बायें और दायें दोनों तरफ बांध बना हुआ है तो जब बायें बाजू की मरम्मत सरकार कर रही है तो दायें बाजू की मरम्मत करने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारियों से इस सम्बन्ध में परामर्श करेंगे और यह प्रयत्न करेगें कि उधर भी मरम्मत हो जाय।

श्री रामलखन शुक्ल—

मैं ने चीफ मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर तथा चीफ इन्जीनियर को कई पत्र इस सम्बन्ध में लिखे और इन्जीनियर स्पष्ट कहते हैं कि उधर बांध बन रहा है और इधर न बनने से नुकसान अवश्य होगा तो माननीय मन्त्री किस आधार पर कहते हैं कि नुकसान नहीं होगा ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कह दिया कि हम पूछेंगे, आप उनसे मिल लीजिये।

श्री कल्पनाथसिंह—

इसके पूर्व मैं ने चीफ इन्जीनियर महोदय को, जिलाधीश महोदय को और दूसरे सम्बन्धित इन्जीनियर्स को लिख कर दिया तो क्या माननीय मन्त्री इस बात को डिफाइन करेंगे अथवा

कबूल करेंगे कि जिलाधीश अथवा इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस बात की ताईद की है कि राप्ती के दाहिने किनारे बांध बनाने की आवश्यकता है और क्या मन्त्री महोदय उनकी रिपोर्ट के अनुसार आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, उनकी जो रिपोर्ट है वह मैं पढ़ दूं। वह इस प्रकार है कि "इस मरम्मत के कारण बाढ़ का प्रभाव दूसरे किनारे पर गोरखपुर जिले में पड़ने की कोई सम्भावना नहीं है।"

श्री अध्यक्ष—

माननीय सिंचाई मन्त्री जी, जो निश्चय कार्य मन्त्रणा समिति ने किया है, वह संकल्प के रूप में आप रखें।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा विभिन्न विधेयकों के लिए समय निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव

विद्युत् उप मन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन निम्नलिखित कार्यों तथा विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के लिए कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित समय निर्धारण से सहमत है :—

१—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव—२० अप्रैल, १९६५, को सायंकाल ४ बजे तक।

२—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर सामान्य चर्चा—२१ अप्रैल, १९६५।

३—उपर्युक्त विधेयक पर खंडशः विचार तथा उसका पारण—२६ व २७ अप्रैल, १९६५।

४—स्वच्छता निरीक्षकों की आजीविका आदि का विनियमन इस राज्य में संसद के अधिनियम द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा मन्त्री का संकल्प—२८ अप्रैल, १९६५ को आधा दिन।

५—उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि विधेयक, १९६५, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित होगा,—२८ अप्रैल, १९६५ को आधा दिन तथा २९ अप्रैल, १९६५।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, २२, २३ को क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

२२, २३ तारीख को असरकारी कार्य होगा। उसी तरह से ३० को भी होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, चुनाव २९, ३० तारीख को रखा गया था।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, २८, २९ को।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय सिंचाई उप मन्त्री ने कार्य मन्त्रणा समिति के निश्चय के अनुसार रखा है ,वह स्वीकार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक लेखा समिति , प्राक्कलन समिति तथा अन्य स्थायी समितियों की निर्वाचन तिथि में परिवर्त्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे एक सूचना देनी है कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली २५ स्थायी समितियों, वाराणसेय, संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् और प्रान्तीय स्वास्थ्य बोर्ड में निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों के नाम वापस लेने का समय २३ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ५ बजे के स्थान पर २६ अप्रैल, १९६५ को सायंकाल ७ बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यदि उक्त समय तक अतिरिक्त नाम को वापस न लिये गये तो निर्वाचन २८ व २९ अप्रैल, १९६५ को १२ बजे दिन से अपरान्ह ४ बजे के बीच विधान सभा पुस्तकालय के बरामदे में होगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी अधिवेशन के प्रथम दिनांक तक बढ़ा दी जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि उत्तर प्रदेश विधान सभा के आगामी अधिवेशन के प्रथम दिनांक तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने ३० अप्रैल तक का अभी प्रोग्राम बताया और पहले ११ मई तक का विधान सभा का समय था, तो ३० अप्रैल तक सेशन चलेगा या ११ मई तक, हमें आप ठीक-ठीक बता दें, जिस से कि हम बाकी दिनों में बेकार न रहें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी हम इसके बारे में अभी निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, जिसे आप सुन लें, मैंने अपने गोरखपुर जिले की करेंदा तहसील के बारे में जो सूचना दी थी...

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत ?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

नहीं श्रीमन्, मेरा जनरल प्रश्न था, उसके सम्बन्ध में क्या आप आदेश देंगे जिस से हजारों एकड़ जमीन. . .

श्री अध्यक्ष—

उसे मैंने राजस्व मन्त्री क पास भेज दिया है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ (क्रमागत)†

*श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह रहा था कि हमारे प्रान्त की सरकार ने जो लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट बना दिया था, उसमें जो कम्पेंसेशन देने का इन्तजाम है, उसमें किसानों के साथ पूरा इन्साफ नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि उसमें आप स्पष्ट तरीके से सारी चीजें लिख दीजिये, जिससे कोई अधिकारी उसमें गड़बड़ी न कर सकें। गाजियाबाद की कल मैंने मिसाल देकर कहा था कि अधिकारी पहले कहते थे कि कानून के मुताबिक १७ पैसे फी गज से ज्यादा हम तुम्हें मुआवजा नहीं दे सकते हैं। जब सब कमेटी ने और उन्होंने यह देखा कि उन्हें उचित मुआवजा देना ही है और चूंकि उस सब कमेटी में बड़े अधिकारी जैसे श्री के० के० दास भी शामिल थे, जब उनके दिमाग में यह बात आ गयी, कि वास्तव में किसानों के साथ इन्साफ नहीं हुआ है तो जो अधिकारी लोग पहले मुखालिफत कर रहे थे कि कानून के मुताबिक इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है, फिर उन्होंने कानून को बदला और १७ पैसे के बजाय १८० पैसा देना तय हुआ। कानून में ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा कहकर अधिकारी अनेक अड़चनें लगाया करते हैं, इसलिए कानून साफ होना चाहिये। लेकिन यह तय हो जाने के बाद भी, जबकि ९ महीने पहले वह तय हो गया अभी तक पड़ा हुआ मुआवजा तक किसानों को नहीं मिला है, क्योंकि उसमें फाइलें कभी रेवेन्यू बोर्ड को जाती हैं, कभी कलेक्टर को जाती हैं और कभी मुख्य मन्त्री के पास जाती हैं, इस तरह से देर हो रही है और अभी तक पड़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है जो उम्मीद थी कि मिल जायगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बोर्ड बनाने के पहले, इसमें सुधार हो जाय ताकि जो जमीनें इसके लिए किसानों की ली जायें, उसमें इन्साफ हो सके। और जब तक मुआवजा का सिलसिला अच्छी तरह से तय न हो तबतक किसानों के साथ इन्साफ नहीं होगा।

मेरे पास लाला मुकन्दीलाल जी बैठे हुये हैं, ये भी शिकायत करते हैं कि चमोली के अन्दर पहाड़ी इलाके में बार्डर पर जहां सड़कें बन रही हैं वहां उस योजना के अन्तर्गत बहुत सी जमीन ली जा रही है, तो अधिकारियों को यह भी ख्याल करना चाहिये कि कम से कम जमीन ली जाय। चमोली में ६०–७० फुट चौड़ी सड़कें बनायी जा रही हैं और जोशीमठ से चमोली तक जो जमीन डेवेलपमेंट के लिए ली जा रही है आज उसकी कीमत १० रुपये फी गज है जबकि उसका मुआवजा १ रुपया फी गज के हिसाब से ही सरकार दे रही है। तो यह दूसरा उदाहरण है। कल भी मैंने यह कहा था कि बिहार में जहां २,५०० रु० मुआवजा है वहां यहां पर २५ रु० है। तो इस तरह में बार बार इस लिए बल दे रहा हूं कि बोर्ड बनाने के पहिले लैन्ड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में तरमीम कर देनी चाहिये। माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा जी तो चले गये, शायद माननीय सदस्यों को याद होगा कि तीन चार दिन हुए एक सप्लीमेंटरी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था

---

†१९ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजसिंह]

कि मुआवजा दिया जा रहा है उस से खुद मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब तक मन्त्री लोग खुद सन्तुष्ट न हो जायं तब तक इस तरह का कोई ऐवार्ड क्यों दिया जाता है? पहले मन्त्री लोग खुद क्यों नहीं सन्तुष्ट हो जाते और यह देख लेते कि जो फैसला हुआ है वह ठीक है या नहीं? एक दफा एवार्ड हो गया और किसानों ने जो नाराजगी प्रकट की तो मन्त्री लोग सोचते हैं कि इसमें कहीं कोई गलती है। इसलिए इस चीज को स्पष्ट कर दिया जाय ताकि अधिकारी लोग कोई गड़बड़ी न कर सकें।

कल मैं माननीय कमलासिंह के भाषण के मौके पर मौजूद नहीं था। गाजियाबाद के मुताल्लिक अपने भाषण में उन्होंने कुछ बातें कहीं और उन्होंने गाजियाबाद के आफिसरों में व्याप्त भ्रष्टाचार की बाबत भी कुछ बातें कहीं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल के जमाने में भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कहना कि फलां अधिकारी ईमानदार है या भ्रष्टाचारी नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर कोई यह कहे कि फलां अधिकारी ने इतना रुपया लिया है, उसको तो लोग मान लेंगे, लेकिन उसको नहीं मानेंगे कि वह बहुत ईमानदार है। इस बात को लोग मान लेंगे कि हो सकता है कि इसे कम रुपया मिलता हो, लेकिन इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह ईमानदार अधिकारी है। मैं गाजियाबाद के अधिकारियों की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो वहां की स्थिति है उसे ही बतला रहा हूं। गाजियाबाद में कुछ ऐसा रवैया हो गया है कि जो हर तरह से सम्पन्न आदमी होते हैं वे अधिकारियों से नाजायज काम कराना चाहते हैं। यह कहना कि सभी अधिकारी बेईमान हैं या नाजायज काम करते हैं, इसको मेरी आत्मा नहीं मानती। उनमें बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, जो काफी ईमानदार हैं। वहां के एक एस०डी०एम० हैं जो आजकल यहां आये हुये हैं उनके सामने एक सम्पन्न सेठ का मामला आया जिसका उल्लेख इस कागज में भी है मुझे माननीय कमलासिंह जी से मिला है। वह सेठ बहुत सी जमीन नाजायज तरीके से दबाये हुये हैं, उसने बड़ी कोशिश की लेकिन उसका बगैर कोई ख्याल किये हुये उन एस० डी० एम० साहब ने उस सेठ के खिलाफ फैसला कर दिया। तो यह कहना कि सभी भ्रष्टाचारी हैं या आयोग्य हैं, सही नहीं है। वहां कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा है कि ये सम्पन्न लोग पहले तो बड़ी मिन्नत और समाजत से अपना काम कराना चाहते हैं लेकिन जब उनका काम नहीं होता तो वे फिर उनके खिलाफ तरह तरह से इल्जाम लगाते हैं, चिट्ठी भिजवाते हैं और उनको डिमोरेलाइज करने की कोशश करते हैं और डाकूमेंट के आधार पर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनकी बात सही है।

श्रीमन्, आप देखें कि अंग्रेजी में यह ८ सफे का डाकूमेंट है और उसके नीचे ऐसे व्यक्ति के दस्तखत हैं जो अंग्रेजी नहीं जानता। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है और उसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। वह कोल डिपो होल्डर है और भ्रष्टाचार के आधार पर ही दो दफा उसका डिपो सस्पेंड हो चुका है। लेकिन वह दुहाई दे रहे हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। इसका इन्तजाम करना चाहिये। अंग्रेजी में यह डाकूमेंट है और वह अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं। उनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। चूंकि जिन सज्जनों की वकालत की गयी है वह सब अमीर हैं वह अपनी जमीन रिलीज कराना चाहते हैं और वह अन्डर एक्वीजीशन है म्युनिसिपिल बोर्ड में, इसलिये वह अफसरों पर इल्जाम लगा कर उनको डिमारेलाइज करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहां काम नहीं होता तो उनको काबू करने के लिये एक दूसरा जाल बिछाया जा रहा है। यह कोलोनाइजर्स कभी स्कूल का शिलान्यास कराने के लिये कभी कोई उद्घाटन कराने के लिये मंत्रियों को बुलाते हैं। हांलाकि उनका उद्घाटन कई बार हो चुका है, लेकिन मंत्री जी से अपने रसूख बनाये रखने के लिये वह इन मौकों पर मंत्रियों को बार-बार बुलाते हैं ताकि मंत्री जी काबू में आ जायं और फिर अफसरान को काबू किया जाय। इसमें ऐसे आदमी हैं जिन्होंने किसानों की जमीन कौड़ियों के मोल ली है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने १३००० रुपया ब्लैक मनी का अभी इन्कम टैक्स को सरेन्डर किया है। एलन सिंह की लाखों की जमीन दबाई है। इस तरह के व्यक्ति से हमको

नाजायज काम कराने की हरकतों से हमको सावधान रहना चाहिये और श्रम मंत्री जी को और ज्यादा सचेत होना चाहिये। ताकि भूल में वह कोई गलत काम न कर जायं।

एक बात और है। गंदी बस्तियों का निर्माण भी इसी बोर्ड द्वारा कराया जायगा। गंदी बस्तियों के निर्माण के ऐक्ट में एक धारा है जिसके अनुसार जो मकान या जमीन किसी की ली जायगी उसको वापस वही जमीन या मकान नहीं दिया जायगा और दी जाने वाली जगह फ्री होल्ड नहीं होगी, वह पट्टे पर दी जायगी। गाजियाबाद में बहुत सी गंदी बस्तियां है और म्युनिसिल बोर्ड को बहुत सा रुपया एडवांस किया गया है। वहां हरिजनों की गंदी बस्तियां हैं और उनका नवीकरण होना चाहिये। लेकिन उन हरिजनों का कहना है कि अगर सरकारी मकान बन कर किराये या पट्टे पर मिल जांय तो वह उसे पसन्द नहीं करेंगे। अगर मुमकिन हो सके तो जिन शर्तों पर वह जमीन या मकान उनके पास हैं उन्हीं शर्तों पर ही उनको वह मकान दिये जायं और उनसे कीमत वसूल कर ली जाय। अगर इस तरह की तब्दीली हो जाय वह ज्यादा खुशी से अपनी गंदी बस्तियों को ठीक करवा लेंगे।

मैं फिर बतला देना चाहता हूं कि इस बोर्ड में जो नान आफिशियल्स हैं उनकी तादाद बढ़ायी जाय इसलिये नहीं कि वहां लड़ाई होगी बल्कि इसलिये कि वहां जनता की राय पहुंच सके। दूसरे, लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में जो कंपेसेशन दिया जा रहा है उसमें जरूर तब्दीली की जाय जिससे कोई अधिकारी उसमें गड़बड़ न कर सके ताकि किसानों के साथ इन्साफ हो और जो मंत्री जी के पास अधिकारियों के खिलाफ भी शिकायतें आयीं, तो उनको भी जरा गौर से देखें। कल माननीय कमलासिंह ने किसी एक सेक्रेटरी के खिलाफ कहा कि उन्होंने शायद दो लाख का मकान बना लिया है, देहरादून में। और शायद के० एन० मिश्रा, की वजह से बना लिया है। मैं देहरादून नहीं गया। मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर ऐसी गलती की है तो उसकी जरूर जांच होना चाहिये और उसमें गड़बड़ी है तो सजा मिलनी चाहिये। लेकिन मेरी जहां तक सूचना है, वह इस वक्त एल० एस० जी० के सेक्रेटरी हैं, और उनकी नियुक्ति अप्रैल १९६४ में है और उनका मकान बनना शुरू हुआ मई ६३ में। और फरवरी १९६४ तक वह पूरा हो चुका था। जब शर्मा जी जांच करेंगे, तो पूरी डिटेल्स उनके सामने आयेंगीं, मैं बताना चाहता हूं कि ४७ हजार रुपया तो सरकार से लोन लिया, १५ हजार अपने प्राविडेंड फंड से लिया और २५ हजार रुपया पंजाब नेशनल बैंक से लिया है। और जो मकान बनाया गया है, वह एक लाइसेन्स्ड आर्किटेक्ट की मारफत बनाया गया है जो खर्च हुआ है, उसका रिटर्न इन्कम टैक्स को उन्होंने भेज दिया है लेकिन अगर फिर भी इसमें कहीं गड़बड़ी हो, तो उसकी जांच होनी चाहिये। परन्तु मेरी जहां तक सूचना है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और उनका श्री के० एन० मिश्रा से कोई वास्ता नहीं था। इन शब्दों के साथ मैं इस बोर्ड का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि वह जल्दी बने ताकि वहां मकान जल्दी बन सकें।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जो विधेयक यहां उपस्थित किया गया, उसकी आवश्यकता को हम बहुत दिनों से महसूस कर रहे थे। लेकिन जिस तरह का इसका प्रारूप है, उसको पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि कुछ खास तरह के लोगों के मकानों का विकास भी इससे हो सकता है और किसी वर्ग विशेष के हित के लिये यह विधेयक बनाया जा रहा है। हमने देखा इस तरह का विधेयक बिहार सरकार ने भी पास किया है और इसके अन्तर्गत बिहार के अन्तर्गत भवनों का निर्माण हो रहा है। आधुनिक ढंग के मोहल्ले बनाये जा रहे हैं। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि अभी तक हमारे सूबे के अन्दर टाउन एरियाज और नगरपालिकाओं में जो मकान बने हैं, वे बिना नक्शे के और गंदे बने हैं, उनको हटा करके आधुनिक ढंग से नई बस्तियां बनाने की आवश्यकता है। लेकिन साथ-साथ इस विधेयक की धारा २०, ३५ और ३६ में मलिन बस्तियों के सुधार का जिक्र किया गया है और सरकार का जो लक्ष्य है, जिससे हम सहमत हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये जो तौर तरीके इस विधेयक के द्वारा अख्तियार किये गयेहैं, उनसे मैं समझता हूं, उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इस विधेयक की धारा २०, ३५, ३६ और २८ में इस तरह का संशोधन करें जिससे गरीबों को राहत मिले। इस विधेयक में जिन आयुक्त का जिक्र किया गया है, उसके आदेश के अनुसार कितने दिनों में घर अगर न गिराया गया, तो क्या दंड होगा, किस तरह से उसकी जमीन का नीलाम करेंगे, ये सारी व्यवस्था इन धाराओं में है। लेकिन इस बात का कहीं समावेश नहीं है कि अगर कोई दरिद्र है, गरीब है, जैसे कि हर टाउन एरिया में और नगरपालिका में गरीबों की बस्तियों होती हैं। भंगी और मेहतर हर टाउन एरिया में आप देखेंगे कि किस तरह से गंदी बस्तियों में अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहें हैं। तो इस परिषद् के अन्दर आप एक सुव्ववस्थित और निश्चित योजना बनायें। जिन मलिन बस्तियों को आप उजाड़ें और खासकर उनमें हरिजन बस्तियां है या गरीबों की बस्तियां है उनके लिये खास प्रबन्ध करें। हर टाउन एरिया और म्युनिसिपल एरिया में जो हरिजन और गरीब लोगों मकान आप उजाड़े उनको सरकारी अनुदान पर मकान बनकर मिलना चाहिये। उनके लिये सरकारी अनुदान पर मकान बनानें का प्राविजन इस विधेयक के अन्दर करें। यह प्राविधान इसमें होना चाहिये कि अगर उनके घरों को गिरावेंगे तो सरकार की तरफ से टैम्पोरेरी स्ट्रक्चर खड़ा करके चाहे कैम्प हो या टिन शेड हो उनमें हरिजनों को रखा जाय।

श्रीमन्, हमारी साफ राय है कि आप दो तरह की योजना बनायें जिस पर यह विकास परिषद् अमल करे। एक तो यह कि जो हरिजन है, गरीब हैं, भंगी का काम करने वाले लोग हैं जो शहरों और टाउन एरिया में भी रहते हैं, उनके लिये सरकारी खर्चे पर सस्ती दर के क्वार्टर इस विकास परिषद् की तरफ से बनने चाहिये। जो छोटी आमदनी वाले लोग हैं उनको सरकार की तरफ से अनुदान देकर मकान बनवा दिये जायं। उनसे ३०, ४० साल की योजना बनाकर आप रुपया वसूल करें। जैसा आजकल चल रहा है मकानों के लिये हाउसिंग कमेटीज बनी हुई है जो सहकारी सोसाइटी से कर्जा लेकर मकन बनाती हैं इसको तोड़ना चाहिये और सारा यह बस्ती बनाने का काम विकास परिषद् के जिम्मे होना चाहिये। शहरों में ही नहीं बल्कि सारे प्रदेश में जहां पर मकानों की हालत बहुत खराब है, मकान नहीं मिलते हैं, पूर्वी जिलों में घाघरा नदी के कटान की वजह से गांवों की दशा बहुत दयनीय हो रही है वहां पर आदर्श गांव बनाने की योजना बनाई जाय और उन गांवों को बसाने की योजना इस विकास परिषद् के अधीन होनी चाहिये। शहरों के साथ साथ गांवों में भी जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी खर्चे पर मकान बनाकर मिलने चाहिये। जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको कर्जा देकर निश्चित अवधि के अन्दर उन से कर्जा वसूल किया जाय। इस तरह के दो प्राविजन अगर आप इस विधेयक के अन्दर कर दें कि और उसके मुताबिक काम हो तो मैं समझता हूं कि इस विकास परिषद् का काम सुचारु रूप से चलेगा।

जहां तक इसके गठन का प्रश्न है उसके विषय में इस सदन में काफी चर्चा किया गया। बहुत से लोगों ने कहा कि इस तरह से सरकार के मातहत यह चलेगी। इसका बुनियादी तौर पर विरोधी दल के लोगों ने विरोध किया और शंका प्रकट की कि इसका सचालक अगर गैर-सरकारी रहेगा तो वह भी उसी तरह से करेगा जैसा कि आजकल व्वयस्था चल रही है। वह भी उसी तरह से पैसा हजम करेगा। यह व्वयस्था भी उसी तरह से चलेगी जैसा और चलती हैं। विधान सभा के अन्दर ही नहीं बल्कि इस देश के अन्दर आज दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं— एक तो वह है जो यह कहती है कि "सरकार चलाओ और माल उड़ाओ" और दूसरी ताकत वह है जो यह कहती है कि "सरकर हटाओ देश बचाओ"। पहली वाली ताकत का समर्थन करने वाले लोग इधर भी हैं और उधर भी हैं। दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो यह चाहते हैं कि मजा करो माल उड़ाओ और सरकार को चलाओ। बहुत से लोग सरकार को इसीलिये चला रहे हैं कि उनका काम चलता रहे और मजा उड़ाते रहें। इसमें कोई सरकारी पक्ष का सवाल नहीं है। यह तो एक व्वयस्था का सवाल है। मैं समझता हूं जिस हुकूमत में इस तरह की व्वयस्था हो तो फिर जनता का किस तरह से कल्याण हो सकता है। अगर आप इस पालिसी में आमूल परिवर्तन करेंगे तब गरीबों को थोड़ी बहुत राहत मिल सकेगी। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक के लक्ष्य और

उद्देश्यों का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि इस विधेयक की धाराओं में आप आमूल परिवर्तन करें ताकि शहरों के अन्दर खासकर टाउन एरिया के अन्दर हर जगह भंगियों को बसाने का काम सुचारु रूप से चल सकें। कहीं शहर में घूमिये आपकी दृष्टि उधर ही जायगी जहां पर भंगियों की बस्ती है। उनकी बहुत बुरी हालत है। उनको कम से कम आधुनिक ढंग से बनाया जाय। यदि आप यह नियम थोड़े समय के लिये बनालें और इन बातों को धाराओं के अन्दर रख दें तो इस विकास परिषद् के बन जाने से बड़ा कार्य उत्तर प्रदेश में होगा और जितनी मलिन बस्तियां हैं, हरिजनों की बस्तियां हैं टाउन एरिया और शहरों के अन्दर, उनको तोड़–फोड़ कर उनकी जगह पर एक सुन्दर सस्ते ढंग की, साधारण मानव के दर्जे की बस्ती बना दी जायगी सरकारी खर्च पर, तब मैं समझता हूं कि आपके विधेयक का मकसद पूरा होगा। यह तभी हो सकता है जब इस विधेयक की धाराओं में ऐसी व्वयस्था करेंगे। अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको ध्यान में रखकर आवश्यक संशोधन करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री महोदय को बधाई दूंगी कि जिस विधेयक की बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी उसको वह आज सदन के समक्ष लाये हैं, और जैसा कि मैं ध्यान से सुन रही हूं सिर्फ यही नहीं कि हमारे पक्ष के, बल्कि हमारे विपक्षी भाई भी जहां तक इसके सिद्धान्त का संबंध है वह उसको स्वीकार करते हैं। इसमें थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन मंत्री महोदय ने पहले ही विचार रखा है कि यह संयुक्त प्रवर समिति के सामने रख दिया जाय, निर्दिष्ट कर दिया जाय और यहां पर थोड़ा बहुत विचार हम रख सकते हैं।

मान्यवर, मुझे कानपुर ऐसे एक शहर से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर कि संसार में सब से ज्यादा टी० बी० के मरीज हैं। वह क्यों हैं, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिये कि वहां पर स्लम्स और गंदी बस्तियां बहुत ज्यादा हैं। यह तो यू० एन० ओ० की हेल्थ रिपोर्ट से आपको मालूम होगा और स्वास्थय मंत्री ने भी इसको स्वीकार किया है और जब मैं मौका पाती हूं तो अपनी आवाज उठाती हूं कि इस टी० बी० की घरेलू चिकित्सा की जानी चाहिये। यह ऐसा विधेयक है जिससे टी० बी० जड़ से ही निकल सकती है। अगर गंदी बस्ती को नेस्त–नाबूद कर देंगे और शहर को साफ कर देंगे तो यह बीमारी भी दूर हट जायगी। मान्यवर, जब आदमी गरीबी, गंदगी और अज्ञानता में रहता है, सफाई नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, जीवन की जरुरी आवश्यकतायें और जो कि फंडामेंटल अधिकार हैं कि रोटी–रोजी मिले उसकी व्यवस्था नहीं है तो कैसे कोई सुखी रह सकता है? ऐसे ही आवास भी एक आवश्यक समस्या है जो कि रोटी–रोजी के साथ जुड़ी हुई है। यह देख कर अगर सरकार ने अपनी स्कीम बनाई है तो मैं उसके लिये पुनः बधाई दूंगी।

मान्यवर, आवास के लिये केन्द्रीय सरकार ने इसके महत्व को स्वीकार करके तृतीय पंचवर्षीय योजना में ६ करोड़ रुपया रखा था, परन्तु खेद की बाद है कि रेड–टेपिज्मया विलम्ब कहिये या किसी प्रकार का सामंजस्य न होने के कारण यहां ऐसी परिस्थिति आयी कि सिर्फ ४ करोड़ ही इस आवास के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में काम में आ सका। कारण यह था कि ६ करोड़ केन्द्र ने राज्य सरकार को दिये। राज्य सरकार ने अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग को दिये। उसको सबसे पहले इन योजनाओं को चलाने के लिये भूमि एक्वायर करने की जरूरत थी। लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट जो पुराना है जिसके द्वारा कार्य रूप में लाने में थोड़ा समय लगता है। फिर पी० डब्लू० डी० डिपार्टमेंट के द्वारा क्वार्टर्स बनेंगे, उसमें साधन जुटाने में समय लगता है। फिर लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से क्वार्टर उठाये गये, उनका किराया इकट्ठा किया गया और राज्य सरकार को इकट्ठा करके दिया गया जो कि केन्द्र में पुनः वापस जाया करता है। तो हम देखते हैं कि जो रुपया केन्द्र से मिलता भी है उसका दो तिहाई सिर्फ इस्तेमाल हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है, मशीनरी नहीं है जिससे जितनी एजेंसीज इन कामों को करने के लिये हैं उनमें कोआर्डिनेशन ला सकें। उसी काम को पूरा करने के लिये यह

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

विधेयक यहां पर आया है । मैं चाहूंगी कि आजकल के जमाने में जब एक तरफ हम समाजवाद का नारा लगाते हैं और जिस क्षेत्र से मैं आती हूं जनरलगंज और नयागंज जहां से करोड़ों रुपया कर के रूप में अपने प्रदेश में आता है तो जब कि वहां ३–३, ४–४ मंजिल की बैजेनुमां बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ हम उन हरिजन तथा गरीबों की बस्तियों को देखते हैं जहां पर लोग टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं । यह सब समाजवाद का जो हमारा नारा है उसके विपरीत पड़ती है । यह बड़ी खुशी की बात है कि आज इस प्रकार का विधेयक यहां पेश किया गया है । मैं भी कानपुर की कारपोरेशन की सदस्या हूं, मैं जानती हूं, कारपोरेशन भी उनके सुधार के लिये प्रयत्न कर रही है, लेकिन एक दिक्कत जो उत्पन्न होती है वह यह है कि स्लम्स को जब हटाया जाता है तो उनका रोजगार समाप्त हो जाता है । जो भाई विस्थापित हो जाते हैं उनका रोजगार समाप्त हो जाता है । इस संबंध में मैं माननीय काशीनाथ जी के सुझाव से मैं सहमत हूं कि जिस समय यह योजना चालू हो तो सरकार की तरफ से यह प्रयत्न होना चाहिये कि उनको कहीं नजदीक में किसी प्रकार एकोमोडेशन दी जाय ।

दूसरा प्रश्न जो आता है वह हमारे विस्थापित भाइयों का है । पंजाब में लाखों की तादाद में पंजाबी हमारे यहां आये और हम इस प्रदेश में जगह-जगह पर बसे । कानपुर में ऐसी ग्रेरणा थी कि लोग वहां इन्डस्ट्री में लग सकते थे । भारी तादाद में कानपुर में लोग आये । पहले कानपुर की पापुलेशन जहां ४ लाख के करीब थी, आज वह ९ लाख ४२ हजार के करीब है, सेन्सेज के मुताबिक, वैसे तो १२ लाख के ऊपर का अनुमान किया जाता है । जो भी विस्थापित भाई आये उन्होंने नगर महापालिका द्वारा नक्शे आदि पास कराके मकान बनाने चाहे, परन्तु नक्शे पास होने में काफी देर लगने के कारण बहुत से लोगों ने अपने मकान बना लिये और इस प्रकार बहुत सा अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हुआ । अब हर चौथे पांचवें महीने उनको गिराने के लिये आर्डर कारपोरेशन द्वारा पहुंच जाता है कि उनके मकान जिनको उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत करके बनाया था गिरवाये जा रहे हैं । १५–१५, २०–२० हजार रुपये लगाकर उन्होंने उनको बनवाया, आज उनको गिरवाया जा रहा है । यह वह भी स्वीकार करते हैं कि अनाथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन उन्होंने किया, मगर नक्शा बनाने में जो सहूलियतें उनको नहीं दी गयीं उसी के कारण यह हुआ और इसलिये सरकार को इस प्रश्न पर सोचना चाहिये कि किस प्रकार वह ऐसे मकानों को डिमालिश करवा सकती है । पिछले महीने में ही रात को मेरे पास टेलीफोन आया, मैंने रात को जाकर एक इमारत को डिमालिश होने से रुकवाया । एक व्यक्ति ने बड़ी मेहनत से, १५ हजार रुपया लगा कर अपना मकान बनवाया था, वह उसकी आंखों के सामने गिरवा दिया गया । तो सरकार को इस प्रश्न पर अवश्य विचार करना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो भी स्कीमें हों उनको जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी चालू करना चाहिये । कानपुर में चकेरी में वायुयान का एक कारखाना खोला जा रहा है । और भी कारखाने खुले हैं । जो वायुयान का कारखाना खुलने जा रहा है उसके लिये हवाई अड्डे के पास ७ गांव एक्वायर किये जायेंगे । जिन लोगों की जमीन ली जायेगी उनका कहना यह है कि वे हर तरह का साथ देने के लिये तैयार हैं लेकिन वे यह चाहते हैं कि उनकी जो उपजाऊ जमीन है, उसके बदले में अगर उसी के बगल में कोई दूसरी जमीन है वह ले ली जाय ।

क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि उपजाऊ जमीन को छोड़कर अगर हो सके तो बगल की जमीन लेले ? इससे आजकल के फूड प्रोडक्शन को भी सहायता मिलेगी । इसके अलावा कानपुर में १,४०० गांवों की भूमि सरकार एक्वायर कर रही है क्योंकि कई विकास योजनायें वहां चल रही हैं । मुआवजा जो वहां दिया जा रहा है उसके लिये मैं क्या कहूं ? यही कहूंगी कि अगर सरकार उनको मुआवजा नहीं देती तो कदाचित् अधिक अच्छा होता । ७ पैसे गज जमीन उनसे ली जा रही है और उसे बड़े बड़े लोगों के हाथ ५०-१०० रुपये गज पर बेचा जा रहा है और कहा यह जाता है कि हमारे विकास के खर्चे भी लगे हैं । कई

प्रतिनिधि मंडल इस विषय में माननीय मंत्री जी से मिल चुके हैं। वह स्वयं कानपुर गये भी और लोगों को आश्वासन दिया। मैं आज उनसे फिर निवेदन करूंगी कि जब आप अप्रैल में अवार्ड देने जा रहे हैं और अगर गाजियाबाद के किसानों को कुछ बढ़ाकर मुआवजा दे सकते हैं, गोरखपुर की फर्टीलाइजर फैक्ट्री के किसानों को उचित मुआवजा दे सकते हैं, चन्दौसी और देहरादून में हैवी इलैक्ट्रिकल्स के लिये दे सकते हैं, तो फिर कानपुर के किसानों ने क्या गुनाह किया है? आज कानपुर के लोग जितना कर देने की क्षमता रखते हैं और देते हैं उतना कोई भी शहर नहीं देता है। तो क्या हमारा यही गुनाह है? यह किसानों की सरकार है, किसानों के सहयोग से चलती है। मैं निवेदन करूंगी कि ऐसा मुआवजा दिया जाय जो उचित हो और सन् १८९४ के लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के मुताबिक न हो, आधुनिक बाजार भाव से हो।

एक शंका मेरे मन में उत्पन्न हो रही है। इसलिये मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी जब इस विधेयक पर प्रवर समिति में विचार करें तो इस बात को भी सोचें। आज विकेंद्रीकरण का जमाना है। हमारे बोर्ड के परसोनैल में नान-आफिशियल ज्यादा होने चाहिये जिससे जनता का बोर्ड में अधिक विश्वास हो सके। इस बोर्ड के फंकशन्स और पावर्स बहुत ज्यादा हैं। मैं मानती हूं कि उन्नति के रास्तों पर चलने के लिये किसी न किसी प्रकार की ताकत इस्तेमाल करनी ही होगी और इस बैनीवोलैंट डिक्टेटरशिप के बगैर काम नहीं हो सकता है। परन्तु जो ताकत दी जा रही है उसके नियंत्रण के लिये भी ध्यान रखना चाहिये और वह तभी हो सकता है जबकि नान-आफिशल की संख्या अधिक होगी।

इन शब्दों के साथ मेरा विश्वास है कि दोनों तरफ के लोग इस विधेयक का स्वागत करेंगे और संयुक्त प्रवर समिति में इसे निर्दिष्ट करने की कृपा करेंगे।

*श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, कमलासिंह जी के संशोधन का तो मैं कुछ अंशों में समर्थन करने के लिये तैयार हूं, वैसे तो नहीं था, चूंकि इस बिल के देखने से पता चलता है कि जिस बोर्ड को हम बना रहे हैं वह क्या काम करेगा और वह काम पूरा होगा या नहीं। कितना बड़ा बोर्ड हम बना रहे हैं। वह योजनायें बनावेगा, सड़कें बनावेगा, सस्ते मकान बनावेगा, इत्यादि। गर्ज यह है कि बहुत बड़ा काम वह अपने जिम्मे लेगा। मुझे तो वहम होता है कि ये सब काम यह बोर्ड पूरे कर भी पावेगा या नहीं। क्योंकि वह कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरकार से कर्जा लेंगे। कितना कर्जा सरकार देगी? प्रत्येक नगर में ऐसी मलिन बस्तियां हैं जिनको तोड़ना जरूरी है और वे योजनायें २० लाख रुपये में पूरी नहीं हो सकती हैं। अगर २० लाख की योजना भी बना लें तो आजकल के महंगाई के युग में कल ही दस परसेंट दाम बढ़कर योजना ज्यादा की हो जाती है। फिर इसके फलस्वरूप कैंसिलेशन और आल्टरेशन की योजनायें शुरू हो जावेंगी। आज प्रदेश में कितनी ही ऐसी नगरपालिकायें हैं जिनका एक तिहाई भाग नर्क है, लोग कहते हैं कि लखनऊ बड़ा सुन्दर शहर है, बड़े-बड़े सुन्दर बाग हैं, लेकिन यहां भी बहुत सी जनता महानारकीय जीवन व्यतीत कर रही है। सन् ४७ से आज तक आबादी बहुत बढ़ी है। पाकिस्तान से हमारे भाई आये। आज नतीजा यह हो रहा है कि एक एक मकान में ८,८ और १०, १० परिवार गुजर कर रहे हैं। ऐसे जीवन से जनता को मुक्त करने के लिये काफी बड़ी रकम चाहिये। इसका कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं किया गया है। इसलिये इसकी सफलता में संशय होता है।

इसमें डेवलपमेंट के लिये बैटरमेंट लेवी के नाम से कुछ रखा है। मान लीजिये कि आज कोई जमीन ४ रुपये गज है और कल को वह २० रुपये गज हो जाय, तो उसका १६ रुपये काटकर हम ४ रुपये पर ले लेंगे, यह उचित नहीं है। क्योंकि वह तो आप बना रहे हैं। वहां से उनको निकालेंगे। लेकिन उनको देंगे कैसे? आप उनको उसकी कीमत का मुआवजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हिम्मतसिंह]

दें। आपने कहीं इस विधेयक में यह प्राविधान नहीं किया है कि आगे गरीब आदमी को किस प्रकार से वह मकान आप देंगे। आपने तो लिख दिया कि जिस प्रकार मकान की कीमत आयेगी और आल्टरेशन में जो कीमत लगी है उसका सवा छः परसेंट लेंगे। लेकिन अगर यह प्राविधान करते कि उन आदमियों को हम मकान बनाकर देंगे और उसकी जो आमदनी है उसका अमुक पोर्शन हम लेंगे तो बात समझ में आ सकती थी। इस विधेयक में यह कहीं नहीं लिखा है कि आमदनी के अनुसार हम उस आदमी को मकान देंगे। तो इस सूरत में मैं देखता हूं कि गरीब आदमी को कोई मकान मिल नहीं पायेगा।

मलिन बस्तियों को १९१८ से ले लेकर आज तक आप तोड़ने-फोड़ने में लगे हुए हैं लेकिन उनका सुधार आप नहीं कर पाये। कानपुर को देख लीजिये, क्या हो रहा है? मलिन बस्ती विधेयक पास कर दिया लेकिन उसमें कुछ भी काम न हो सका। आज तक वह आलमारी में पड़ा है। हम समझते हैं कि इस विधेयक का भी यही हाल होगा। मलिन बस्ती विधेयक के अन्दर केंद्र रुपया देगा और वह आप लेंगे। वह काफी रकम हो सकती है। लेकिन इसको आप कैसे निभा पायेंगे? तो इन सब बातों को देखते हुए आपको इस सुधार की तरफ कदम बढ़ाना चाहिये। आबादी बढ़ रही है, वह भी आपको देखना चाहिये। बढ़ती हुई आबादी जो गांवों से आ रही है उसका इन्तजाम आपको करना है, नक्शे ठीक करने हैं, सड़कें जो छोटी-छोटी हैं उनको चौड़ी करना है क्योंकि बड़े बड़े वेहिकिल्स अब चलने लगे हैं। लेकिन यह सब होगा कैसे? २० लाख रुपया जो रखा है उससे यह होगा कैसे? मैं तो समझता हूं चाहे पहले आप एक शहर को लीजिये और फिर दूसरे को लीजिये इस तरह से करके चलिये। इसमें दस बीस साल भले ही लग जायं लेकिन काम ठीक तरह से होना चाहिये। पर जब हम देखते हैं कि आप सारे प्रदेश को एक साथ लेना चाहते हैं तो समझ में बात नहीं आती।

आपने परिषद् का जो संगठन किया है उसमें कुछ जन प्रतिनिधियों को आप और बढ़ा दीजिये। उनको कहां से लें, इसके ऊपर प्रवर समिति में जब यह जा रहा है तो वहां विचार हो जायगा। इसके अलावा इसमें ९८ तो धारायें हैं और उनमें से २४ धाराओं में आपने गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया है तो गवर्नमेंट के अधिकार को भी आपको कम करना है क्योंकि इस तरह तो सब जगह गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट दिखाई देती है। अगर ऐसा करना है तो फिर तो आप एक जी०ओ० निकालकर सारा काम करा लीजिये। इसलिये गवर्नमेंट का जो कदम कदम पर हस्तक्षेप है उसे आपको कम करना पड़ेगा। योजना की बात जो है उसमें थोड़ी काट छांट कर दीजिये। आपने कह दिया कि रुपया नहीं है इसलिये वह अनावश्यक हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिये। तो मेरा मतलब सीधा सादा यह है कि आपका जो विधेयक है, वह है तो वास्तव में ठीक लेकिन दुख तब होता है जब उसको पास कराकर छोड़ देते हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, चेयरमैन महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो यह विधेयक कई वर्ष पहले उपस्थित हो जाना चाहिये था और पास हो जाना चाहिये था, आज उनके जमाने में उपस्थित किया जा रहा है। दूसरा बधाई देने का कारण यह है कि इसका प्रायः सभी दलों ने स्वागत किया है। सभी दलों के लोगों ने इसका स्वागत किया और अपने अपने विचार प्रकट किये। यह खुशी की बात है कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसको पास करने की बहुत जरूरत है।

जैसा कि कानपुर की महिला प्रतिनिधि ने कहा कि वहां पर बहुत से मकानों को तोड़ा जा रहा है जो नियम के विरुद्ध बने हैं। उनके बारे में मेरा यह निवेदन है कि अगर उन मकानों को तोड़ा जाय तो उनकी कीमत दी जाय। गलती उन्होंने की है, यह ठीक है लेकिन शरणार्थी वगैरह जिन्होंने किसी तरह से अपने मकानों को बना लिया है, अगर उनको तोड़ा जाय तो उनकी

कीमत दी जाय । इसी प्रकार से अगर स्लम्स से लोगों को हटाया जाता है तो उनको भी उनकी झोपड़ियों की कीमत दी जानी चाहिये ।

इसके अलावा बोर्ड जिन मकानों को बनवायेगा उनका किराया किस प्रकार से निर्धारित किया जायगा ? इस समय गवर्नमेंट का नियम यह है कि लागत के आधार पर किराया मुकर्रर किया जाता है । यह भी हम सब लोग जानते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग जो मकान बनाता है उसकी कीमत साधारण आदमी द्वारा वैसा ही, उतने ही एरिया का मकान बनाने से चौगुनी लगती है । हमारे यहां इंडस्ट्री विभाग ने कुछ मकान बनाये हैं, उनको ही अगर पी०डब्ल्यू० डी० बनाता तो चार गुनी कीमत लगती । मैं मानता हूं कि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है लेकिन मैंने इस चीज को स्वयं देखा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि उन मकानों का किराया कीमत के अनुसार न लगाया जाय । हमारे यहां भी नगर में इंडस्ट्रियल स्टेट के ६ मकान बनाये थे । उनका किराया ७० रुपया रखा गया जबकि बाजार में वही १० रुपये में मिल सकते थे । नतीजा यह हुआ कि अब तक वे किराये पर नहीं लगे । अब मजबूरन पी० ए० सी० को दिये गये हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार डेवलपमेंट के लिये जो मकान बनाये वह जिस व्यक्ति को मकान दिया जा रहा है, उसकी हैसियत के अनुसार दिया जाय ।

दूसरा सुझाव यह है कि खास कर पहाड़ों में लैण्ड एक्वायर की जाती है । पहाड़ों में कल्टीवेटेड लैन्ड बड़ी मेहनत से तैयार होती है । बहुत-सी जगह ऐसी जगह से सड़क बनायी जाती है जहां से उसको एवाइड किया जा सकता है, दूसरी जगह से रास्ता निकाला जा सकता है लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि नहीं यह रास्ता सीधा ही ले जायेंगे और दूसरी तरफ से ले जाने में तोड़-फोड़ बहुत करनी होगी, तो उस कल्टीवेटेड लैण्ड की जो कीमत आप देते हैं तो आप को यह नहीं सोचना होगा कि अगर इस जमीन को कोई काश्तकार लेता तो उसका क्या रेट होता, लेकिन जब आपने किसी भी काश्तकार की जमीन जबरन सड़क के लिये या सरकारी भवन के लिये ली है तो उसको वही कीमत मिलना चाहिये जो कीमत वहां उस वक्त मौजूद है । मैं ३ उदाहरण दूंगा एक जोशीमठ का, दूसरा गोपेश्वर का और तीसरा चमोली का । सरकार को ध्यान में रखना चाहिये और मेरा अनुभव है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता कि बार्डर क्षेत्र में अगर जनता में असंतोष होता है और लोगों को विश्वास हो जाय कि हमारी जमीन ली जा रही है उसके लिये हमें मुआवजे का ठीक पैसा नहीं मिल रहा है तो उससे हानि हो सकती है । अतः उन स्थानों में सरकार को देखना चाहिये कि भवन निर्माण करते हैं तो उनको क्या कीमत मिलती न कि यह देखें कि काश्त से कितनी कीमत मिलती । देखना यह चाहिये कि जिस जमीन को सरकार एक्वायर कर रही है उसकी क्या ज्यादा से ज्यादा मौजूदा रेट पर कीमत हो सकती है ।

दूसरी बात यह है कि जो जमीन एक्वायर की जाती है वह जितनी जरूरत हो उतनी ही लेना चाहिये । यह न हो, जिस तरह से कि सड़कों के लिये जहां जरूरत होती है, १२,१६, ३० या ३३ फीट ज्यादा से ज्यादा जमीन ले ली जाती है । चौड़ाई में वहां वह ६६ फीट चौड़ी जमीन पी० डब्लू० डी० वाले लेते हैं और उस पर मुनारे लगा देते हैं । पहाड़ में ३० फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क के लिये न ली जाय ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

सदन में श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

मैं श्रीमन्, यह कह रहा था कि जिस वक्त जमीन एक्वायर की जाती है उस वक्त यह खयाल रखना चाहिये कि जमीन जितनी जरूरत चौड़ी सड़क की हो उतनी ही ली जाय । सड़क पहाड़ में १६ फीट से ज्यादा चौड़ी कहीं नहीं होती । दूसरी प्रार्थना मेरी यह है कि पहाड़ में जो

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

जमीन आप लें जितनी कम हो सके उतनी कम ली जाय और सड़क के लिये भी जो आप पहाड़ों में जमीन लें वह कम से कम हो। जो कानून आप मैदानों में सड़क की चौड़ाई के लिये लेते हैं, उस कानून को आप पहाड़ पर लागू न करें। पहाड़ों में जो पी० डब्लू० डी० सड़क बनाता है उनके लिये १२ फुट या १६ फुट पर्याप्त है तो मैं चाहूंगा कि सड़क के लिये आप वहां पर ३० फुट न लेकर कम से कम लें। ज्यादा कदापि न लें।

तीसरे, मैं यह चाहता हूं कि वहां पर जो जमीन का रेट लगाया जाय वह पुराने रेट के हिसाब से न लगाया जाय बल्कि जो मौजूदा रेट हो उसी हिसाब से लगाया जाय। चमोली में मकानों के लिये जमीन १० रुपये पर स्क्वायर यार्ड बिकी है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड द्वारा जो मकान बनाये जायं उनका किराया उन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को देखकर ही लगाया जाय जिन्हें उनको एलाट किया जाय। हां, इस बोर्ड को यह अवश्य चाहिये कि किराये, आदि की शर्तें वह ऐसी बनायें कि रुपया वसूल होने में किसी प्रकार की दिक्कत न होने पावे। ऐसे-ऐसे शब्दों का उसमें प्राविधान किया जाय कि जिससे भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कमला सिंह जी के संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

यह तो माना कि इस विधेयक से लोगों को कुछ आराम मिलेगा लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी देखना जरूरी है कि जितने आपके शहर हैं, उनके आस-पास काश्तकारों की जमीन जो होती है वह बहुत उपजाऊ होती है और जब किसी भी स्कीम के मातहत उसकी यह जमीन ली जाती है तो उसे बहुत थोड़ा मुआवजा दिया जाता है। आपके प्रदेश में बहुत से गांव बड़े-बड़े हैं जिनकी आबादी १५ हजार, १० हजार या ८ हजार है और बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी केवल १०० या २०० ही होती है। जो गांव ऐसे हैं जहां की आबादी सौ या दो सौ ही है वहां की भूमि ऊसर होती है वहां पर अगर एक दूसरा गांव दूसरी जगह से पलट कर लाया भी जाय तो भी वहां पर भूमि एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं होगी पर जो बड़े-बड़े गांव हैं जिनकी आबादी १०, १२ या १५ हजार की है अगर उनमें भी यह स्कीम ले जायं तो वहां के रास्ते भी दुरुस्त हो जायेंगे। एलैक्शन के समय पर आपने देखा होगा कि ऐसे गांवों में शहरों से भी ज्यादा गन्दगी होती है और जब वहां पर गलियों में जाना पड़ता है तो बहुत बदबू महसूस होती है तो अगर आप ऐसी स्कीम गावों में भी ले जायं तो ज्यादा मुनासिब होगा।

सड़कों के बारे में जैसा माननीय मुकन्दीलाल जी ने बताया-बहुत ज्यादा भूमि ले ली जाती है। हमारी तरफ तो १३० फुट भूमि तक ले ली जाती है। उससे बहुत बड़े बड़े खेत बरबाद हो जाते हैं। उनके मालिकों को केवल २ रुपया कच्चा बीघा के हिसाब से मिलता है। तो यह विधेयक जितना आराम पहुंचाता है, उससे ज्यादा काश्तकार को नुकसान पहुंचाता है। हर स्कीम में काश्तकार की जमीन से ताल्लुक होता है। उसकी जमीन एक्वायर कर ली जाती है। १० गज पर या ५० गज पर एक कोठरी अथवा कमरा बना लिया और फालतू जमीन जो बची उसे २० रुपये गज पर फरोख्त कर देते हैं। मुजफ्फरनगर में देवकीपुरा नगर बसाया गया। एक एक आदमी ने २००, ४०० गज भूमि एक्वायर कर ली २,४ रुपये कच्चे बीघे के हिसाब से और अब वे उसे २०-३० रुपये गज के भाव से फरोख्त कर रहे हैं। सरकार को चाहिये कि जो स्कीम वह लाये उसमें अगर जितने लोगों को फायदा पहुंचता है उससे अधिक को नुकसान पहुंच जाता है तो उसे ऐसी स्कीम नहीं लानी चाहिये। इसके अलावा सरकार को गांव की तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। गांव की आबादी भी आपके ही लोगों की है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां भी कोई बड़ी स्कीम लागू की जाय ताकि उनको फायदा हो वर्ना आप के इस विधेयक से कोई लाभ होने वाला नहीं है और उल्टे लोगों को तकलीफ और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि देहात के जीवन की तरफ भी आप देखें और काश्तकार पर भी रहम करें।

श्री महाबीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि इस काम्प्रिहेंसिव बिल पर बोलने का अवसर आप ने मुझे प्रदान किया। जब से इस देश में समाजवादी ढांचा कायम हुआ है तब से बहुत से कदम उठाये गये हैं जो समाजवाद की ओर हमको ले जाते हैं। यह भी जो विधेयक है हमको उसी तरफ ले जाने वाला है। इसके मुताबक गांव से जो गरीब जनता शहरों की झलक को देख कर शहर में बस जाती है उसके लिये निवास स्थान की पूर्ति करने हेतु यह विधेयक बहुत ही उपयोगी साबित होगा। परन्तु खेद है कि इसमें गरीब जनता के लिये प्राविधान नहीं किया गया कि इनकम के आधार पर निवास स्थान दिया जायगा। जब हमारे संविधान में समाजवादी ढांचा बनाने के लिये और कल्याणकारी राज्य स्थापित करने के लिये प्राविधान है तो जो भी कदम उठाया जाय उसमें यह अनिवार्य हो जाता है कि उस लक्ष्य को देखते हुए उसकी पूर्ति की जाय। लिहाजा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति में मेरे इस सुझाव को ध्यान में रखा जाय।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि परिषद् जो कायम की जायगी उसमें ७ आफिशियल्स होंगे और ४ नान आफिशियल्स होंगे। आवास आयुक्त आफिशियल होगा और ५ नान आफिशियल्स में से जिनको गवर्नमेंट नामिनेट करेगी उसमें एक एक्सपीरियंस्ड अभियंता होगा, इस तरह वह भी आफिशियल की कैटेगिरी में होगा। इतनी आफिशियल मैजारिटी के साथ और ब्यूरोक्रेटिक दिमाग से चलने वाली कोई परिषद् किस तरह से उस लक्ष्य की पूर्ति कर सकेगी? तो मेरा यह भी निवेदन है कि संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष इस पर भी विचार हो कि परिषद् का जो गठन है वह कहां तक जनतांत्रिक है? लेकिन जब मैंने इस विधेयक को पढ़ा तो मैंने इसमें पाया और मेरे मित्रों ने भी इसकी ओर संकेत किया है कि परिषद् अपने सब कर्मचारियों को जिनका ५०० रुपये तक वेतन होगा, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श के नियुक्त कर सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि ५०० रुपये के जो कर्मचारी हैं वे गजटेड आफिसर सीनियर रैंक के होते हैं, उनको नियुक्ति परिषद् बिना पब्लिक सर्विस कमीशन के परामर्श के कर सकेगी। इसलिये यह भी दोष रहित नहीं कहा जा सकता है। जब सब कर्मचारी गजटेड रैंक के पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्त होते हैं तो क्या कारण है कि परिषद् के कर्मचारियों को उसकी निगरानी से वंचित किया जाय। यह मेरा तीसरा सुझाव है। इसमें भी देखरेख की जाय और इसमें उचित संशोधन करने की कृपा की जाय।

(इस समय २ बजकर १४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

एक बात मैं और निवेदन करूं कि आवास आयुक्त के संबंध में जो लिखा है उसमें दफा दो जो दी हुई है, उसमें इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। इसमें अध्यक्ष की परिभाषा दी गई है, लेकिन आवास आयुक्त की परिभाषा नहीं दी गई है। इस पर भी उचित ध्यान दिया जाय। इसकी परिभाषा दी जानी चाहिये। इसकी परिभाषा किसी विधि में नहीं है। यह एक आफिसर नियुक्त किया जायगा, इसकी परिभाषा की बहुत जरूरत है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिये इसमें व्यवस्था की गई है। परिषद् को अधिकार दिया गया है कि परिषद् जिस मकान को चाहे तुड़वा दे, जिसको चाहे दुबारा बनवाये या जिस मकान में चाहे उसमें संशोधन करदे यानी उसको पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन यह कहीं भी प्राविधान नहीं किया गया है कि जिन गन्दी बस्तियों में से गरीब जनता को निकाला जायगा तो उनको कहां रखा जायगा। जब तक उनको दूसरी जगह नहीं दी जायगी तब तक वे कहां रहेंगे? क्या वे सड़क पर पड़े रहेंगे? इस बात

[श्री महावीर सिंह---]
का इसमें कोई प्राविधान नहीं किया गया है । मेरा यह भी आदरणीय सदन से निवेदन है कि जब गन्दी बस्तियां में से गरीब जनता को निकाला जाय तो उनके रहने की पहले कोई व्यवस्था कर दी जाय ।

इसके अतिरिक्त बहुत सी बातें कही गई हैं । एक माननीय मित्राने कहा कि म्युनिसिपैलिटीज में रास्ता ठीक करने के लिये, आगे दरवाजा बनाने के लिये या आगे सड़क घेरने के लिये जो प्राविधान है, उनमें जो हमारे प्रतिनिधि हैं, वे लोग दबाव में आकर कुछ नहीं कर पाते हैं । इससे उन्होंने यह मतलब निकाला कि जो परिषद् बनाया गया है वह ठीक है। मेरे खयाल से ज्यादातर इसमें असरकारी व्यक्ति होने चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि आजकल के जनतंत्र के ढांचे की पूर्ति करने के लिये और जो कार्य परिषद् करेगा, उसमें विश्वास दिलाने के लिये इसमें जन प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, जन प्रनितिधि जो होंगे, वह जनता से संपर्क रखेंगे, उन्हें समझ सकेंगे। उनको परिषद् में रखना आज के जमाने में आवश्यक है। यह नहीं कहा जा सकता कि हर एक जन प्रतिनिधि स्थानीय दबाव में आकर उस कार्य को पूरी तरह से निभा नहीं सकेगा, अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर सकेगा। ऐसी भावना रखना हमारे जनतांत्रिक ढांचे को लांछन लगाना है और अपने पर भी अविश्वास प्रकट करना है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो बातें हमने रखी हैं उन पर वह विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

अधिष्ठाता महोदय, यह आवास परिषद् विधेयक जो माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, जिन उद्देश्यों को लेकर और जिस भावना को लेकर यह बिल पेश किया जा रहा है, उसका स्वागत करता हूं । हमारा प्रदेश इस किस्म की परिषद् की स्थापना की काफी दिनों से आवश्यकता महसूस करता था। लेकिन देर आये दुरूस्त आये, अब भी परिषद् की स्थापना हो रही है तो बहुत अच्छी चीज है, जिस भावना और उद्देश्य से लाया गया है वह स्वागत की चीज है । लेकिन मान्यवर, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि कभी कभी उद्देश्य और भावना अच्छे होते हुए भी उसका परिणाम और उसका अमल अच्छा नहीं निकलता है। मैं माननीय महावीर सिंह जी की बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जब कभी हम कोई योजना बनावें या कोई विधेयक सदन में प्रस्तुत करें या और कोई अन्य कार्य करें, तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है ? वह सामने जरूर रहना चाहिए---समाजवादी समाज की स्थापना करने का । अगर हम उस लक्ष्य से कहीं विचलित होते हैं तो योजनायें चाहे जितनी अच्छी हों, उससे हमें लाभ नहीं होने वाला है । हमने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहारा लिया है ।

हम आज तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य से गुजर रहे हैं, जो प्रायः समाप्ति पर है। इस प्रकार तीन तीन पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं और चौथी योजना तैयार हो रही है, लेकिन इन सब योजनाओं के बावजूद आज हर शख्स महसूस करता है कि यह योजनायें जिन उद्देश्यों को लेकर चलाई गयी थीं और जिस भावना को लेकर चलाई गयी थीं कि देश का पिछड़ापन दूर हो, गरीब लोगों का जीवनस्तर उठे, इन लक्ष्यों की प्राप्ति में यह योजनायें सफल नहीं हुई हैं । बल्कि उसके विपरीत इन योजनाओं ने जो हमारे देश में साधन सम्पन्न लोग थे उनको और सम्पन्न और सुदृढ़ बनाया है और जो गरीब लोग थे उनको गरीब और पिछड़ा हुआ बनाने में सहायता की है । मेरे कहने का मतलब यह है कि इन योजनाओं को चलाने के पीछे जो जहनियत काम करती है, उसको हमें देखना होगा और उसे बदलना होगा । हमारी योजनाएं वांछित लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर सकी हैं ? क्योंकि इनके पीछे पूंजीवादी जहनियम काम करती थी और अब भी हमारे देश में वही चल रही है, बढ़ी है घटी नहीं है। हमारे देश में जो भी विकास का कार्य होता है वह उसी रास्ते पर जाता है । हमें भय है कि अगर वर्तमान रूप में इस परिषद् क जो अमल होगा कहीं वह भी उसी रास्ते पर न जाये । और इससे जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए उनको न पहुंचे और ऐसे लोगों को पहुंचे जो इस समय भी साधन सम्पन्न लोग हैं ।

मान्यवर, मैंने इसी लखनऊ नगर में देखा । इसमें जो नगर महापालिका है और उसके जो नगर प्रमुख हैं, वह लखनऊ शहर को एक आकर्षक, स्वच्छ और आदर्श नगर बनाने में लगे हुए हैं, यह बहुत अच्छी चीज है । लखनऊ शहर टुरिस्टों का सेंटर है, यहां बाहर और विदेश से लोग आते हैं और उनके दिमाग में हमारी राजधानी और बड़े शहर का अच्छा असर पड़ना चाहिए । इस दृष्टि से अगर हमारा शहर रमणीक, आकर्षक और सुन्दर बनाया जाता है तो इसमें किसी को विरोध नहीं होना चाहिए । आज जो शहर की सुन्दरता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, पार्कें बना कर, उनमें अच्छी अच्छी फुलवारियां बना कर, उनमें फव्वारे लगा कर तथा सड़कों के किनारे मरकरी लाइट के हंडे लगा कर, यह बड़ी अच्छी बात है लेकिन इसके पीछे देखने की बात यह है कि यह विकास किसका हुआ, और किस जगह का हुआ ? यह विकास उस इलाके का हुआ जो पहले से विकसित इलाके हैं । जो हजरतगंज और उसके आस-पास का इलाका है, जहां शहर के बड़े विकसित लोग रहते हैं और जो पहले से ही विकसित हैं । हमारे नगर प्रमुख और नगर महापालिका या विकास करने वालों का ध्यान उन बस्तियों की तरफ नहीं गया जहां आज भी रोशनी नहीं पहुंच सकी है, जहां आज भी गन्दगी की वजह से लोग जाना पसन्द नहीं करते हैं । जहां हजरतगंज जैसा शान शौकत वाला मार्केट है उसके पीछे ही एक मलिन बस्ती है जहां लगभग १५० आदमी रहते हैं और जो एक एक कोठरी में १०–१२ आदमी तक औरतें, बच्चे, लड़के सभी रहते हैं । उन कोठरियों के वे किराये देते हैं लेकिन २०–२५ साल हो गये, उन कोठरियों की सफाई तक नहीं हुई है । उन १५० आदमियों के लिए नगर महापालिका ने केवल एक संडास का इंतजाम कर रखा है और पानी पीने के लिए एक नल का इंतजाम कर रखा है । कहने का मतलब यह है कि उसके पीछे वह पूंजीवादी जहनियत है जिसके मातहत यह विकास हो रहा है । यह विकास अच्छा है लेकिन आपका ध्यान मैं कुछ विशेष बातों की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां तक विकास का संबंध है नगर प्रमुख का ध्यान डालीगंज की उस मलिन बस्ती की तरफ नहीं गया मुकारिब नगर की उस हरिजन बस्ती की तरफ नहीं गया जिसके करीब वे स्वयं रहते हैं । उनका ध्यान गाजी हैदर कैनाल के किनारे बसने वाले और छोटी छोटी झोंपड़ियों में रहने वाले उन हजारों गरीब लोगों व मजदूरों की तरफ नहीं गया जिनका विकास करना बहुत आवश्यक था । मेरे कहने का मतलब यह है कि यह परिषद् भी कहीं उसी रास्ते पर न जाय जिससे उन लोगों को फायदा पहुंच जाय जिनको नहीं पहुंचना चाहिए बल्कि उनको फायदा पहुंचाया जाय जिनको कि जरूरत है ।

श्रीमन्, मुझे इस बात की शंका क्यों होती है ? इस परिषद् के गठन को देखें तो इसमें ५ तो गैरसरकारी सदस्य होंगे और ६ या ७ सरकारी सदस्य होंगे। इन ५ गैरसरकारी सदस्यों में एक सदस्य होगा किसी नगर महापालिका का नगर प्रमुख । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबकि हमारे प्रांत में सैकड़ों नगरपालिकायें हैं, तो किसी नगरपालिका के चेयरमैन को इसमें उन्होंने क्यों नहीं रखा ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

हमारे प्रदेश में केवल ५ नगरमहापालिकायें हैं, उनके एक प्रतिनिधि को तो इसमें रखा गया है लेकिन सैकड़ों नगरपालिकायें, टाउन एरियाज व नोटिफाइड एरियाज हैं जिनका कोई प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रखा गया है, इससे शंका होती है और भय होता है कि इसके पीछे आपकी जहनियत क्या है । इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि इसमें कोई ठोस चीज का प्राविधान होना चाहिए कि इस विधेयक के जरिए, इस परिषद् के जरिए हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, किन किन बस्तियों का सुधार कर सकते हैं और किन किन लोगों के सुधार के लिए किस प्रकार से बस्तियों का सुधार हो सकता है । किस प्रकार से सफाई की अच्छी व्यवस्था हो सकती है तथा किस प्रकार से लोगों के रहने के लिए अच्छे मकान बनवाये जा सकते हैं और इसके लिए प्रायरिटी फिक्स होनी चाहिए । जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए, हरिजनों के लिए, कुलियों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे छोटे दूकानदारों के लिए, सेक्रेटेरिएट में काम करने वाले तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए जो आज छोटी छोटी

[श्री भीखा लाल--]

कोठरियों में रहते हैं, उनके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। आप मलिन बस्तियों का सुधार करेंगे, मलिन बस्तियों में मकान बनायेंगे, मकान बनाने के बाद यह दूसरी जगह पर योजना बनायेगा, मकान बनायेगा। तो इन मकानों को वह या तो बेचेगा या किराये पर देगा या हायर परचेज सिस्टम पर देगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वह मकान किस के हाथ बेचे जायेंगे, किस को किराये या हायर परचेज पर दिये जायेंगे, इसके लिए प्राथमिकता इस विधेयक में ही दी जानी चाहिए। वरना नतीजा यह होगा कि जैसे सदन में रोज प्रश्न आते हैं कि फलां अफसर ने मकान बना लिया एडवांस लेकर, फलां ने यह कर लिया। वैसे इनका फायदा भी उन लोगों को ही पहुंचेगा जो साधन संपन्न होंगे। जो गरीब होंगे उनको इसका फायदा नहीं हो सकेगा।

एक बात और कहना चाहूंगा। आपने अभी हाल ही में एक मलिन बस्ती सुधार विधेयक, १९६२ बनाया था और अब एक दूसरा विधेयक आवास परिषद् का बना रहे हैं। करीब-करीब वही व्यवस्थायें इस मलिन बस्ती सुधार विधेयक में हैं और वही उसमें हैं। अब कहा जाता है कि इसमें किसी दूसरी विधि के होते हुए भी जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, वही लागू होगी। अगर दो विधेयक एक ही चीज के लिए है और आप इसको ज्यादा कांप्रिहेंसिव समझते हैं तो आप पिछले विधेयक को निरस्त कर दीजिए और दूसरे विधेयक में ही पूरी व्यवस्था करिए। दो चीजें रिस्पर विरोधी हैं और एक दूसरे से टकराव करती हैं तो उनको रखने की क्या आवश्यकता है। इसमें जो अच्छी चीज हैं उनको उसमें इन्कारपोरेट कर लीजिए और दोनों को मिलाकर एक नया बिल बना कर सदन में पेश कीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि एक ही विषय पर दो या चार विधेयक बनें।

दूसरी बात मैं कहूंगा माननीय मंत्री जी से कि परिषद् अपनी योजनाओं को लागू करने के सिलसिले में भूमि का अर्जन करेगी और भूमि का अर्जन करने के लिए लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट १८९४ का सहारा लेगी। मान्यवर, इसके सिलसिले में मुझे यह कहना है कि यह अधिनियम बहुत पुराना है और आज की परिस्थिति को देखते हुए उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरह से भूमि का मुआवजा या कीमत निश्चित करने के लिए तरीके उसमें दिए हुए हैं उससे उचित मुआवजा या उचित कीमत उस व्यक्ति को आज नहीं मिल पाती जिसकी जमीन ली जाती है। और आये दिन यह प्रश्न यहां उठता रहता है चाहे वह गाजियाबाद के संबंध में हो अथवा किसी दूसरे स्थान के। इस प्रश्न पर, आज मैं समझता हूं कि सरकार भी गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है। जैसा कि मैंने पिछले दिन असेंबली में कहा था कि माननीय माल मंत्री ने इसके लिए एक समिति भी बनायी थी। स्टैंडिंग कमेटी में यह प्रश्न आया था रेवेन्यू विभाग का, और उसने विचार करके इसके लिए एक उप समिति बनायी थी कि वह अपने सुझाव इस पर देगी ताकि उसके आधार पर लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में अमेंडमेंट किया जा सके। मुझे पता नहीं कि उसने कोई रिपोर्ट दी भी है या नहीं।

एक सदस्य--

उसने कुछ नहीं किया।

श्री भीखालाल--

तो आज परिस्थिति ऐसी ही है। आज तक उसमें कुछ नहीं हुआ। आज जमीन की कीमतों में और मुआवजे की दरों में बड़ा अन्तर है। इसलिए उसका सहारा न लेकर इसमें निश्चित प्राविजन किया जाय कि मौजूदा बाजार भाव से मुआवजा दिया जायगा। अगर यह नहीं करेंगे तो इसमें बहुत पेचीदगियां उठेंगी, मुकदमेबाजी होगी और लोगों को हार्डशिप होगी और जिनकी जमीनें ली जायेंगी उनको बड़ा नुकसान होगा।

एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं उस संबंध में अभी माननीय तेजसिंह जी ने बड़ी सुन्दर बात कही। आप मलिन बस्तियों के सुधार के लिए उनको डिमालिश करना चाहते ह

या उनको नया बनाना चाहते हैं तो उनमें जो मकान बनाये जायं वह उन्ही लोगों को वापस दिये जायं जिन के मकान वहां बने हुए हैं और मैं समझता हूं कि ऐसा ही होगा। लेकिन इस के साथ साथ जिन लोगों की जमीनें वहां थीं या मकान थे और उनको जो अधिकार मलिन बस्ती हटाने के पहले भूमि में प्राप्त थे वही अधिकार आपके सुधार के बाद भी उनको प्राप्त होने चाहिए। अगर किसी की पट्टे पर जमीन है और लगान देता है तो वही लगान उसका होना चाहिये और अगर रेंट फ्री जमीन है, तो वही व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर कोई नयी मुसीबत इस व्यवस्था को लागू करने के बाद न हो। मलिन बस्तियों के सिलसिले में आप नोटिस देकर मकान गिरवायें। और जब तक कि नये मकानात बनेंगें, तब तक उन घरों में रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी। आपने प्राविजन किया है कि जहां तक संभव होगा उनके लिए आल्टरनेटिव एकोमोडेशन जरूर प्रदान की जायगी। तो यह कोई नयी चीज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक संभव हो, इन शब्दों को निकाल कर ऐसी व्यवस्था करें कि जिनके मकान गिराये जायेंगे और जो आपकी स्कीम में आयेंगे, उनके लिए आल्टरनेटिव एकोमोडेशन का प्रबंध अनिवार्य रूप से उनके घरों को गिराने से पहले होना चाहिए, अन्यथा लोगों में योजना के प्रति सहानुभूति नहीं रहेगी, बल्कि उनको परेशानी होगी।

एक बात और कहना चाहता हूं कि कानून रोज रोज नहीं बना करते हैं। इस अधिनियम के जरिए से बहुत बड़ी-बड़ी कल्पनायें की गई हैं कि सड़कें बनेंगी, इमारतें होगी, रोशनी आदि का इंतजाम करेंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार उनको पूरा करने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन एक बात जरूर होनी चाहिए जैसे कि कानून रोज नहीं बनता है, बहुत दिनों के लिए बनता है और उसका प्रभाव काफी दिनों तक रहता है और जब तक आवश्यकता न हो संशोधन नहीं किया जाता है। इसलिए इसमें ऐसा प्राविजन कीजिए कि आपकी परिषद् की योजना गांवों में भी लागू हो। कुछ माडल विलेजेज बनाइये, जिससे जनता समझे कि सरकार का रुख वाकई जिन लोगों को जरूरत है, उनको सुविधा प्रदान करने का है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक धारणा बनेगी कि जो पहले से ही अच्छे हैं उनकी ही तरक्की की योजनायें आप बना रहे हैं और जो पिछड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, जिनके यहां सफाई तथा रोशनी आदि का प्रबंध नहीं है, उनके लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है। इसलिए इस विधेयक में इसका भी प्राविजन होना चाहिए कि देहातों के लिए भी योजना बने। इस विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं। मैं एक एक चीज पर नहीं जाऊंगा क्योंकि उन पर प्रवर समिति में और जब यहां खंडशः विचार होगा तब विचार किया जायगा। मैंने सैद्धांतिक रूप से कुछ चीजें कही हैं और मुझे आशा है कि उनकी रोशनी में मंत्रीजी इस बिल को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक मंत्री जी ने रखा है, यह आज से पहले आना चाहिए था। हम तीसरी योजना के अंतिम वर्ष में चल रहे हैं। एक नियोजित विकास कर रहे हैं, इसलिये ऐसे विधेयक को पहले आना चाहिए था, या तो यह पहले आता या कुछ देर बाद आता, यह समय जहां तक मैं समझता हूं इसके लिए उपयुक्त नहीं था। इस विधेयक में बहुत कुछ अधिकार हमने अपने अधिकारियों को दिए हैं। परिषद् तथा आयुक्त को बहुत अधिकार दिए हैं और प्रजातंत्र का यह एक रूप है कि जो विधेयक बनते हैं उनमें कुछ न कुछ अधिकार नागरिकों के छीन कर अधिकारियों को देते हैं। यह बात आप हर विधेयक में पायेंगे। इस विधेयक में मैं जो कह रहा था कि आज इसका समय उपयुक्त नहीं था, वह इसलिए कि आज हमारा देश ऐसी परिस्थिति में चल रहा है, जिसमें मैं समझता हूं कोई भी विधेयक, जिसका जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़े,जिसमें जनता पर कर लगाना पड़ जाय, जो एक दो साल टाला जा सकता था, वह इस समय न आता तो अच्छा था। जैसा मैंने शुरू में कहा यह विधेयक पहली योजना में ही आ जाता तो अच्छा रहता। मंत्री जी ने जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, वह ठीक है। जहां तक नीतियों का संबंध है, इसका उद्देश्य यह है कि प्रदेश में और विशेषकर शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर किया जाय। इससे हम र मत . स्वयं हमारी

[श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद)---]

सरकार की घोषित नीति है कि हर उस काम को जिसको जनता में करना चाहते हैं, विकेंद्रीकरण के द्वारा करा सकें तो अच्छा है। मेरा सुझाव है कि इस परिषद् को इस प्रकार बनायें कि जिस नगरमहापालिका, नगरपालिका, टाउन एरिया या नोटीफाइड एरिया का परिषद् विकास करना चाहे या परिषद् जहां समझे कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए तो उसके विकास के प्रबंध का सारा भार, उन्हीं क्षेत्रों के निकायों पर पड़ना चाहिए। मेरा मतलब यह है कि परिषद् का मुख्य काम यह हो कि यह देखें कि कहां योजना बनाना आवश्यक है और जब यह निश्चय हो कि इस योजना जो फलां जगह लागू करना है, तो परिषद् का मुख्य काम यह हो....

एक सदस्य---

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुई।)

श्री जगदीश प्रसाद (मुरादाबाद)---

मैं यह कह रहा था कि परिषद् का मुख्य कार्य यह हो कि वह यह देखे कि किस क्षेत्र में चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या देहाती क्षेत्र हो, यह योजना लागू करनी जरूरी है। और जब क्षेत्र घोषित हो जाय, तो उसके लिए योजना तैयार करे, स्थानीय लोगों के मशविरे से और उस योजना के चालू करने का भार अधिकतर स्थानीय निकायों पर रहे हैं, चाहे वह क्षेत्र टाउन एरिया हो, नोटीफाइड एरिया हो, नगरपालिका हो, या क्षेत्र समिति हो। परिषद् की सदस्यता के विषय में मेरा सुझाव है कि इसमें दो प्रकार के सदस्य हों, एक स्थाई परिषद् के मेम्बर जो हमेशा रहें, और कुछ ऐसे सदस्य हों कि जिस क्षेत्र के विकास की योजना बनाई उस क्षेत्र के सभापति प्रमुख या चेयरमैन हों और एक दो आदमी और हों, जो अपने क्षेत्र के बारे में आवश्यक सुझाव दे सकें। और परिषद् का कार्य अधिकतर इस बात तक सीमित रहे कि जो रुपया अनुदान या ऋण में सरकार दे सकती है वह उस इकाई को दें। उसको सहूलियत दिलाये और यह देखे कि उसका उपयोग सही तरीके से हो रहा है या नहीं। यदि आवश्यक हो तो इस बात को भी देखा जाय और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में कि वहां पर इससे क्या सुविधा देनी आवश्यक होगी। मेरा खयाल है कि कि वहां पर कम परेशानी है। जहां तक वहां के लिए आवश्यकता का संबंध है वहां पर इतनी अधिक जनसंख्या में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है कि जिसके कारण वहां पर ऐसी आवश्यकता हो। दूसरी बात यह है कि वहां पर मकान इतने बने हुए नहीं हैं जिनको गिराने, तोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह योजना हो कि वहां पर कई वर्ग के आय वालों के लिए अलग अलग मकानों के नमूने होने चाहिए कि कितना धन लगेगा और किस तरह से मकान होंगे। यह ग्रामीण क्षेत्र में किया जाय तो इससे वहां कुछ लाभ हो सकता है।

जहां तक अधिकार की बात है इस विधेयक के अन्दर जो अधिकार प्रशासन को, आयुक्त को और अन्य नियुक्त अधिकारियों को दिए गये हैं वह कई किस्म के हैं। सुधार करना, किस जगह किस मकान का क्या करना है या नहीं करना है, वह खुद करेगा या अधिकारी करायेंगे। वह खुद नहीं करेगा तो अधिकारी को स्वयं अधिकार होगा कि वह करे। फिर वह व्यय को वसूल करने के लिए कार्य करे, खाली करना, गिराना, व्यय निर्धारित करना, उसको वसूल करना, वह वसूल न हो तो मलबे से वसूल करना इत्यादि अधिकार की बातें हैं। किसी की जमीन ली गई है तो उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। इसमें आवास शुल्क वसूल करना भी शामिल है, उसको भी वसूल करना होगा। ये सब इतने बड़े अधिकार हैं कि इनका उपयोग यदि इस समय हुआ तो मैं नहीं समझता कि इससे कितना विकास आप कर सकेंगे और कितने मकान आप बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे लेकिन इतना जरूर होगा कि इससे असंतोष जनता में फैलेगा। हम सब इस बात के जानकार हैं और किसी से यह बात छिपी हुई नहीं है कि कानून हम यहां पर बनाते हैं लेकिन उसके कार्यान्वित करने के लिए हमको सरकारी कर्मकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मैं नहीं समझता कि हमारी सर्विसेज के लोग या जो सेवा में लगे हुए व्यक्ति

या अधिकारी हैं व खराब हैं या गिरे हुए हैं। वे अच्छे हैं---वह चाहते हैं कि काम करें लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि आज हम जो कानून बनाते हैं या यह कह देते हैं कि यह छज्जा आगे नहीं बढ़ेगा, यह लिन्टर नहीं बनेगा, लेकिन देखते हैं कि वह कुछ दिन के बाद आगे निकल जाता है। होता क्या है, यह होता है कि २५ रुपये जमा करके उससे २०० रुपया ले लिया जाता है और बाकी सब जेब में चला जाता है। उसकी परमिशन दे दी जाती है और वह छज्जा व लिन्टर बढ़ जाता है। यह हमारे रोजाना के अनुभव की बात है और हम आसानी से इसको दूर नहीं कर सकते हैं। इसका इलाज क्या है? जो इस प्रकार के कानून हैं उनमें यह होता है। इसी तरह का यह विधेयक आया है। अच्छा है लेकिन प्रवर समिति में यह जा रहा है इसलिए मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करे कि जो भी इस प्रकार के कार्य हों जिनमें अप्रिय अधिकारों का प्रयोग करने की बात हो वह उनसे ही कराये, वह इस सरकार के कर्मचारियों के द्वारा न कराये। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा। अब यह प्रवर समिति को जा रहा है जब वहां से वापस आयेगा तब इस पर विचार होगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्यवर उपाध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक को जनमत संग्रह में भेजने के विचार का मैं समर्थन करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विधेयक को सरसरी निगाह से देखने का प्रयास किया, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चित्र आज हमारे प्रदेश का है उसे एक वाक्य में माननीय मन्त्री जी ने अपने उद्देश्य और कारण में व्यक्त कर दिया है। कि "ग्रामीण क्षेत्रों से नागर क्षेत्रों में लोगों के प्रवास करने, विस्थापित व्यक्तियों के आ जाने और पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य के बढ़ते हुये प्रभाव के फलस्वरूप तथा अन्य कई कारणों से इस राज्य के नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।" माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्रामीण अंचल के लोग हटते जा रहे हैं, नगरों में शरण लेते जा रहे हैं, साथ ही जो पंचवर्षीय योजनायें चल रही हैं, इस प्रदेश में उनके कारण से भी नगरों का विकास हो रहा है, गांव उजड़ते जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से कि यह जो चित्र है जिसका चित्रण आपने परोक्ष रूप से किया है, क्या आप चाहते हैं कि यह गति इस प्रदेश में चलती रहे? यदि आपने इस गति को चलने दिया तो आने वाले चन्द वर्षों में इस प्रदेश का ग्रामीण अंचल उजाड़ हो जायगा और उसकी दुर्दशा असहनीय हो जायगी। इसलिए मैं इसके उद्देश्य और कारण से भी असहमति प्रकट करता हूं और जिस विचार से रखा गया है उसका विरोध करता हूं। इससे तो हमारा ग्रामीण जन-जीवन और कारुणिक हो जायगा।

मैंने कष्ट के साथ देखा कि परिषद् के गठन की व्यवस्था दोषपूर्ण है जिसका जिक्र कई माननीय मित्रों ने किया, उसमें ऐसी व्यवस्था है कि कुछ सरकारी व्यक्ति ही इस परिषद् का कार्य संचालन करें। इसमें ६ पदेन सदस्य हैं और उनके अतिरिक्त ५ मनोनीत होंगे सरकार द्वारा। उसमें भी एक अनुभव प्राप्त अभियन्ता अवश्य होंगे और हो सकता है कि उन ४ सदस्यों में भी हमारे रिटायर्ड अफसर आ जायें। मैं देखता हूं कि आजकल ऐसी बीमारी हमारे देश में इस कांग्रेसी हुकूमत के चलते फैल गयी है कि जो अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं, जो सरकार की चापलूसी करते हैं और सरकार की पार्टीबाजी में हिस्सा लेते हैं, उनको अवकाश प्राप्ति के बाद भी अच्छे-अच्छे ओहदे दिये जाते हैं----उनके खाने कमाने के लिए और उनके ऐश व आराम के लिए। मैं उसके उद्देश्य के प्रति आपत्ति प्रकट करते हुये चाहता हूं कि उसको जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाय ताकि जनता को मौका मिले कि वह अपनी राय दे सके।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के युग में इस प्रकार का सरकारीकरण का विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे माननीय मन्त्रि गण बहुत जोर के साथ सदन में कहा करते हैं कि पंचायत राज के मामले में और प्रजातांत्रिक

[श्री मैनेजरसिंह--]

विकेन्द्रीयकरण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अग्रणीय है इस लिए है कि पंचायत राज ऐक्ट पूरे प्रदेश में लागू है। लेकिन आपने उन अधिनियमों में जनता को कोई अधिकार नहीं दिया है, केवल इस अधिनियम को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया है। आप कहते हैं कि बिहार तो क्रमशः अपने पंचायत राज ऐक्ट को लागू कर रहा है, हमारे दक्षिण के बहुत से प्रदेश खंड खंड में या प्रदेश के स्तर पर धीरे-धीरे लागू कर रहे हैं। मैं नम्रतापूर्वक माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अन्य प्रदेशों में जहां प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के नाम पर जनता को कुछ अधिकार दिये जा रहे हैं, वहीं प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीयकरण के नाम पर हमारे यहां सरकारीकरण की मनोवृत्ति कार्यरूप में परिणत हो रही है और यह विधेयक उसी का प्रमाण है। मैं नहीं समझता कि आवास परिषद् की बैठकों को वित्त सचिव या आवास सचिव समय निकाल कर उस में भाग ले सकेंगे क्योंकि उनके पास बहुत से काम हैं। वे कैसे समय निकाल सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया। इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि यहां के मन्त्रि परिषद् के ९० फी सदी मन्त्री ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं है, आप भी श्रीमन्, मुसकरा कर मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, जो विभागीय सचिव लिख देते हैं उसी का यह लोग समर्थन कर देते हैं। कुछ तो ऐसे मन्त्री हैं कि जिनकी जहनियत ऐसी नहीं है कि वे ऐसे मसलों पर विचार कर सकें, जैसे गृह मन्त्री जी हैं, जिनके बारे में आये दिन यहां चर्चा होती है, वे कहते हैं कि प्रजातन्त्र के कारण ही अपराध बढ़ रहे हैं। अगर उनकी बात को मान लिया जाय तो प्रजातन्त्र समाप्त हो जाना चाहिये। अगर आप इस बात को नहीं मानते हैं तो ऐसे नालायक मन्त्री को, जिसका प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं है, हटा देना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकांश मन्त्री ऐसे हैं कि उनको समझने और पढ़ने का अवसर नहीं है, माननीय स्वशासन मन्त्री जी ने भी इस पूरे विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा भी नहीं होगा, वे शायद कोई नोट इस सयम पढ़ रहे हैं। उधर के बैठने वाले जो अधिकांश हमारे साथी रहे हैं और जिन्होंने अपनी जवानी देश के लिए कुरबान कर दी है, मुझे अफसोस है कि आज वे आफिसरों के चक्कर में आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जल्दी समाप्त करें, ४ बजे तक इसे समाप्त होना है।

श्री मैनेजरसिंह--

जिन आई० सी० एस० आफिसरों ने आजादी के दिनों में हमको कुचला, जो हमारी भावनाओं को कुचलते थे, वही आज इस सचिवालय में बैठ कर प्रदेश के विकास का स्वांग रच रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर हम आज चल रहे हैं। आप आवास आयुक्त तक आई० सी० एस० नियुक्त करेंगे, विकास आयुक्त भी आप ने एक आई० सी० एस० रखा है, यह क्या काम करेंगे? धारा ५ में आप ने रखा है कि आवास आयुक्त यदि वह अध्यक्ष नियुक्त न किया जाय" यानी आप आवास आयुक्त को अध्यक्ष भी मनोनीत कर सकेंगे। इस तरह से क्या आप एक दूसरे सदरे रियासत का पद सृजन करने जा रहे हैं? जब आप को ऐसा करना है तो आप इस आदरणीय सदन की स्वीकृति क्यों लेते हैं? कई और तरीके हैं इसके लिये जिसके जरिये आप यह पद सृजन कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, इसके द्वारा प्रदेश के शहरों का नवनिर्माण नहीं हो सकेगा और इससे तरह-तरह का भ्रष्टाचार फैलेगा। हमारे उधर के साथी माननीय जगदीश प्रसाद जी ने ही ठीक ही कहा है कि इसमें जो भूमि वितरण की व्यवस्था है उसमें भ्रष्टाचार फैलने की गुंजाइश है।

श्रीमन्, यह सरकार अगर जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास करती है तो इसे चाहिये कि वह जनता के नुमाइन्दों की एक कमेटी बनाये, उसके नुमाइन्दों को ही जगह जगह पर बिठाये और अधिकार दे। मैं यह नहीं कहता कि वे १०० फीसदी अच्छा काम करेंगे, वे स्थानीय प्रभाव में आकर गलत काम भी कर सकते हैं।

म्युनिसिपैलिटी का जिक्र हुआ। कुछ अंशों में यह सत्य है लेकिन फिर भी वह डरता है। उसका कार्यकाल ५ साल या तीन साल का होता है।वह डरता है कि जनता उसको उतार देगी, जनता उस से जवाब तलब करेगी। हालत तो यहां तक पहुंच गयी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी की शिकायत होती है उस अधिकारी को तरक्की दे दी जाती है। अभी मुजफ्फर साहब के विभाग का जिक्र हुआ कि दो लोग बिना टिकट पकड़े गये---एक इन्स्पेक्टर और एक कन्डक्टर। कन्डक्टर को मुअत्तल कर दिया गया और इन्स्पेक्टर को तरक्की दे दी गयी और माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अभी जांच हो रही है। एक और विभाग का जिक्र हुआ। जिस अधिकारी के खिलाफ अभियोग प्रमाणित हो गया, अदालत ने उसके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किये लेकिन उसके बाद भी उसकी तरक्की कर दी गयी और जब माननीय मन्त्री जी से कहा गया तो उन्होंने बताया कि पदोन्नति स्ट्रिक्चर्स के पहले हो गयी थी। आज तो जमाना यह हो गया है जो बेईमान अधिकारी है वह बिलकुल निडर है और ईमानदार आदमी डरता है, उसको तरक्की नहीं मिलती और बेईमान आदमियों के हौसले बढ़ाये जा रहे हैं। इसलिए इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिए भेजा जाना चाहिये।

आपने बताया कि इस विधेयक में मलिन बस्तियों के निर्माण की योजना बनायी गयी है। इन बस्तियों में अधिकतर मजदूर और हरिजन लोग भी रहते हैं। लेकिन इस विधेयक के द्वारा आप उन गरीबों की कोई मदद नहीं कर सकते। आपने इसमें कहीं नहीं लिखा कि जिन लोगों को यहां से हटाया जायगा उनके आवास की व्यवस्था की जायगी। परिषद् का यह प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये कि उनके आवास की वह व्यवस्था करे। जहां से यह हटाये जाते हैं वहां तो आपके आफिसर लोग प्लाट खरीद लेते हैं। चाहे गाजियाबाद का मास्टर प्लान हो या इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कोई स्कीम हो, आप जांच करायें कि कितने बड़े-बड़े अधिकारियों ने वहां की जमीनों को खरीदा है। और अपने मकानों को खड़ा किया है। तब आप को पता लगेगा कि विकास के नाम पर गरीबों का विनाश किया जा रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि यह विधेयक जनतन्त्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, इसलिए इसको या तो जनमत संग्रह के लिए भेज दिया जाय या इसको वापस लेकर जनतन्त्र की भावनाओं के अनुसार दूसरा विधेयक लाया जाय।

श्री जियाउर्रहमान (जिला उन्नाव)--

उपाध्यक्ष महोदय, जिन वजूहात के तहत यह विधेयक लाया गया है, उनमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। जिस प्रदेश की ज्यादातर आबादी कीड़े मकोड़ों की तरह जिन्दगी बसर कर रही हो, उनके रहने का कोई बेहतर इन्तजाम न हो, बस्तियां गन्दी हों, तो ऐसी सरकार को, जो दावा करती है कि वह समाजवाद लाना चाहती है, उसका यह फर्ज है कि वह उन बस्तियों की तरफ देखे और उनका सुधार करे। बड़ी सही बात कही, बहुत से माननीय सदस्यों ने कि यह विधेयक बहुत पहले आ जाना चाहिये था और मेरा यह खयाल है कि जनतन्त्र की स्थापना के बाद जो पहला कदम इस सरकार को उठाना चाहिये था वह यही उठाना चाहिये था कि वह हरिजन बस्तियों और उन गरीबों की बस्तियों को जिनमें कि कीड़े-मकोड़ों की तरह जिन्दगी वह गुजार रहे हैं, उन की सफाई हो और उनके रहने की भी एक अच्छी और सेहतमन्द जगह बने। लेकिन आज भी अगर हम देर से इस बात को सोच सके तो यह भी गनीमत है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत सही है कि अगर हम कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं और उन गन्दी बस्तियों की सफाई करना चाहते हैं तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि क्या उन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग कोई खुश हैं इस बात से कि वह उन गन्दी बस्तियों में रहते हैं, उनको सफाई की जगहों में रहना पसन्द नहीं है? यकीनन यह बात नहीं है। वह चाहते हैं कि वह भी एक अच्छी और साफ सुथरी जगहों पर रहें। लेकिन वह साधनविहीन हैं, उनके पास साधन नहीं हैं, उनके पास जरायें नहीं हैं। हमारा यह विधेयक जो सामने है उसमें बहुत सी खामियां और कमजोरियां हैं जिनकी वजह से माननीय मन्त्री जी ने यह मुनासिब समझा कि वह प्रवर समिति के सामने जाय और ठंढे दिल से उस पर वहां विचार हो कि कौन सी बेहतर सूरतें

[श्री जियाउर्रहमान—]

अख्तियार की जायं और कैसे एक अच्छी व्यवस्था कायम की जाय। मैं उस प्रस्ताव का जो माननीय मन्त्री जी ने रखा है, स्वागत करता हूं और उस के साथ-साथ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मलिन बस्तियों के सम्बन्ध में एक बात हमें अपने जेहन में रखनी होगी। मलिन बस्तियां दो तरह की हैं। एक तो वह बस्तियां हैं जो कुछ सरमायेदारों ने अपने निजी फायदे के लिए हाते बना बनाकर और छोटे-छोटे चूहों के बिल जैसे बना बना कर किराये पर उठा रखी हैं, जो उन्होंने बेजा मुनाफाखोरी की गरज से हाते के हाते घेर लिये हैं, और उनमें गरीबों को रखकर उनसे किराया वसूल करते हैं और उससे अपना फायदा उठाते हैं। दूसरी मलिन बस्तियां, उपाध्यक्ष महोदय, वह हैं जो उन गरीब इन्सानों की हैं चाहे वह हरिजन हों, चाहे मजदूर हों, जिन्होंने कि सिर्फ इस वजह से कि उनके पास साधन नहीं थे अच्छी जिन्दगी गुजारने के और अच्छी जगह रहने के, इसलिए अपना सिर ढकने के लिए एक छोटा-मोटा मकान बना लिया। तो हमको मलिन बस्तियों को गिराने और सुधारने के सिलसिले में इन दो किस्म की मलिन बस्तियों में फर्क करना पड़ेगा। हमको यह सोचना होगा कि वह मलिन बस्तियां जो सरमायेदारों ने अपनी जाती मुनाफाखोरी की गरज से छोटी-छोटी कोठरियां बनाकर किराये पर उठा रखी हैं उन के साथ हम दूसरी व्यवस्था करें और उन गरीबों की बस्तियों के साथ जो उन्होंने अपनी छोटी मोटी पूंजी से अपने लिए मकान बना रखे हैं, उनके साथ दूसरी व्यवस्था करें। हम को यह भी सोचना होगा कि उनमें रहने वाले जो गरीब और पिछड़े हुये लोग हैं और जिन के पास साधन नहीं हैं उनको हम कम से कम टैक्स कर के उससे बेहतर रहायश का इन्तजाम दे सकते हैं तब तो हम उनको टैक्स करें और अगर हम उसके बजाय यह करने जा रहे हैं कि एक तरफ मलिन बस्तियों को खत्म करें और दूसरी तरफ दूसरी मलिन बस्तियां आबाद करें और उस से ज्यादा खराब हालत में आबाद करें, इसलिए कि जो थोड़ी बहुत पूंजी उनके पास थी वह तो उन्होंने अपनी इस छोटी मोटी झोंपड़ी को बनाने में खर्च कर दी, उनके पास कोई सरमाया नहीं है और वह भी अगर आप उन से छीन लें तो वह जो आबादी होगी वह तो उस से भी ज्यादा खराब होगी, उसमें उससे भी ज्यादा सड़ांध होगी, गन्दगी होगी। हमें गौर करना चाहिये कि इन हरिजनों के लिए, इन गरीबों के लिए, रहने का कोई बेहतर इन्तजाम कर सकें और हम इस नजरिये से इन मलिन बस्तियों की सफाई करें और अच्छी व्यवस्था कायम करें तो बेहतर होगा।

एक बात आम तौर से इस तरफ से और उस तरफ से भी कही गयी कि यह जो बोर्ड बन रहा है वह बोर्ड बिलकुल अनडेमोक्रैटिक है, गैरजम्हूरी है और यह बात यकीनन है कि इसमें जो बड़े-बड़े अधिकारी होंगे उनका इस में ज्यादा अमल दखल होगा, वह गरीबों की भावनाओं को, उनके दुखसुख को उनकी तकलीफों को, किस तरह की जिन्दगी वह गुजारते हैं इन सबका अहसास उनको न होगा। इसका अहसास तो उन्हीं को हो सकता है जो इस तरह की जिन्दगी गुजारते हैं या उन के सम्पर्क में रहते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम उसमें ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रखें जो जनता के प्रतिनिधि हों और जो जनता के बीच से आये हों उनको ज्यादा से ज्यादा जगह दें, उसका चेयरमैन नान-आफिशियल होना चाहिये। एक बड़ा उचित सुझाव माननीय जगदीश जी की तरफ से आया कि इस बोर्ड के दो तरह के सदस्य हों, मैं भी उस सुझाव का समर्थन करता हूं, वह बहुत अच्छा सुझाव है और उससे अधिक लाभ होगा। वह यह है कि जिस इलाके की आप तरक्की करना चाहते हैं, जहां पर आप बेहतर मकान बनाने जा रहे हैं, और जहां आप मलिन बस्ती की सफाई कराना चाहते हैं उन जगहों के प्रतिनिधियों को अगर आप गैरमुस्तकिल तौर पर केवल उस काम के लिए मेम्बर बना लें तो अच्छा होगा और वह जनता की भावनाओं को बोर्ड के सामने रख सकेंगे और ज्यादा बेहतर सुझाव वह लोकल कन्डीशन्स के मुताल्लिक दे सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं मन्त्री जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष से जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है इस बिल के बारे में और विरोधी पक्ष के लोगों ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनके लिए उन सभी का शुक्रगुजार हूं। जगदीश जी ने जो भाव व्यक्त किये हैं मैं उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं। चाहे हां पक्ष के लोग हों या नहीं पक्ष के लोग हों, सभी ने मेरी बातों की ताईद की है। कांग्रेस पक्ष के अधिकतर लोगों ने मेरी ताईद की है कि विकेन्द्री करण की जो भावनायें सरकार की रहती हैं उस भावना की सब ने ताईद की है। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक आजादी की लड़ाई लड़ी गयी और हम जानते हैं कि उसमें कांग्रेस के लड़ाकू लोगों ने भारत को आजाद कराया। उस समय उनकी शुरू से आखिर तक यही भावना थी कि हर जगह जन प्रतिनिधियों को अधिक स्थान देना चाहिये और अधिक से अधिक तादाद में होना चाहिये। लेकिन कुर्सी पर आने के बाद वह भावना बदल जाती है। यह भी देखा जाता है कि मन्त्री पद से जब आदमी अलग हो जाता है तो उसकी भावनायें ठीक वैसी ही हो जाती हैं जैसी कि पहले जनतन्त्र की लड़ाई के जमाने में हो गयी थीं।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को दोषी तो नहीं कहता लेकिन इतना मैं अवश्य कहूंगा कि शायद ड्राफ्ट जो बनाया गया है उसमें प्रजातन्त्र में काम करने वाली सरकार की भावना तथा सहनीति जो होनी चाहिये, वह इसमें नहीं है। इससे यह मालूम होता है कि ब्यूरोक्रैसी की भावना बढ़ती जा रही है। इसके डंडे के बल पर जो काम करने की भावना है वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक इस विधेयक में भरी हुई है। इतना ही नहीं, श्रीमन्, सरकार को यह भी भय बना हुआ है कि अगर जन प्रतिनिधि इकाइयों में आ जायेंगे तो वे इस विधेयक के अनुसार काम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि जितने सरकारी अफसर हैं, उन को इस में भर दिया जाय। विकेन्द्री करण की जो नीति आप ने अपनायी है उसे चलने दीजिये। गंगा की धारा को आप उल्टी मत बहायें, जो धारा आपने बहुत सोच-समझ कर बहायी थी, उसको बहने दें। जन प्रतिनिधि अधिक से अधिक इस परिषद् में और इकाइयों में, जो कायम हों, होने चाहिये।

जहां तक अध्यक्ष का सवाल है अभी हम ने देखा कि सतर्कता आयोग जो बना था, उसमें यह देखा गया कि एक जज को उसमें जो उसकी सबसे बड़ी कमेटी थी, किया गया। साथ ही साथ उसमें यह भी देखा गया कि उसमें आई० जी० को भी रखा गया। आई० जी० ने यह कहा कि हम जज के अन्डर में नहीं रहेंगे और जज महोदय ने यह कहा कि वे आई० जी० के अन्डर में नहीं रहेंगे। फिर डी० आई० जी० को रक्खा गया। अगर सरकार का यह विचार है कि हम सरकारी अफसरों की भीड़ को इस में रखेंगे तो हम जो इस विधेयक के द्वारा काम करना चाहते हैं, नहीं कर सकेंगे।

आज हम देख रहे हैं कि पूर्वी जिलों या पश्चिमी जिलों में बाढ़ की समस्या इतनी ज्यादा है कि मकानात ध्वस्त होते जा रहे हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर मकानात खंडहरों के रूप में न दिखायी दें। हम माननीय मन्त्री जी से यह उम्मीद करते थे कि गांव की हालत जो दिन ब दिन खराब होती जाती है, बाढ़ से अथवा बरसात से और मकान गिरते जा रहे हैं। वह इस विधेयक के जरिये सुधरेगी और गांव के रहने वालों को राहत मिल सकेगी। अधिकारी जो वहां जाते हैं डाक्टर अथवा चकबन्दी अधिकारी, उनको रहने के लिए कोई स्थान नहीं नहीं मिलता है जिसका नतीजा यह होता है कि वे वहां जाना पसन्द नहीं करते। नेहरू जी ने यह कहा था कि हमारा भारत लाखों गांवों का है और जब तक लाखों गांव उन्नति नहीं करते तब तक भारत की उन्नति किसी तरह से नहीं हो सकती और साथ ही साथ यह भी कहा था कि मदरास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे शहरों के आगे बढ़ने से भारत का उद्धार नहीं हो सकता। नेहरू जी की नीति को उनके मरने के बाद हम को दफनाना नहीं चाहिये बल्कि उसे प्रोत्साहन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव--]

देना चाहिये। इसलिए जो गांव उजड़ रहे हैं उनको माननीय मन्त्री जी प्रोत्साहन दें ताकि वहां मकान ठीक ढंग से बन सकें और शहर के लोग भी अच्छी आबोहवा के लिए गांव में जा कर बस सकें। इस तरह की परिपाटी से प्रदेश की बहुत उन्नति हो सकेगी।

माननीय मन्त्री ने इस विधेयक के जरिये केन्द्रीयकरण किया है यानी इस परिषद् के जरिये सभी स्थानों पर कार्य सम्पन्न होगा जिसका नतीजा यह होगा कि सभी लोगों को लखनऊ दौड़ना होगा। नतीजा यह होगा कि जो आदमी लखनऊ आयेगा वह सोचेगा कि उसी रोज उसका काम खत्म हो जाय और अगर उस रोज होगा काम नहीं, दो तीन दिन ठहरने से उसका काफी खर्चा होगा लिहाजा वह सोचेगा कि पैसा दो ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाय। इससे करप्शन बढ़ेगा। जैसा कि जगदीशशरण तथा अन्सारी साहब ने सुझाव दिया है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड अथवा नोटिफाइड एरियाज अपने यहां तरक्की करना चाहते हैं, विकास का कार्य करना चाहते हैं उनकी स्वेच्छा पर इन चीजों को छोड़ दिया जाय, मेरी राय में भी यह उचित कदम होगा। अगर परिषद् के जरिये इन चीजों को कराया जायगा तो नतीजा अच्छा नहीं होगा और हालत यह होगी कि जो २९ मार्च को सरकारी विभागों की होती है कि पेपर ट्रांजैक्शन कर के सारा रुपया पानी की तरह बहाया जाय। अगर आप चाहते हैं कि इस पैसे का सदुपयोग हो, विकास हो, गरीबों को रहने के लिए मकान मिल सकें, तो माननीय मन्त्री जी को विकेन्द्री करण की नीति अपनानी होगी, तभी गरीब शख्स को मकान मिल सकेगा, जो मलिन बस्तियां हैं वे समाप्त हो सकेंगी और जिनके पास साधन नहीं हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। लेकिन सरकार की जो अब तक की नीति का जिक्र किया गया है उससे तो उल्टी गंगा बही है और उसका कारण सरकार नहीं है बल्कि जैसा कि मैनेजरसिंह जी ने कहा आफिसर्स हैं। आफिसर्स ने जो लिख दिया मिनिस्टर साहब ने उस पर दस्तखत कर दिये। यहां पर वाद-विवाद होता है तो सरकारी आफिसर्स कहते हैं कि हमारा तीतर खूब लड़ा है और अगर माननीय मन्त्री की इसी में इज्जत बढ़ती है तो मुझे कोई एतराज नहीं है और वे जो चाहें करें। लेकिन अगर सदभावना से और जनहित में वह कार्य करते हैं तो मैं हर तरह से उनके साथ रहूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि मन्त्री जी इन भावनाओं को जिनको यहां प्रदर्शित किया गया है, उन पर विचार करेंगे पर और जो पहली नीति थी उसी को अपनायेंगे ताकि प्रजातन्त्र जिसके हम स्वप्न देख रहे थे, वह सफल हो, चाहे भले ही, उसमें लाखों कठिनाइयां हमारे सामने आयें। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मन्त्री जी इसको जनमत संग्रह के लिये भेजने की बात स्वीकार करेंगे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक के बारे में अपने सुझाव दिए हैं। खास तौर से उन माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक को पढ़ा है और अच्छे अच्छे सुझाव भी दिए हैं। मुझे खेद है कि माननीय कमलासिंह जी जिनको मैं बहुत दिनों से जानता हूं और उन्हें हमदर्दी है किसानों तथा छोटे लोगों से, थोड़ी सी मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। मैं भी एक किसान हूं और मुझे भी हमदर्दी है। कोई चीज अव्यावहारिक हो और बार-बार ऐसी चीज कहें जिससे दूसरे लोगों का अपमान हो तो मन में वह बात भले ही कह लें और समझ लें कि हमने एक बात कह दी लेकिन माननीय सदन में कहना की शोभा नहीं देता है। मैं जानता हूं कि हम में कमजोरियां हैं और हम बहुत सी चीजें अफसरों सलाह से करते हैं लेकिन चाहे कमलासिंह जी हों या मैं होऊं, हर एक आदमी अपना अपना स्वाभिमान रखता है और उसको रखते हुए जनहित में काम करता है। हर चीज को कह देने से नहीं हो जाता है। एक दूसरे के स्वभाव को हम लोग जानते हैं, कोई थोड़ा नम्र है और कोई थोड़ा उग्र है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जनहित में काम होना चाहिए।

श्रीमन्, अगर यह चार्ज लगाया जाय कि यह सरकारी अफसरों का किया हुआ है और उनकी ताकत बढ़ाने के लिए ही किया गया है तो मैं अर्ज करूं कि माननीय कमलासिंह जी ने जो

प्रस्ताव रखा है वह क्या वास्तव में जनहित में रखा है ? इसी आदरणीय सदन में माननीय सदस्यों ने, एक आध को छोड़ कर किसी ने नहीं कहा कि यह गैरजरूरी है। ज्यादातर लोगों ने यही कहा कि यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जनमत में जाने का सवाल क्या होता है ? यही कि आया यह विधेयक लाया जाय या नहीं और कोई चीज तय करने की नहीं होती है। मैं समझता हूं कि यह कोई व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है, हां प्रचार के लिए हो सकता है। जिस तरह से वे चार्ज लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूं कि उन्होंने इसलिए इसको पेश किया है। इस आदरणीय सदन में जिन माननीय सदस्यों ने इसके विवाद में हिस्सा लिया है, उन्होंने इसको स्वीकार किया है कि यह विधेयक निहायत जरूरी है और जल्दी आना चाहिए था और इस पर विचार होना चाहिए।और जब विचार होना चाहिए और इसके लिए गुंजाइश है तो जो दूसरे संशोधन हैं, उसमें सिर्फ इतना ही फर्क रह जाता है कि यह नया विधेयक है, इसमें काफी गुंजायश है और इस पर प्रवर समिति में विचार कर सकते हैं। चूंकि अर्जेन्सी है कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक अमल में आए और जैसा कल मैंने सदन में अर्ज किया था कि इसलिए इसकी और अजन्सी बढ़ जाती है कि अल्प निर्माण आय गृह योजना के जो ऋण थे या मध्यम वर्ग गृह निर्माण योजना के जो ऋण थे उनमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया के आर्डर से गड़बड़ी हो गई और कर्जा नहीं दिया जा रहा है और छोटे लोगों को बड़ी तकलीफ है। जब हमारा हाउसिंग बोर्ड बन जायगा तो इन लोगों को जरा सहूलियत हो जायगी। इसलिए चाहे इस हाउस में प्रवर समिति में भेजें और फिर अपर हाउस में और फिर वहां से कोई प्रवर समिति हो, इसलिए यह समय बचाने के लिए पूरी इसमें जरूरत हो जायगी कि दोनों सदनों की प्रवर समिति में जाए। तो जो दूसरा सदन है मैं समझता हूं उससे यह अच्छा है। जिन सदस्यों ने प्रवर समिति में मेरे साथ काम किया है वे जानते होंगे कि प्रवर समिति में एक-एक क्लाज को देखकर हर आदमी जितना जो कहना चाहता है वह कहता है और मैं पूरी तरह से उसे सुनता हूं। जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं और जिन्होंने मेरे साथ किसी प्रवर समिति में काम किया है वह मानेंगे कि उनके जो सुझाव मानने के लायक हुए हैं और जिन्हें मैं कानूनी तरीके से मान सकता था, उन्हें हमने मंजूर किया है और यह बात इसी सदन में कही भी गयी। इसमें भी मैं यह कहता हूं कि यह विधेयक जल्दी लाना चाहता था। इस वास्ते कि विधेयक जरा अच्छा बने, मैंने और प्रदेशों के तजुर्बे से फायदा उठाना चाहा, उनके ऐक्ट हमने मंगवाए, अपने आदमी भेजकर उनकी वर्किंग को भी दिखवाया जिससे कि विधेयक अच्छे से अच्छा बन सके।

इसमें कुछ मुख्य-मुख्य बातें कही गयीं। मैं कमलासिंह जी का बड़ा आदर करता हूं वह हमारे मित्र हैं, मैं समझता हूं वह वही भावना रखते हैं जो उनके प्रति भावना रखता हूं। इसलिए उनके और मेरे विचारों में अप्रोच का तो शायद फर्क हो सकता है और कोई फर्क नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा। मैं उसका संक्षेप में उत्तर दूंगा तथा अन्य सदस्यों के प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। यह कहा गया कि यह योजना ग्रामों के लिए नहीं है, इससे गांव उजड़ जायेंगे, गांव बर्बाद हो जायेंगे। मेरी समझ से यदि ध्यान से देखा जाय तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो गांव छोड़कर आ गए हैं उनके लिए मकानों की व्यवस्था होगी, जो विस्थापित मुसीबत में आ गए हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था होगी और जो भी गरीब लोग शहरों में गन्दी बस्तियों में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, एक बिलों के समान घरों में रहते हैं, उनके लिए यह सारी व्यवस्था की जा रही है। क्या आप चाहते हैं कि उनको इसी तरह से रहने दिया जाय ? मैं आपको बताना चाहता हूं अर्बनाइजेशन जितना हो। वह होना चाहिए, अर्बनाइजेशन देश के विकास के लिए अच्छी चीज है। खेती पर ही ज्यादातर लोग निर्भर रहेंगे तो मुल्क गरीब होगा और जब लोग उद्योग धंधों में लगेंगे तभी देश समुन्नत होगा। शहरों में जब उद्योग बढ़ेंगे, गांवों में भी उद्योग खुलेंगे और फिर गांव कस्बे हो जायेंगे और वह भी विकसित हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की रफ्तार हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों से काफी धीमी रही है। बम्बई या पंजाब के अनुपात से उत्तर प्रदेश में नगरों का विकास बहुत कम रहा है। पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ा, वहां पर २०—२५ फीसदी अधिक हो गए और बम्बई में करीब ३०—३२ प्रतिशत शहरों में रहने वाले आदमी हैं क्योंकि उद्योग ज्यादा हैं। इससे मालूम पड़ता है कि हम

[श्री चतुर्भुज शर्मा--]

इन्डस्ट्री के विकास में कितना ज्यादा बैकवर्ड हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि इससे कैसे ग्राम बर्बाद हो जाएंगे, गांव बिगड़ेंगे नहीं बर्बाद नहीं होंगे, वे तो बदल जायेंगे, आज जो शहरों को सहूलियतें हैं वह गांव में भी बढ़ जायेंगी। इसमें कोई बैन नहीं है यह तो सारे उत्तर प्रदेश के लिए बनाया गया है। अर्ज सिर्फ यह है कि कहने में विकेन्द्रीकरण अच्छा लगता है लेकिन व्यवहारिकता क्या है, किस जगह क्या चीज होना चाहिए, इसे देखना चाहिए। यह कोई ऐसी चीज नहीं है, यह कोई धर्म की चीज नहीं है, कान्शस की चीज नहीं है जिस पर अड़ा जाए। यहां तो यह है कि किस चीज से किस तरीके से विकास हो, वह चाहे विकेन्द्रीकरण के जरिए हो चाहे केन्द्रीयकरण के जरिए हो, जिसके चलाने से हमारी समस्याएं हल हों, जिस तरीके से हमारे देश की तरक्की हो, उस तरीके को हमें अख्तियार करना चाहिए।

जैसा मैंने कहा--यह ग्रामीण निर्माण योजना है जिसके अन्तर्गत मकान बनाने की योजना है। इसीलिए हमने इसका नाम आवास और नियोजन बोर्ड रखा है। इस तरह से इसके दोनों काम हैं कि विकास के काम कैसे होंगे, किस तरह से कहां पर उद्योग धंधे लगाए जायं, कहां पर लोगों को बसाया जाय, कहां पर पार्क रहे, कहां सड़कें रहें, कहां स्कूल कालेज रहें, और कहां पब्लिक की और तमाम संस्थाएं रहें। ये सारे डेवलपमेंट की चीजें इस विधेयक में हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि असल चीज यह है कि शहरों में ही सब विकास हम नहीं करना चाहते हैं इसीलिए हमने गांवों की योजना भी बनायी है लेकिन क्या यह व्यावहारिक है? आज उत्तर प्रदेश में करीब साढ़े ७ करोड़ से ज्यादा की आबादी है और पौने दो करोड़ के करीब परिवार हैं जिनमें ९० फीसदी आदमियों के मकान कच्चे हैं। अगर उनको आधुनिक तरीके से बनाया जाय तो क्या आप समझते हैं कि यह व्यावहारिक है? आज गांवों में कोई एक फूस की झोंपड़ी भी बना कर रहता है तो वह उसका हवादार मकान होता है। गांव में सब को शुद्ध हवा मिलती है जिससे वहां बीमारी कम होती है। यह सही है कि मलिन बस्तियां हों, छोटे लोगों के आवास की व्यवस्था हो, छोटे-छोटे उद्योग धंधों में लगे हुए मजदूरों के लिए आवास की व्यवस्था हो, हरिजनों के लिए मकान की व्यवस्था हो, ये तमाम चीजें गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत चल रही हैं और इसीलिए हाउसिंग ऐंड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने और शायद सुशीला जी ने कहा कि जो रुपया हमें मिलता है उसको हम खर्च नहीं कर पाते हैं। प्रादेशिक सरकार को सेन्टर से जो रुपया मिलता है....

श्री कमलासिंह यादव--

गांवों में हरिजन और मुसहर बस्तियों के लिए जो रुपया दिया गया है उस सम्बन्ध में आपको क्या कहना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं कहता हूं। इसके लिए उसमें कहां है? सवाल तो यहां यह है कि प्राथमिकता किसको दी जाय? गांवों के निर्माण योजना का जहां तक सम्बन्ध है, जो शहर की योजना है उससे उनको लाभ ही होगा। गांवों में भी यह योजना लागू होगी....

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

कितने गांवों की हालत माननीय मन्त्री जी ने देखी है? जब से आप मन्त्री बने हैं किसी गांव में गये भी हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं गांव का रहने वाला हूं, किसानी करता हूं और वहां की हालत को मैं समझता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि सेन्टर से हमें कर्जा लेना पड़ता है अपने विकास के लिए। मान लीजिए सेन्टर से हमने इसके लिए ६०० करोड़ रुपया लिया और उसे हम खर्च नहीं कर सके या खर्च करने की कैपिसिटी नहीं है तो पी० डब्ल्यू० डी० को दे दिया या नगरपालिका को दे

दिया, इस तरह से जिस काम के लिए जो ग्रांट मिलती थी उसको दूसरे काम के लिए डाइवर्ट कर लिया जाता था। इसीलिए यह सोचा गया कि इस तरह का विधेयक लाया जाय जिससे उत्तर प्रदेश में आवास के लिए जो भी ग्रांट मिले उसको उसी में खर्च किया जाय। अब मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि इसमें नहीं ला सकते। यह बोर्ड बन जाने की वजह से इसमें ज्यादा रुपया आएगा सेन्टर से और वह सारा का सारा इसी में खर्च होगा। दूसरे इस बोर्ड को अधिकार होगा कि यह कर्ज ले सके और फिर यह मकान बनाने के लिए कर्ज दे भी सकेगा। तो इसकी एक अच्छी खासी हैसियत माली दृष्टिकोण से भी होगी और इस वहज से यह ज्यादा कम कर सकेगा। तीसरी चीज यह कि सात, आठ प्रदेशों में यह हाउसिंग बोर्ड बन चुके हैं और वहां काम हो रहा है। दूसरे सेन्टर में एक हाउसिंग बोर्ड बनने जा रहा है। अगर हम इससे सम्बन्ध नहीं रखते और अपने यहां हाउसिंग बोर्ड नहीं बनाते तो जो फायदा हमको हो सकता है वह हो नहीं सकेगा। इसलिए यह जरूरी हो गया कि यह विधेयक जल्दी से जल्दी पास किया जाय लेकिन जल्दी से हमारा ध्येय यह नहीं है कि इस पर विचार न हो। प्रवर समिति का प्रस्ताव मैंने स्वयं रखा कि इस पर विचार हो जाय।

कमलासिंह जी ने यह बात कही और दूसरे सदस्यों ने भी कही और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों में थोड़ा भ्रम है इस बारे म। बात यह कि इसमें कुछ आफिसर्स ज्यादा होंगे। ५ गैर सरकारी सदस्य इसमें रहेंगे और जो ६ सरकारी सदस्य इसमें रहेंगे उसमें तीन तो सेक्रेटरीज हैं, दो हैं टाउन प्लानर और एक इंजीनियर, एल० एस० जी० के हैं। तो ये टेक्निकल आदमी होते हैं और वह रखे जाते हैं। तीन सेक्रेटरीज में दो ऐसे हैं कि जो एक ही आदमी होगा—हाउसिंग सेक्रेटरी तथा एल० एस० जी० का सेक्रेटरी एक ही होगा। अगर कभी हाउसिंग सेक्रेटरी अलग हुआ तो दूसरा आदमी होगा। लेकिन अगर इस पर विचार करने की कोई बात हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन न किया जा सके। अध्यक्ष आम तौर पर गैर सरकारी सदस्य होगा, लेकिन अगर जरूरी समझा जाय कि आयुक्त हाउसिंग कमिश्नर होगा और वह अच्छी तरह से काम चला सकता है तो उसको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है।

असली मंशा जो इस विभाग का है वह यह है कि जो मकान बनाने की समस्या है, शहरों की डेवलपमेंट की जो समस्या है, मलिन बस्तियों जो सुधारने की जो समस्या है, उस पर काम तेजी से हो सके, इस के लिए ही यह लाया गया है। इसमें शक नहीं कि हम को आपको यहां का, नगर पालिकाओं का तजुर्बा है, और अगर इसमें कोई पालिसी के तय करने का सवाल हो तो हम इस पर बहस भी करें, लेकिन यहां तो एक काम को एक्जीक्यूट करना है, काम करना है और काम करने के लिए तो किसी न किसी आदमी को आपको जिम्मेदारी देनी ही होगी तभी वह अच्छा काम कर पायेगा और तभी काम भी ज्यादा होगा। फिर यह सारा का सारा काम दूसरे ढंग का है। टाउन एरियाज पर या नगरपालिकाओं पर हमारा आपका ज्यादा कन्ट्रोल नहीं है। इस पर, इस बोर्ड पर आपका ज्यादा कन्ट्रोल होगा क्योंकि इस के पास सदन द्वारा दिया गया पैसा है, यह सदन के विधेयक द्वारा ही निर्मित होगा और इसके डाइरेक्शन में ही काम करेगा।

दूसरी चीज कही गयी मुआवजे के बारे में। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वही मुआवजे में है कि जो बाजार भाव है उसके हिसाब से ही मुआवजा दिया जायगा। कहीं-कहीं तो १५ प्रतिशत ज्यादा भी लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट से ज्यादा देने की बात है। अभी जैसा कि जियाउर्रहमान साहब ने कहा था कि मलिन बस्तियां दो तरह की हैं। ज्यादातर ऐसी हैं कि जिन में बड़े-बड़े लोगों ने मजदूरों को एक्सप्लायट करने के लिए छोटी-छोटी जगहें बना कर कबूतर की तरह से रखा है और जितना उन बस्तियों पर लगाया था उन से दस गुना ज्यादा वसूल कर लिया है। जिस समय मलिन बस्ती विधेयक मैंने रखा था उस समय ही मैंने कहा था कि मुआवजा कम देना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को तो मुआवजा भी न मिले तो कोई बात नहीं थी। परन्तु ऐक्ट में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको भी मुआवजा बाजार भाव से देना होगा। कहीं-कहीं विशेष स्थिति होती है, जैसे गाजियाबाद की है। श्रीमती सुशीला रोहतगी, कानपुर के बारे में कह रही थीं। सरकार को किसी नगर से दुश्मनी नहीं है और

[श्री चतुर्भुज शर्मा--]

मुझको तो हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं तो उसी शहर से पास होता हूं। अगर दुश्मनी करूंगा तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जायगी। उसको मुआवजा मार्केट रेट से दिया जा रहा है। माननीय कमलासिंह जी ने लोक सेवा आयोग के बारे में कहा कि इस विधेयक में ५०० रुपए के बारे में क्यों रखा गया है जबकि लोक सेवा आयोग को २०० रु० से ऊपर वाली सभी जगहों के लिए भर्ती के लिए लिखा जाता है। आपने देखा होगा कि इस परिषद् में हमारे इंजीनियर्स रहेंगे और एक असिस्टेंट इंजीनियर जिसको आप रखना चाहें, वह ३००, साढ़े ३००, रुपए में नहीं मिलता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

बस, मन्त्री जी समाप्त कीजिए। हम लोग आपके प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं, मेरे दलील देने से पहले ही वह मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उनकी भावना है, वही हमारी है और जितने अच्छे संशोधन इसमें हो सकेंगे वह किए जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को जनमत संग्रह के लिए भेजकर एक मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया या और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को सदन की एक प्रवर समिति को भेजा जाय जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का अधिकार हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् विधेयक, १९६५ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने पुल के पीपे बैठ जाने से हुई दुर्घटना के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

अब हमें यह देखना है कि चार बजे से या उसके पहले भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया जा सकता है?

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

इसके बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि चार बजे से पहले नहीं लिया जा सकता है इसलिए जब उनकी रूलिंग हो चुकी है....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

श्रीमन, ऐसे अवसर पर न तो मुख्य मन्त्री हैं, न गृह मन्त्री हैं जिनका इससे सम्बन्ध है और न सार्वनिक निर्माण मन्त्री हैं, तो पहले आप कृपा कर उनको बुला लें, तब बहस शुरू हो।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो सही है कि सब लोगों को होना चाहिए ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

४ बजे का समय था, इसलिए जब तक ४ नहीं बजते, तब तक कोई सवाल नहीं उठता ।

श्री कमलासिंह यादव--

१० मिनट के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री ने कहा कि ४ बजे से लोग आयेंगे, तो वह इस स्थिति में नहीं हैं अभी कि विवाद में भाग लें । इसलिए मैं चाहूंगा कि १० मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

१० मिनट तो रहे भी नहीं, अब तो ८--९ मिनट ही रह गए हैं । जब अध्यक्ष महोदय कह गए हैं कि ४ बजे लिया जायगा, तो तब तक के लिए सदन स्थगित किया जाता है ।

(इस समय ३ बजकर ५१ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुझे कितना समय, श्रीमन्, मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

आपको १५ मिनट का समय रहेगा और अन्य को १० मिनट का समय मिलेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

मैं वहां पर मौजूद था तो मुझको कुछ अतिरिक्त समय मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम के अनुसार ही सब को समय दिया जा सकता है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

श्रीमन्, उग्रसेन जी को कुछ अधिक समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम के अनुसार ही मैं समय दे सकता हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "राज्य कर्मचारियों द्वारा बरती गई स्पष्ट अदूरदर्शिता असावधानी, कुप्रबन्ध एवं जनविरोधी नौकरशाही प्रवृत्ति के कारण दिनांक १० अप्रल, १९६५ चैत्र राम नवमी के दिन प्रातः ८ बजे अयोध्या के पास सरयू नदी पर बने हुये पीपे के पुल से अकस्मात् तीन पीपे बैठ जाने के परिणाम स्वरूप हुई एक लोमहर्षक दुर्घटना से लगभग ३०० आबाल वृद्ध नर नारियों के मर जाने से जनता में सरकार के प्रति घोर असन्तोष एवं उत्तेजना जन्य अविश्वास की भावना व्याप्त हो गई है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—]

उपरोक्त दिन सरयू स्नान के लिये लाखों नर नारी वहां एकत्र हो रहे थे। पीपे के पुल पर एक बड़ी भीड़ गुजर रही थी। अकस्मात् तीन पीपे बैठ जाने से सैकड़ों व्यक्ति नदी के बीच धार में निरीह अवस्था में डूबकर दिवंगत हो गये।

सरकार को पता होने के बाद भी उक्त दिन प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति स्नान के लिये आते हैं और उस कमजोर पुल से निकलते हैं। पुल की अवस्था की पूर्व जांच नहीं की गई। रस्सों की मजबूती की परीक्षा नहीं की गई। प्रतिवर्ष वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था रहती थी परन्तु इस वर्ष उसका भी ध्यान नहीं दिया गया। भीड़ को नियन्त्रित करने के लिये पुलिस बिलकुल नहीं थी। सभी राजकीय अधिकारी, श्री राज्यपाल के स्वागत तथा जी हजूरी में लगे हुये थे। एक भी सुरक्षा नाव तथा तैराक की व्यवस्था नहीं थी। कुछ थी वह बड़े आदमियों के लिये आराशित थी। गाटरों के बोझ ढीले तथा जंग लगे हुये थे। कई पीपे तो कीलों से रोके गये थे। यह भी ज्ञात हुआ है कि श्री राज्यपाल की सवारी पुल के नीचे से निकलने के लिये बोल्ट ढीले रखे गये थे।

इस प्रकार सरकार के स्पष्ट दोष से सैकड़ों व्यक्ति मर गये। उनको बचाया भी न जा सका।

परन्तु घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नौकरी से न निकालने, न्यायिक जांच के आदेश न देने, आहत व्यक्तियों के परिवार वालों को समुचित सहायता न देने से जनता में सरकार के प्रति उत्तेजना बढ़ रही है। जनता में यह धारणा घर कर रही है कि वह दोषी राज्य कर्मचारियों को संरक्षण देकर अपराधी वृत्ति को प्रोत्साहन दे रही है।

अस्तु उक्त लोमहर्षक दुर्घटना से उत्पन्न लोकमहत्व की इस सुनिश्चित अविलम्बनीय समस्या पर विचार करने के लिये आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य पूर्ण घटना पिछली कुम्भ दुर्घटना के बाद हुई है: पहली जो दुर्घटना हुई थी हमारी सरकार ने उससे कुछ लाभ नहीं उठाया और पुनः जैसा पिछले कुम्भ के समय में हुआ था वैसे ही इन राज्यपाल महोदय के पदार्पण से हुआ और यह दसरा कलंक हमारी सरकार के मस्तिष्क पर लगा।

यह घटना किस प्रकार से घटी यह मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं। रामनवमी का मेला हर वर्ष अयोध्या में लगता है और लाखों यात्री सदैव वहां स्नान करने के लिये आते हैं। इस वर्ष भी लाखों की संख्या में यात्री वहां स्नान करने के लिये आये। पिछले वर्षों में यह होता था कि ११ बजे तक एक ओर से स्नान करने के लिये यात्री जाते थे और तब लौटने के लिये रास्ता खुलता था। इस बार घटना इसलिये हुई कि उत्तर की तरफ से यात्रियों के जाने के लिये रास्ता खोल दिया गया और दक्खिन की तरफ से भी आने का रास्ता खोल दिया जिसके फलस्वरूप १० तारीख को लगभग सवा ८ बजे उत्तर की तरफ से भीड़ पुल पर आई और दक्खिन की तरफ से भी भीड़ गई जिसका नतीजा यह हुआ कि कदाचित् १० नवम्बर को पीपा टूटने लगा और ५० आदमी नदी में गिर गये। जब वे तैर रहे थे तो यह देखकर १० नम्बर के पीपे के पुल से भीड़ पीछे हटी और आगे भी हटी तो वह भीड़ पीछे की तरफ हटकर १५, १६ और १७ नम्बर के पीपे के पुल पर आई। वह भीड़ पीछे हटती हुई आई और भीड़ आगे भी आई तो वह भीड़ एकत्र वहां पर हो गई और १५, १६ १७ नम्बर के पीपे डूबने लगे जिसका कारण मैं बताऊंगा, और ये टिल्ट हो गये पीपे और इस तरह टिल्ट होने से ३ मिनट में हजारों की संख्या में लोग नदी में गिर गये और कुछ ही संख्या में उस पर बचे रह गये। जिसका नतीजा यह हुआ कि तीन सौ से कहीं ऊपर, सकड़ों की तादाद में लोग नदी में छटपटाते हुये देखे गये। कितनी चीत्कार वहां मची थी, कितना करुण दृश्य था, मैं कह नहीं सकता। दो रोज के बाद मै गया था। जो बात मैं कह रहा हूं यह एक आंखों देखी घटना है जोकि शंकरसिंह और जगदम्बासिंह मेरे साथी वकील वहां मौजूद थे और जिन्होंने

बच्चनलाल वकील को बचाने का प्रयास किया, उनका बयान है। जगदम्बासिंह वकील के कहने के मुताबिक डेढ़ फर्लांग तक बहते चले गये उनको बचाने के प्रयास में। उस समय का दृश्य इतना लोमहर्षक है कि वर्णन नहीं हो सकता। छोटे बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, सब मौत से लड़ रहे थे और ऐसा दृश्य था कि सारा समाज दर्शक था और लोग डूब रहे थे। किसी का रिश्तेदार, किसी के घर के लोग डूब रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे कि इन्हें बचाओ, इन्हें बचाओ, यह चारों तरफ से आवाजें आ रही थीं लेकिन कोई बचा नहीं सकता था क्योंकि न वहां पर सरकारी अधिकारी थे, न मल्लाह थे--कोई इस अवसर पर मौजूद नहीं था। आश्चर्य की बात यह है कि कितने ही आदमी जो ढीले रस्से लगे थे उन्हें पकड़ कर लड़ते थे। बच्चनलाल वकील और एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर के १० मिनट तक स्ट्रगिल करते रहे। उस समय सारी भीड़ खाली हो गयी, भगदड़ मच गयी। पुल जो टिल्ट हो गया था वह फिर वैसे का वैसा हो गया, तो शंकरसिंह वकील दौड़-दौड़ कर इधर-उधर जाते थे लेकिन कोई आने का प्रयास और हिम्मत नहीं करता था। बच्चनलाल जिनके पैर को एक स्त्री ने पकड़ लिया, डूब गये।

तीन बजे तक यह स्थिति रही और सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई ख्याल नहीं किया गया। यह घटना क्यों हुई? इस घटना में कितने आदमी अनाथ हुये, कितनी स्त्रियां विधवा हुई, कितने बाप मरे, कितने के बेटे मरे, कितनों का सारा परिवार नष्ट हो गया। यह मैं अपने जिले की बात बताता हूं। बच्चनलाल जो दो भाई थे। एक वह और एक उनका भाई ओवरसियर था, दोनों साथ ही डूब गये। उनका क्लार्क डूब गया। एक बगल की स्त्री डूब गई। २५-२५, २०-२० वर्ष की उनकी विधवायें हैं और घर पर कोई नहीं है सिर्फ दो छोटी लड़कियां हैं। ऐसे ही कितने लोग डूब गये। इन दो का नाम इसलिये लेता हूं कि मेरे साथ प्रैक्टिस करते थे, मैं उनको जानता था। बच्चनलाल एक बड़ा अच्छा, प्रामिजिंग वकील था। वह नयी उम्र के थे, मेरे साथ रहते थे, इसलिये मैं जानता हूं। तो यह घटना क्यों हुई? इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे सरकारी अधिकारियों की है। मैं इन सरकारी अधिकारियों को तीन हिस्सों में बांटता हूं। एक तो पी० डब्लू० डी० के, दूसरे मजिस्ट्रेसी और तीसरे पुलिस अधिकारी। पी० डब्लू० डी० की स्थिति क्या है? हमको बड़ा दुख है कि ऐसी स्थिति में जब कि ऐसी दुर्घटना हो और सारा देश सरकार के नाम को कोसता हो, बजाय इसके कि सच्ची घटना बतलायी जाय यह कहा गया कि २७ आदमियों को पुलिस ने बचाया जब कि वहां के रहने वाले कहते हैं कि हम तीन बजे तक कंट्रोल रूम में दौड़ते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। पुलिस में तो रिपोर्ट भी नहीं थी तीन बजे तक। लेकिन कलेक्टर महोदय लिखते हैं कि २७ आदमियों को रेस्क्यू किया। दो ऐसे थे जो पहले से कफन लपेट कर रेत पर रखे हुये थे। वह दूसरी प्रकार की लाश थीं। लेकिन इतना झूठ बोलने वाले डी० एम० और एस पी० हैं तो मैं मांग करता हूं कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। मैजिस्ट्रेसी क्या करती थी? दुर्भाग्य की बात है कि राज्यपाल महोदय वहाँ पधारे। हमेशा सरकार का ध्यान रखना चाहिये कि जब राज्यपाल जा रहे हों तो हमारी मैजिस्ट्रेसी और पुलिस इतनी संख्या में उनके संरक्षण में लगे कि सारा काम ही ठप हो जाय। उतनी ही लगे जितनी आवश्यक हो। लेकिन सुबह से ही अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिये ताकि क्रेडिट मिले लोग उन्हीं के यहां लगे हुये थे। केवल तीन पुलिस के आदमी लाखों की भीड़ को कंट्रोल कर रहे थे। एक मेहरोत्रा मैजिस्ट्रेट थे, वह कंट्रोल के ख्याल से नहीं, स्नान करने के विचार से आये थे और स्नान कर रहे थे। यह सारी जिम्मेदारी उनकी थी जिन्होंने दोनों पर तरफ से ट्रैफिक को खोल दिया था।

आप आश्चर्य करेंगे कि शंकरसिंह का बयान है कि मुझे कोई मैजिस्टेट नहीं मिला। एक मेहरोत्रा मिले जो कि स्नान कर रहे थे। कोई उस हल्ले में सुन भी नहीं पाता था, कोई देखने वाला तो था ही नहीं। वह घटना जब हो रही थी तो मजिस्ट्रेट कन्ट्रोल रूम में बैठे हुये ताश खेल रहे थे। जब बच्चनलाल वहां पहुंचे तो उन्होंने उस खेल को ढक दिया। उसकी सूचना एस० पी० को देने के लिये जब कहा तो टेलीफोन आउट आफ आर्डर था। कन्ट्रोल के लिये कोई

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

उचित व्यवस्था टेलीफोन की नहीं थी। इसका भी इन्तजाम नहीं किया गया कि जाने का रास्ता अलग होता, आने का अलग रखा जाता। जो भी मजिस्ट्रेसी थी, कोई कहता था कि मेरी ड्यूटी वहां है, मेरी ड्यूटी वहां नहीं है, शंकरसिंह ने कहा कि जाओ जाकर डूब मरो, हम कुछ नहीं कर सकते। यह हालत थी वहां के इन्तजाम करने वालों की।

पुलिस की बात भी बताऊं, श्रीमन। सुपरिटेन्डेन्ट महोदय लगे हुये थे राज्यपाल महोदय के प्रबन्ध में। मैं कमिश्नर साहब से मिला था। उन्होंने मुझसे बताया कि साढ़े १० बजे सर्किट हाउस में वे पहुंचे थे और साढ़े ११ बजे उन्होंने स्नान किया था। प्रातःकाल से जब यह मालूम था कि राज्यपाल महोदय पधार रहे हैं तो इसका इन्तजाम क्यों नहीं किया गया? हमारी सरकार की परिभाषा में एक राज्यपाल १० लाख जनता के बराबर होता है। तो पुलिस उनके प्रबन्ध में लगी थी, इधर मेले में ३ आदमी लगे थे जिन्होंने कहा कि हम कन्ट्रोल नहीं कर सकते। जब यह घटना हो जाती है, तो बाद में यह पुलिस आती है। यह घटना बचाई जा सकती थी यदि नाव का इन्तजाम होता, रस्से होते, उचित इन्तजाम होता, कोई मल्लाह भी नहीं था।

पुलिस की श्रीमन्, एक दूसरी स्थिति थी। उनको यह इन्सट्रक्शन्स थे कि लाश गायब हो जायं, क्योंकि मैं खुद गया था १ बजे रात को। मैंने खुद बच्चनलाल जी की लाश को बरामद किया। गिद्ध उसे खा रहे थे। घड़ी, अंगूठी, और १७।। रुपये मिले। गवाहों के नाम लिखे हुये ह। रिवाल्वर से शूट करके गिद्धों को उड़ाया गया। पुलिस ने कहा कि उन्हें ऊपर के इंसट्रक्शंस हैं। ५।। बजे मैंने रिपोर्ट लिखाई।

पी० डब्ल्यू० डी० ने जो नाव पार करने के लिये पौंटून पुल बनाया उसमें जो कुलफी लगी थी वह ढीली थी। उसकी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे इंजीनियरों पर आती है, जिन्होंने हजारों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। सवाल यह है कि इसकी जुडिशल इन्क्वायरी क्यों हो? किस आर्डर से उन्होंने कमीशन मुसद्दीलाल जी को नियुक्त किया? वह एग्जीक्यूटिव के आदमी हैं। वह ऐसी जगह जाते हैं जहां कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव अफसर इनवाल्व्ड हैं। वहां वह मैजिस्ट्रेट इनवाल्व्ड है जो झूठा बयान देता है कि २७ आदियों की रक्षा की। वहां वे लोग हैं, एस० पी० हैं, जो अब उसे बना रहे हैं ताकि कोई देख ले कि नट-बोल्ट सब ठीक थे। इनको कोई अधिकार नहीं होगा कि गवाहों के बयान आन ओथ लें और पबलिक का कोई नुमाइन्दा भी हो। दूसरी बात यह है कि एग्जीक्यूटिव के आदमी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि जुडिशल जांच हो क्योंकि वह इम्पार्शली देखेगा और बयान आन ओथ लेगा। उसकी फाइंडिंग्स की एक सैंक्टीटी होगी। कमिश्नर की फाइंडिंग रिकमेंडेटरी होंगी। जज किसी एग्जीक्यूटिव अफसर से इनफुलएंस नहीं होगा। उसकी इनक्वायरी में जनता का विश्वास होगा। फैजाबाद बस्ती, जहां के भी लोग उससे संबंधित हैं सबके टेलीग्राम्स हमारे पास आये और माननीया मुख्य मंत्रीजी के पास भी आये और श्रीमन्, आपके भी पास आये होंगे, कि जुडिशल इनक्वायरी हो। हमारी सरकार कितने भी कमीशन बैठावें लेकिन सरकार पिछली भूलों से कभी लाभ नहीं उठाती है, इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि जुडिशल इनक्वायरी बैठाई जाय ताकि इसमें न्याय हो और पब्लिक को सन्तोष हो।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जुडिशल इनक्वायरी होने से पहले पुल को सरकार अपने कब्जे में ले ले ताकि पी० डब्ल्यू० डी० के लोग नया इन्तजाम करके यह साबित कर सकें कि इसमें कोई नट-बोल्ट ढीले नहीं थे और सब ठीक था।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, माधवप्रसाद जी ने जो प्रस्ताव कामरोको के शकल में पेश किया अयोध्या की दुर्घटना के संबंध में और जो बातें उन्होंने कहीं, असल बात उनसे कुछ कम और अधिक हो सकती है।

इस विवाद में मै नहीं जाना चाहता। मैं इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह दुर्घटना हुई क्यों ? यह ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। यह बात इसलिये पैदा होती है कि यह मालूम है कि अयोध्या में मेला लगता है और लाखों लोग वहां जाते हैं। यह भी जानकारी है कि पौन्टून ब्रिज से होकर लोग गुजरते हैं। तो कौन ऐसी खास बात इस साल हो गई जिससे यह दुर्घटना हुई। मैं नेता विरोधी दल के बयान से यह नहीं जान सका कि यह दुर्घटना हुई कैसे, मैजस्ट्रेसी ने क्या किया, पी० डब्लू० डी० ने क्या किया या पुलिस ने क्या किया ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मैंने बताया कि कुलफी ढीली थी और वह टिल्ट हो गई और नीचे गिर गई।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मेरा जहां तक ख्याल है, इस प्रकार से जब पुल बनाये जाते हैं तब उनमें हमेशा थोड़ी सी ढीलेपन की गुंजायश रहती है, वह इसलिये कि जब लोड पुल पर जाता है तो पीपे हमेशा नीचे-ऊपर होते हैं। अगर बिल्कुल टाइट कर दिया जाय तो पुल बिलकुल सीधे-सीधे टूट सकता है। जिस स्थान पर यह दुर्घटना की बात कही जाती है वह अयोध्या के समीप है। न व पार करने के लिये ज्यादा से ज्यादा ३, ४ फीट पानी की आवश्यकता होती है। अगर वहां कुलफी की बात कही जाती है तो वहां कितना पानी था और अगर पानी बहुत ज्यादा रहा तो इतने पानी में वहां कुलफी करने की क्या आवश्यकता थी ? इनक्वायरी इस बात की होनी चाहिये कि इतने गहरे पानी में नाव पार करने की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। (व्यवधान) इस बात की भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिये कि अगर यह घटना कुलफी के कारण हुई तो पी० डब्ल्यू० डी० के अधिकारी वहां इसके पूर्व कितनी बार गये और क्या जानकारी उन्होंने प्राप्त करने की कोशिश की ?

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

कौन से इंजीनियर ने इनका भाषण तैयार कराया है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह लांछन ठीक नहीं है। इस प्रकार किसी के लिये भी कहा जा सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि दुर्घटना के पूर्व कितने अधिकारी वहां जांच करने के लिये गये, इस प्रकार की व्यवस्था वहां पी० डब्लू० डी० की ओर से पिछले साल या उससे पहले सालों में कैसे होती रही, वे लोग वहां उसकी देख रेख करते रहे या नहीं।

श्रीमन्, यह भी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत होगी कि जो लोग पुल के सिलसिले में पी० डब्ल्यू० डी० के या और दूसरे लोग मैजिस्ट्रेसी के उस मामले में जिम्मेदार थे उन लोगों के ऊपर भी इस बात की जिम्मेदारी थी या नहीं कि वह पुल को चालू करने के पहले माल के आवागमन के लिये उसको खोलने के पहले इस बात की पूरी जानकारी कर लेते कि यह चलने लायक है या नहीं, मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि बस ज्यादा से ज्यादा या ट्रक ज्यादा से ज्यादा लोड लेकर पास कर सकती हैं लेकिन आदमी अगर एक किनारे पर ज्यादा चले जायं तो दूसरा हिस्सा आटोमेटिकली उठ जायगा। इस बात की जानकारी की गई थी या नहीं की गई औरइसकी जिम्मेदारी किसकी थी इस बात की भी जानकारी होनी चाहिये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता था आज जो लोग पुल के सिलसिले में यह समझते थे कि महज रस्सा काफी हो जायगा अगर वहां भीड़ ज्यादा हो, तो उनके समझ यह बात क्यों नहीं आयी कि इधर जहां रस्सा लगाया जाता है उपर रैलिंग के साथ-साथ उसमें लोहे की जंजीरों में क्यों नहीं लगाई

[श्री कल्पनाथसिंह]

गई ? इस बात की भी जानकारी इन्क्वायरी के सिलसिले में करनी आवश्यक होगी। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे जिले में पीपे का पुल है। पीपे के पुल से हजारों बार मैंने पार किया होगा। मुझे इस बात का तजुर्बा है कि किस प्रकार यह पीपे का पुल चलाया जाता है। मेरे जिले में मेला लगता था पूर्णिमा और अमावस्या का, तमाम लोग उससे पास करते थे लेकिन इस प्रकार की घटना कभी नहीं हुई। तो कोई न कोई इस प्रकार की लापरवाही इसमें जरूर है जिसकी वहज से यह बात हुई।

जहां तक पुलिस का संबंध है श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस का पूरा इन्तजाम उस स्थान पर जिले के अधिकारियों को रखना चाहिये था। इसलिये कि अगर कहीं कोई बात हो जाय क्योंकि यह कोई स्वप्न तो नहीं देख सकता या ज्योतिष तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी इस बात के लिये पूरी तैयारी रहनी चाहिये थी कि अगर कोई ऐसी दिक्कत पैदा हो जाय, कोई घटना घट जाय तो पुलिस के लोग जल्दी से जल्दी सूचना दें, जल्दी से जल्दी उस घटना का इन्तजाम करें और डूबते हुये लोगों को बचा सकें। श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि इस इन्क्वायरी के सिलसिले में इस बात की पूरी जानकारी करनी चाहिये, पूरी घटना की जानकारी होने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है और जो संबंधित अधिकारी हैं इस बात के लिये जो इस काम के लिये दोषी पाये जायं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। इस संबंध में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिये जिसके चलते कोई एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की बात हो। लेकिन मेरी निगाह में पुलिस की बात और पी० डब्ल्यू० डी० की बात निस्सन्देह इस सिलसिले में आती है कि शायद इन लोगों ने अपनी डयूटी को पूरा नहीं किया।

*श्री उग्रसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में मुझे आपने आज अवसर दिया है अपने और अपने दल के दृष्टिकोण को रखने के लिये, उसमें सबसे पहले मैं उन मृतात्माओं के प्रति अपनी, अपने दल की तथा विरोधी पक्ष की श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्रीमन्, माननीय त्रिपाठी जी ने जिन बातों को कहा कि वह पुल कैसे टूटा, मैं ज्यादा उसमें सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। पर इतना मैं बता देना चाहता हूं सदन के जरिये सारे प्रदेश की जनता को कि मैंने जो वहां दृश्य देखा और मेरी जो निश्चित धारणा है, और वह सही है कि वहां १०० से लेकर ५०० आदमी तक दुर्घटना में शिकार हुये हैं। श्रीमन्, प्रश्न यह नहीं है कि एक पुल टूट गया। प्रश्न यह है कि ५४ में जो दुर्घटना कुम्भ के मेले में हुई, महा-महिम की सवारी में सब लोग फंस गये और हजारों लोग मर गये, आपने आज तक उससे लाभ क्या उठाया ? प्रश्न यह है। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार तो दुर्घटनाओं की सरकार है। मैंने क्या वहां देखा, उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैं मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहता हूं कि वह मुझे मौका देते तो तिलक हाल में मैं उनके समक्ष भाषण करता। सुबह मैं जा रहा था तो एक साहब ने रोका कि आगे बहुत हल्ला है, जाइये मत। मैंने कहा क्यों न जायें ? तो कहा कि बहुत हल्ला मचा हुआ है। कोई इन्तजाम नहीं था कि बताया जाय कि हुआ क्या ? मालूम हुआ कि कोतवाल के बेटे की बरात का इन्तजाम हो रहा था, लक्ष्मण झूले का प्रबन्ध हो रहा था और आगे देखा तो माननीय जयराम वर्मा सिल्क का कुर्ता पहने एक जीप पर फटाफट जा रहे थे। यह दृश्य मैंने वहां पर देखा। मेरा कहना तो यह है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी पहला काम तो करें यह कि जिलाधीश, फैजाबाद, जो अभी तक गलत विज्ञप्ति निकाल रहा है, जो अभी तक कहता है कि दो मरे और ७ के चोटें लगीं, उसको तुरन्त मोअत्तल कर दिया जाय और कटघरे में डाल दिया जाय। आज मैं पुल के पीपों की मांग नहीं करता। मैं और माननीय कल्पनाथसिंह जी दोनों नदी के किनारे के गांवों के हैं। हम तैरना भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानते हैं और डूबना भी जानते हैं । हम पीपों की मांग नहीं करते ? हम तो मुख्य मंत्री जी से मांग करते हैं कि क्या आपके यहां इन्सानों की कोई कीमत है ? मैंने किताबों में पढ़ा कि बेगमों का डोला निलकता था । फ्रान्स के इतिहास में वहां के बादशाहों की बीबियां यह कहा करती थीं कि किसानों और मजदूरों के खून से स्नान करेंगे तो उनका सौंदर्य बढ़ेग और स्वास्थ्य बढ़ेगा ।

माननीया मुख्य मंत्रीजी, आपके राज्य में सीमेंट १० रुपया बोरा बिक जाय और १८० रुपये में हिन्दुस्तान साइकिल बिक जाय लेकिन जब एक राज्यपाल की कद्र ५०० निरीह इन्सानों की जान के बराबर कर दी जाती है तब बड़ा दुख होता है । एक राज्यपाल के इन्तजाम के लिये ५०० लोगों की जाने चलीं गयीं । जिस राम की आपने कसम खाई, उस राम की नगरी में जिसके राज्य में दैविक, दैहिक, भौतिक ताप नहीं व्याप्ता था, ५०० इन्सानों की इस प्रकार से जानें चली जाती हैं और कहा जाता है कि यह देखा जाय कि कुल्फी ढीली थी या नहीं । इस बात को सुन कर और खास कर कल्पनाथ सिंह जी को सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । यह उनका कसूर नहीं है, यह उस बैल जोड़ी का कसूर है, वहां वे चले गये हैं । माननीय राज्यपाल के सैर में देर न हो जाय, इसके लिये पहले से ही कुल्फी को ढीला कर दिया गया । बेचारे अधिकारी लोग क्या जानते थे कि बीच में ही इतने लोगों की जान चली जायगी । और देखिये कि ब्रिज निर्माण खंड के इंजीनियर, श्री एम० सी० जौहरी ९।१० की रात को १२ बजे आये लेकिन उन्होंने अधिकारियों से कह दिया कि यह कह देना कि वे १० तारीख को १२ बजे दिन को आये । बस सब लोग इसी प्रयत्न में लगे हुये हैं कि गैम्स कंपनी आफ इंडिया के मैनेजर और मिस्टर जौहरी की दोस्ती न टूटे । जितने आफीसर थे सब गवर्नर के इन्तजाम में लगे हुये थे । वहां तो दो चार सिपाही थे । इसलिये हम कहते हैं कि माननीया मुख्य मंत्री जी न्यायिक जांच बैठायें, तब उनको असली चीज मालूम होगी कि वह वहां क्या हुआ । जब से यह पुल निर्माण हुआ है तब से क्या सवा लाख रुपया अभी वसूल हुआ है या नहीं ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उसमें पुराने पीपे लगाये गये या नये लगाये गये थे, रस्से नये लगाये गये थे या पुराने । लेकिन अगर यह जनतंत्र की सरकार होती, अगर संविधान के अनुसार काम करने वाली यह सरकार होती, तब तो इसमें इंसानियत की बात होती । लेकिन नहीं । तभी तो आप १० दिन के बाद वहां निरीक्षण के लिये गयीं । आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिये था और उस तरफ जेल के कठघरों में बन्द दिखायी देना चाहिये था । लेकिन यह जनता तो अब भी बैल की जोड़ी पर ही ठप्पा मारेगी ।

श्री लालबहादुर शास्त्री, प्रधान मंत्री, वजीरे आजम दिल्ली के दरबार में तशरीफ रखते हैं। आप जानते हैं कि जब हैदराबाद में आयरलूर रेल दुर्घटना हुई तो माननीय लालबहादुर शास्त्री ने रेल मंत्री पद से स्तीफा दिया और उस पर बड़ी ढोल बजाई गई और गीत गाया गया था । उसी तरह से अगर आज भी माननीया सुचेता जी स्तीफा दे देंती और अपने स्थान पर श्री श्री कमलापति त्रिपाठी को या श्री कल्पनाथसिंह को बिठा देतीं तो हम भी समझते कि जनतंत्र यहां कायम है लेकिन उन्होंने स्तीफा नहीं दिया, हमारी भी कमजोरी है अगर हम में भी दम होता तो हम उन से स्तीफा लेकर ही रहते । जहां ५०० जानें चली गईं और कान पर जूं नहीं रेंगी । मुझे डर यह है कि कहीं उधर से यह न कहा जाने लगे कि पुल बैठा ही नहीं । मैं कांग्रेस के लोगों से कहूंगा कि वह जनतंत्र को न खायें, आज इस सुचेता जी की सरकार का दामन ५०० आदमियों के खून से रंगा है हम उन का दामन साफ करना चाहते हैं । वह इस पाप से बचने के लिये स्तीफा दें, न इस में पीपों का सवाल है न कुलफी का सवाल है । मुझे केवल दुख है तो इस बात का कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने केवल २ घंटे का समय ही इसके लिये रखा है उनको इसके लिये ३ दिन का समय देना चाहिये था और नियम को निलम्बित कर देना चाहिये था ।

न्यायिक जांच की बात की जाती है वहां का जुडीशियल मैजिस्ट्रेट क्या न्याययिक जांच करेगा, बहुत हल्ला हुआ तो जिलाधीश ने कहा कि जांच का इन्तजाम कर दिया गया है । मैंने भी माननीया मुख्य मंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा लेकिन उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया,

[श्री उग्रसेन]

शायद मुनासिब न समझा हो । मैंने बस्ती, मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद का दौरा किया और जब कोई सहारा न मिला तो मैंने अखबार वालों का दामन पकड़ा । मैंने गोंडा, बस्ती के लोगों से बात की तो मालूम हुआ कि किस तरह से, कहां कहां के लोग लापता हैं लेकिन इस सरकार ने अपने बी०डी०ओज तक को हुक्म नहीं दिया कि किस किस विकास क्षेत्र में कितने कितने आदमी लापता है जो मेले में हुये थे । मुझे मालूम हुआ कि एक स्थान से १७ आदमी गये और केवल ४ ही वापस आये और ११ वहीं शहीद हो गये । वहां के पुलिस कप्तान ने केवल २ सिपाहियों को मुअत्तल किया है लेकिन वहां के बड़े अधिकारियों ने हिदायत की कि किसी तरह भी लाशें बरामद न होने पावें और गलत बयान जिलाधीश ने दिये । लोगों की घड़ियां और सामान ले लिया गया, यह सब कुछ वहां हुआ । अगर इन्क्वायरी कराना है तो एक जज की वहां कमेटी आप बिठावें और उस को जांच का पूरा अधिकार दिया जाये । मुख्य मंत्री जी चीजों को छिपने न दें और अगर न्यायिक जांच के बाद जिलाधीश को जेल में न भेजा गया तो उग्रसेन और उस का दल और यह इधर बैठने वाले लोग समझ लेंगे कि तथ्यों को छिपाया जा रहा है और इस जनतंत्र में इन्सान को इंसान नहीं समझा जा रहा है और जनतंत्र के प्रतिकूल आचरण किया जा रहा है । मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर यह सरकार न्यायिक जांच का प्रबन्ध न करे तो जमकर उसके लिये आवाज उठावें और संघर्ष करें और अगर वह ऐसा न करें तो अगर हया हो, उनमें शर्म हो, इन्सानियत हो तो स्तीफा देकर घर जायं, हो चुकी नमाज मुसल्ला उठाइये । हम समझ लेंगे कि इस राज्य में इन्सानियत नहीं जीती और इसीलिये जनता त्रसित है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी और अपने दल की भावनाओं को प्रकट करता हूं ।

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय, रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में जो दुर्घटना घटी, वह वास्तव में बहुत दुख देने वाली और तकलीफ पहुंचाने वाली थी । मैं समझता हूं कि उसमें लगभग डेढ़, दो सौ आदमी नदी में बहे और उनमें से कम से कम १९० की जानें गयीं । यह बात विचारणीय है कि जो कुछ हुआ उस के संबंध में बातों को बढ़ाकर कहना या जो हुआ है उससे कम कहना दोनों ही बात मुनासिब न होंगी । क्या घटना हुई, इस संबंध में सही स्थिति का ज्ञान तभी हो सकता है जब एक न्यायिक जांच हो । वहां की जनता में इस प्रकार की भावना और असंतोष फैला हुआ है कि अधिकारियों ने इस मामले में उपेक्षा की है और बहुत छोटा करके इसको लिया है । उस दिन पुलिस में वहां की अयोध्या कोतवाली में उस समय की घटना की कोई रिपोर्ट नहीं हुई, यह बात समझ में नहीं आती । कोतवाली, थाना अयोध्या, जो कि घटना स्थल से केवल ५-६ फरलांग पर था उसमें इस घटना की कोई सूचना नहीं थी । जो लोग वहां पर पूछने के लिये गये, उनको नहीं बताया गया कि इतनी भीषण दुर्घटना हुयी है । शंकरसिंह वकील साहब जो बस्ती के वकील हैं उनके बयान से जो वाकया मालूम हुआ, वह सूचना तो अधिकारियों की उपेक्षा और ज्यादती जाहिर करती है । वहां के जिलाधीश ने एस०डी०एम० को जांच के लिये मुकर्रर किया । उनके सामने जांच करते वक्त वहां पर एक साहब को फरजी अधिकारियों की तरफ से पेश किया गया । कहा जाता है कि जो गवाह पेश किये गये उनमें एक पुलिस कान्सटेबिल के इशारे पर पेश किया गया था ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

जिस समय बयान लिखे जा रहे थे, मैंने पूछा कि यह कौन आदमी है तो बताया गया है कि है कोई । जब जिलाधीश से पूछा गया तब पता चला कि वह एक कान्सटेबिल थे ।

श्री राजाराम--

अगर यह बात सही है तो यह बात जांच करने की है कि इसमें तथ्य क्या है ? दूसरी बात जब किसी अधिकारी को सहादत लेने का अधिकार नहीं है और न वह किसी आदमी को

मजबूर कर सकता है तो उस जांच से क्या लाभ ? मैं समझता हूं कि इस मामले में न्यायिक जांच हो ताकि जनता में जो भावना सरकार के प्रति फैली हुयी है वह न फैले । माननीय त्रिपाठी जी ने यह कहा कि जो भीषण दुर्घटना कुछ साल पहले इलाहाबाद में घटी थी, उसके बाद यह दूसरी घटना है । बात सही है । उस घटना में भी वी०आई० पीज इलाहाबाद में गये हुये थे और इस घटना में भी महामहिम राज्यपाल महोदय अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर गये हुये थे । मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने कितना ही ज्यादा प्रबन्ध मेले के लिये क्यों न किया हो लेकिन जिलाधीश का ध्यान राज्यपाल के प्रबन्ध में न लगा हो, यह बात असंभव है । इस बात की जांच होनी चाहिये कि कितने पुलिस के लोग, पी०ए०सी० के लोग, इस वर्ष मेले में गये थे । कितने उनमें से मेले के प्रबन्ध के लिए लगाये गये और कितने राज्यपाल के प्रबन्ध के लिये नियत किये गये ? जब तक ये बातें निश्चित नहीं होंगी तब तक लोगों में संतोष नहीं होने वाला है ।

एक बात की ओर और भी ध्यान देने की जरूरत है और वह यह है कि यदि एक ही तरफ से लोगों को आने जाने का आदेश होता यानी मेले में वन-वे ट्रैफिक होता तो मेरा ख्याल है कि यह घटना न होती लेकिन दोनों तरफ से आने जाने की व्यवस्था वहां के अधिकारियों की थी वह उनकी दूरअन्देशी जाहिर नहीं करती है । उनको वहां वन-वे ट्रैफिक कायम करने के आदेश देने चाहिये थे ।

दूसरी बात यह है कि अबकी साल वहां मेले में भीड़ बहुत ज्यादा हुयी । ऐसा ख्याल किया जाता है कि वहां पर १०–१२ लाख आदमी रामनवमी में आये जबकि हर वर्ष ६–७ लाख के करीब आते थे । जब इतनी बड़ी तादाद में आदमियों की भीड़ थी, जो पहले सालों के मुकाबिले में ड्योढ़ी थी तो अधिकारियों को इस बात को महसूस करके इन्तजाम ज्यादा करना चाहिये था । उसके लिये ज्यादा पुलिस की व्यवस्था करनी चाहिये थी लेकिन मैं समझता हूं कि इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गयी । इसकी भी जांच आवश्यक है । मान्यवर, आदित्य प्रकाश रस्तोगी, असिस्टेंट इंजीनियर ने अपने बयान में बताया है कि उन्होंने ७ १/२ बजे प्रातः कोतवाली में जहां पर एस०डी०एम० का कार्यालय था, वहां पर फोन किया कि भीड़ बहुत ज्यादा है और ज्यादा पुलिस का इन्तजाम किया जाय । मुझे नहीं मालूम उसके बाद क्या इन्तजाम किया गया । लेकिन अगर उस वक्त सावधानी बरती जाती तो ८ बजे जो घटना घटी वह शायद और पुलिस के पहुंचने से न घटती और अगर घटती भी तो बहुत मात्रा कम में घटती । आदित्य प्रकाश ने बयान में यह भी बतलाया कि सरकारी मोटर बोटें उस घाट पर थीं जहां राज्यपाल महोदय के स्नान का इन्तजाम था और इस नये घाट पर जहां घटना घटी वहां पर कोई मोटर बोट नहीं थी और जो सरकारी नावें थीं वे बहुत बड़ी थीं जो आसानी से मूव नहीं कर सकती थीं और न किसी को बचा सकती थीं । जो जानें बचाई वे प्राइवेट नाव वालों ने बचाई और उसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार पता लगा कर उनको इनाम देगी ताकि ऐसे लोगों को भविष्य के लिये प्रोत्साहन मिल उसके और ऐसी घटनाओं के वक्त जान बचाने के लिये वे आगे आ सकें ।

इस वक्त जनता में बड़ा असंतोष है, नाना प्रकार की भावनायें फैली हुई हैं । फैजाबाद के बार एसोशियेशन ने भी प्रस्ताव पास किया है कि न्यायिक जांच हो और माननीया मुख्य मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगी कि और न्यायिक कमीशन मुकर्रर करेंगी ताकि जनता के दल को ढाढस मिल सके और जो नाना प्रकार की भावनायें फैली हुई हैं वे दूर हो सकें ।

*श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या में जो दुर्घटना हुई है उस पर न्यायिक जांच की मांग का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । वहां की दुर्घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रही, सैकड़ों आदमियों की जानें गयीं और एक इंसान होने के नाते सभी की सहानुभूति उन मरे हुए व्यक्तियों के परिवारों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

के साथ है । परन्तु सहानुभूति के साथ साथ हमको अपना संतुलन खो देने की कोई आवश्यकता नहीं है । मैं इस बात को नहीं मानता कि जो दुर्घटना हुई है उसके लिये सरकार किसी प्रकार से उत्तरदायी है । मैं सरकार का पैरोकार नहीं हूं लेकिन साथ ही मैं उस बात को भी नहीं कहना चाहता, जो कि असंगत हो । मैं सरकार को केवल उन बातों के लिये उत्तरदायी समझ सकता हूं जो कि उसकी गलत नीतियों, गलत कार्यक्रमों या फैसलों के कारण उत्पन्न हों और हमको सरकार के बीच तथा स्थानीय अधिकारियों के बीच अन्तर करना सीखना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि जो कुछ दुर्घटना हुई उसके लिये जिम्मेदार वहां के अधिकारीगण हैं । उनकी अदूरदर्शिता, उनकी लापरवाही इस को और भी गंभीर बनाने में सहायक हुई है । लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इस प्रदेश के राज्यपाल महोदय की उस घटना के लिये है । मैं कहना चाहता हूं कि एक राज्यपाल को इतनी समझ होनी चाहिये कि ऐसे अवसर पर यदि वह वहां जायेंगे तो क्या परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है ? अधिकारी वर्ग मजबूर था अपनी सारी शक्ति लगाकर उनका स्वागत तथा सम्मान करने के लिये । इस प्रकार की एक घटना पहले भी हो चुकी थी और राज्यपाल महोदय को यह बात मालूम होनी चाहिये थी कि वहां जाने के क्या परिणाम हो सकते हैं ।

मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे बड़े नेता, राज्यपाल या राष्ट्रपति जी जब कभी तीर्थस्थान में जाते हैं या भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वे नम्र होकर जाना पसन्द नहीं करते हैं बल्कि वे बड़े ठाट बाट के साथ जाना चाहते हैं । अगर सरकार का उत्तरदायित्व है तो उससे कहना चाहता हूं कि वह राज्यपाल या वी०आई०पीज के लिये यह आदेश जारी कर दे कि या तो वे ऐसे अवसरों पर जायें नहीं और अगर जायें तो खतरा मोल ले कर साधारण नागरिक की हैसियत से जायें । लेकिन अगर वे उसी तरह से जायेंगे और उनको पूरी राजसी ठाट के साथ स्वागत किया जायगा जो ये दुर्घटनायें घटती रहेंगी । मैं इस के लिये सरकार को उत्तरदायी नहीं समझूंगा लेकिन उसको उत्तरदायी समझूंगा अगर उन्होंने इस दुर्घटना के पीछे जो कारण है उनकी न्यायिक जांच न कराई या इस तरह के आदेश न निकाले कि राज्यपाल या अन्य बड़े नेताओं के जाने पर इस प्रकार का प्रबन्ध नहीं होगा ।

श्रीमन्, अनेक आरोप लगाये गये हैं । कहा यह गया है कि पुल की हालत ठीक नहीं थी । जब ऐसा मेला होने वाला हो तो पुल की मरम्मत अवश्य उससे पहले हो जानी चाहिये थी । दूसरी बात यह कही गई कि कुछ नावों को जो पूरब में थीं उनको पश्चिम में ले जाने के लिये पुल को खोल दिया गया और ठीक नहीं किया गया जैसा कि करना चाहिये था । इसके अलावा यह बात भी स्पष्ट है कि जो नावें या मोटर बोट्स उस समय पूरब में थीं उनको पश्चिम में राज्यपाल महोदय के स्वागत के लिये भेज दिया गया और दरिया का बहाव पूरब की तरफ है । इसलिये जो लोग बहे उनको बचाने के लिये कोई किश्ती वगैरा या मोटर बोट वगैरा नहीं थी ।

श्रीमन्, यह भी कहा गया है कि कोई ट्रैफिक के कंट्रोल करने का प्रबन्ध नहीं था । ऐसे अवसर पर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रबन्ध न करना या उसमें असमर्थ रहना, यह भी बहुत बड़ी गलत बात है और इसके लिये जो उत्तरदायी हो उसको सजा होनी चाहिये । लेकिन सजा कैसे होगी ? इसका कारण यह है कि वहां पर पुलिस नहीं थी । वहां पर केवल तीन कांसटेबिल्स थे और वे कैसे इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रण में रख सकते थे ? वहां पर पुलिस ने कहा कि हम असमर्थ हैं हम कुछ नहीं कर सकते हैं । इसके बाद जो लोग बह गये । उनको बचाने के लिये कोई प्रयत्न या कोई प्रयास नहीं किया गया ।

श्रीमन्, इसके अतिरिक्त पुलिस का रवैया जनता के साथ यह रहा कि पुलिस लाशों की तलाश करने के बजाय उन लोगों के पास जो घड़ियां, अंगूठी या रुपये पैसे थे, उनकी तलाश में निकल पड़ी । श्रीमन्, हमारे पड़ोस में एक एग्रीकल्चर के इन्सपेक्टर हैं, उनके सगे संबंधी की मृत्यु हुई, उन्होंने बड़ी दर्दनाक बात बताई कि यहां की पुलिस कैसी है । यह इस बात से

पता चलता है। १९६२ में जब चुनाव हो रहे थे तो विक्रमजोत थाने की पुलिस उनके साथ रही। उनकी एक टीम वहां गई थी। जब दुर्घटना हुई और वे विक्रमजोत थाने पर पहुंचे तो उन्हें बड़ी खुशी हुई कि कांस्टेबिल उनकी जान पहचान का निकला। उन्होंने उसकी बड़ी मिन्नत की कि खुद मेहनत करे और दूसरे लोगों से मेहनत कराये और उनके सगे संबंधी की लाश ढुंढ़वाये। उन्होंने उस कांस्टेबिल के पैर तक छुये। लेकिन जब लाश मिली और उसी कांस्टेबिल को मिली तो उसने घड़ी, अंगूठी और उनकी जेब के रुपये निकाल लिये और लाश नदी से निकाल कर दूसरी जगह फेंक दी। इस लाश का पता कैसे चला? एक सर्वे करने वाले अधिकारी, गवर्नमेंट आफ इंडिया के घूम रहे थे। उनके पास मोटर बोट थी। उनसे मिन्नत की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की लाश देखी है। उन्होंने वह लाश ढूंढ़ निकाली। पुलिस इसमें लगी हुई थी कि मरे हुये आदमियों से चीजें छीन कर अपनी जेब में रख लें। उनको डर था कि अगर लाश की रिपोर्ट दे दी गई तो उनको घड़ी और अंगूठी वगैरह का हिसाब देना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने भी कानेस्टेबिल या पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाये। मैं माननीया मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह जो दुर्घटना हुई है और उस पर जो रवैया अपनाया गया है वह शान्तिकाल की बात है, यदि इसी प्रकार की दुर्घटना अशान्तिकाल में हुई होती, जिस समय अशान्तिकाल में हमारे नगरों पर बम बरसाये जा रहे होंगे, तो मुझे डर है कि उस समय भी यहां की पुलिस लोगों को राहत देने के बजाय यहां के लोगों की जेबें लूटने खसोटने में लग जायेगी। इस प्रकार की पुलिस पर में ध्यान देना चाहिये।

(लाल बत्ती होन पर)

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी। खैर अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिर जांच का उद्देश्य क्या हो? जांच के उद्देश्य दो ही हो सकते हैं, एक तो यह कि असन्तुष्ट जनता में विश्वास पैदा हो सरकार के प्रति, कि सरकार जो कुछ सम्भव है, कर रही है और दूसरा उद्देश्य यह हो सकता है कि दुर्घटना के कारणों पर निष्पक्ष रूप से, पूरी तरह से रोशनी पड़े और उनकी जांच के परिणामों से सरकार भविष्य के लिये सचेष्ट हो जाये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की जांच वह करा रही हैं, उनसे इसमें से किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि इस पर प्रशासन और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार न्यायिक जांच कराये और भविष्य में यह बंदिश लगा दे कि ऐसे महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ के मौके पर जबकि सारे देश की जनता उमड़ पड़ती है, राज्यपाल या दूसरे उच्च पदाधिकारी या मंत्रिगण वहां नहीं जायेंगे, यदि जायें भी तो वह अपना खतरा लेकर जायें, सरकार की ओर से उनके लिए कोई विशेष प्रबन्ध न किया जाये, वह केवल एक साधारण नागरिक की हैसियत से ही वहां जायें। यदि सरकार इसे नहीं करती है तो मैं माननीय उग्रसेन जी के विचारों से सहमत होने के लिये बाध्य हो जाऊंगा।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्घटना बहुत दुखद है। इसका न इधर की बैठने वाला और न उधर का बैठने वाला ही समर्थन कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, दुर्घटना कोई सूचना देकर नहीं आती है, दुर्घटना जब होती है तो वह अचानक आती है, जिसका अंजाम खराब होता है। आदमी का ध्यान किसी तरफ होता है और दुर्घटना अचानक हो जाती है। अयोध्या भगवान रामचन्द्र जी का जन्मस्थान है। राम नवमी के इस सुअसवर पर सारे देश के हिन्दू अपने इष्ट देव के जन्मस्थान का दर्शन के लिये, वहां का आनन्द लेने के लिये, वहां पर इट्ठा होते हैं। मैंने भी कई बार उस मेले को देखा है। जिस समय भीड़ चलती हैं, वह भीड़

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

किसी कांस्टेबिल के, किसी सरकारी कर्मचारी के वश की बात नहीं रह जाती है। जिस वक्त भीड़ उमड़ती है, भगवान रामचन्द्र की भक्ति में गाते बजाते लोग चलते हैं और वे जिस रास्ते को देखते हैं, उसी पर चल पड़ते हैं, उस पर यह प्रतिबंध करना असंभव हो जाता है। इस पर यह आक्षेप करना कि किसी पुलिस ने इंतजाम ठीक नहीं किया, किसी कांस्टेबिल ने रास्ता नहीं ठीक बताया, यह मुझे असंदिग्ध मालूम पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी ठीक है कि महामहिम राज्यपाल जी भी दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके मस्तिष्क में भी भगवान रामचन्द्र जी के जन्म स्थल का दर्शन करने की कोई भावना रही होगी, मैं नहीं कह सकता कि वह धार्मिक भावना से उस स्थान पर गये या केवल ऐतिहासिक महत्व के स्थान को समझकर उसे देखने इस अवसर पर गये। उन्होंने भी सोचा होगा कि हम भी वहां जाकर देखें भगवान रामचन्द्र का जन्मस्थान कैसा है, वहां की जनता की भक्ति कैसी है, वह किस उत्साह से अपने तीर्थ का दर्शन करने जाती है। मैं नहीं समझता कि उन्होंने इतना बड़ा कोई अपराध किया कि सारी दुर्घटना की जिम्मेदारी उन्हीं पर दी जा रही है।

हमारे भाई त्रिपाठी जी बोले। वह वहां के दुख से प्रेरित होकर बोले। और उस भावना को उन्होंने अपने मनोभाव में व्यक्त किया लेकिन हमारे उग्रसेन जी का भाषण तो बिलकुल राजनैतिक भाषण था, बिलकुल पोलिटिकल भाषण था। उस भाषण में वहां पर डूबी जनता के प्रति जो दर्शन करने आ रहे थे, जिनके सगे संबंधी मर गये, उस दुर्घटना के प्रति उनकी आवाज में कोई दुख नहीं था। वह केवल राजनैतिक चाल का भाषण था और उनको तो एक निशाना मिल गया मुख्य मंत्री जी से कहने का कि वह अपना इस्तीफा दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का दुख है कि माननीय उग्रसेन जी इस तरह से अपने को एक झूठे आवरण में छिपा कर अक्सर जनता की हमदर्दी लेना चाहते हैं लेकिन बड़ी आसानी से पकड़ लिए जाते हैं। अगर वे केवल उस दुर्घटना की बात कहते, उन संतप्त परिवारों की हमदर्दी में कुछ कहते, सरकार की बदइंतजामी पर कुछ कहते, तो यह बात ठीक थी लेकिन आपने इसे सीधा पोलिटिकल भाषण कर दिया। तो कहने के लिए आपकी मंशा हमदर्दी की है, ईमानदारी की बात यह है कि आपकी हमदर्दी उनके साथ नहीं है। इस तरह से आज भी आप पकड़ लिए गये। श्रीमन्, मैंने भी उस मेले को अनेक बार देखा है और उस मेले में मैंने कांस्टेबिलों को भी अपना साफा उतारकर फेंकते हुए देखा है, वर्दी उतार कर फेंकते हुए देखा है। वे भी जिस वक्त स्नान का समय होता है सरयू में नहाने के लिए कूद पड़ते हैं। वे भी समझते हैं कि हम हिन्दू हैं और यह भगवान राम चन्द्र जी का जन्म स्थान है। वे यह नहीं सोचते कि हम क्या करने जा रहे हैं। वे भी हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं। (व्यवधान) शोर करने से काम नहीं चलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, कांग्रेस राज्य का असली रूप यही खींच रहे हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

वहां का एक धार्मिक वातावरण होता है जहां का प्रबंध करना, सरकार, पुलिस, पी० डब्ल्यू० डी०, मैजिस्ट्रेट या किसी प्रबंध करने वाले के लिए असंभव है। श्रीमन्, इसमें एक आदमी की सबसे बड़ी गलती है और वह उस आदमी की गलती है जो जिम्मेदार था खुले हुए पोपों को जोड़ कर ठीक से मजबूत कर देने का। अब आप कहते हैं कि वे पोपे इसलिए खोल दिए गये थे कि इधर की नावें उधर जायें और उधर की नावें इधर आवें, तो मेरे खयाल में एक आदमी की इसमें जबरदस्त भूल है जिसके हाथ में रिंच था, पोपे को कसने का सामान था। वह आदमी सबसे ज्यादा गैर-जिम्मेदार है जिसने उन पोपों को ठीक से कसा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए और उसे इसके लिए सजा मिलनी चाहिए कि उसने अपनी ड्युटी को पूरा क्यों नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, जिसने रिंच बनाया है उसी का दोष होगा, कसने वाले का दोष क्यों है भाई ? इस तरह की बेहूदगी का भाषण आप करा रहे हैं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

श्रीमन्, काशीनाथ जी तो अपनी आदत से मजबूर हैं। जो हम कह रहे हैं उस सच बात को सुनने में उन्हें बड़ा कष्ट होता है। मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो इंक्वायरी वहां तनात की है, उसके सामने मेरा यह सुझाव है कि वह व्यक्ति जिसे उन पीपों को जोड़ना चाहिए वही सबसे बड़ा जिम्मेदार था। इसके लिए न सरकार जिम्मेदार है, न पी० डब्ल्यू० डी० जिम्मेदार है, न पुलिस जिम्मेदार है और न मैजिस्ट्रेट जिम्मेदार है। ऐसे धार्मिक स्थानों पर सब लोग असफल हो जाते हैं और किसी की बुद्धि कोई काम नहीं करती। हमने अनेकों बार अपनी आंखों से देखा है कि हनुमानगढ़ी के मंदिर पर लोग चढ़ गये। (व्यवधान) अनेकों बार मैंने अपनी आंखों से देखा है जब कि पचासों हजार आदमी हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर खड़े हो जाते हैं और लोगों का तीन तीन, चार चार और छः छः घंटे तक एक कदम चढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैंने यह भी देखा है कि वहां पुलिस बेकार हो जाती है, मैजिस्ट्रेट बेकार हो जाते हैं और किसी की कारीगरी वहां नहीं चलती। सब लोग हनुमानजी की पूजा करना चाहते हैं और सारा प्रबंध फेल हो जाता है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि जिन परिवारों के व्यक्तियों की वहां मृत्यु हुई है और जो वहां मरे हैं उनके परिवार वालों का पता लगाकर उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। सरकार को हर प्रकार से उनकी मदद करनी चाहिए और जो एक व्यक्ति जिम्मेदार है, जिसने बोल्ट ठीक से नहीं कसा है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

यह बड़ा अहम मसला है इसलिये इसमें समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि सभी को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष--

१० मिनट इस पर हर एक के लिए निर्धारित कर दिए गये हैं।

श्री गंगाप्रसाद--

लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे वैसे का सवाल नहीं है। मैं अपनी अक्ल से काम करता हूं।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अयोध्या में राम नवमी के इस पवित्र पर्व पर जो दुखद घटना हुई है इससे हमारे पूरे राज्य में एक क्षोभ और असंतोष पैदा हो गया है। श्रीमन्, मैं सब से पहले इस घटना में, जो मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं।

श्रीमन्, इस घटना के दो पहलू हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है ? और दूसरी बात यह है कि इस घटना के घटने के बाद जिस प्रकार से वहां के अधिकारियों को और सरकार को, जो इस घटना के शिकार थे उनके प्रति हमदर्दी जाहिर करनी थी, उनकी सहायता करनी थी, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह किया गया अथवा नहीं ? पहली बात श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना घटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मैं सरकार के ऊपर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

डालता हूं । मैं यह नहीं मानता कि सिपाही से ले कर राज्यपाल तक किसी की जिम्मेदारी ठहराई जाय और फिर मैं यह दलील नहीं समझ पाता कि सरकार उसकी जिम्मेदारी से कैसे बरी हो पाती है । जिसकी जिम्मेदारी साबित की गई है अगर वह उसे पूरा करने के लिए ठीक से काम नहीं करता, गलती करता है तो लाजमी तरीके से उसकी जिम्मेदारी भी सरकार पर आती है ।

श्रीमन्, जो मेरी सूचना है और जिन्होंने अपनी आंखों से इस घटना को देखा है, जब इतनी बड़ी भीड़ राम नवमी के अवसर पर अयोध्या में मौजूद थी, उस समय उस पुल पर केवल तीन सिपाही और एक थानेदार ड्यूटी पर मौजूद थे । राज्यपाल महोदय वहां थे और सारे के सारे वहां जिले के अधिकारी राज्यपाल महोदय की आवभगत में, उनकी सुरक्षा में, उनकी व्यवस्था में, उनको किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये, इसमें लगे हुए थे और यह भीड़ अनियंत्रित रूप से उस पुल पर थी और उसे दोनों तरफ से जाने आने दिया गया था । नतीजा यह हुआ जो होना चाहिए था । वहां उचित व्यवस्था नहीं थी और भीड़ को इस कारण नियंत्रित नहीं किया जा सकता था । लाजमी तरीके से जब भीड़ अनियंत्रित हो गयी तो पुल को टूटना था और इस प्रकार की यह घटना घटी ।

श्रीमन्, दूसरी बात जो घटना से भी ज्यादा तकलीफदेह है वह यह कि इस पूरी घटना को जानबूझ कर छिपाये जानेका प्रयास फैजाबाद के सारे अधिकारी कर रहे हैं और यह सब से गंभीर बात है । जो घटना हुई है उसके लिए जनता में जो धारणा है, जैसा कि राजाराम जी ने कहा कि लगभग १०० व्यक्ति डूबे होंगे, किंतु सारे अधिकारी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वह संख्या १०, ११ से अधिक बढ़ने न पाये । जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उनके बयानात क्या हैं यह देखिए । आप कहते हैं कि हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती, आप शासन पर जिम्मेदारी डालना नहीं चाहते । श्रीमन्, मैं केवल कुछ ऐसे बयान, जो कि इंक्वायरी बैठी है उसके सामने भी ऐसे लोग आयेंगे जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से देखा है और जो नदी के अन्दर गिरे हैं, वह बयान आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । श्रीमन्, श्री शंकर सिंह बस्ती जिले के वकील हैं । उन्होंने अपना बयान दिया है और उसमें कहा कि यह आरोप लगाया गया कि सारे ही अधिकारियों ने इस घटना को छिपाने का प्रयास किया और अब भी उसका प्रयत्न किया जा रहा है। आगे उन्होंने अपने बयान में सरकारी कर्मचारियों की बात कही है । एक ऐसा ही राज्य सरकार का कर्मचारी श्री जमुनाप्रसाद सिंह जो अपील क्लर्क हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब हम लोगों को खींच रहे थे, तो पुल पर भीड़ नहीं थी। हमने पुलिस से बचाने के लिए कहा तो उसने कहा कि हमारा काम बचाना नहीं है । यह एक भुक्तभोगी कहता है । मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस का क्या काम है ? क्या यही है कि आई० जी० जब दौरे पर जायं, तो एक एक फर्लांग पर मीलों तक पुलिस की व्यवस्था कर दी जाय या मंत्री दौरे पर जायं, तो सारी पुलिस उनकी देखभाल के लिए तैनात कर दी जाय और जब १० लाख जनता किसी स्थान पर इकट्ठा हो तो वहां केवल ३ कांस्टेबिल और एक थानेदार की ही ड्यूटी लगाई जाय ? यह कहां तक उचित है ? इस दुखद घटना के संबंध में बस्ती जिले के एक ऐडवोकेट श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह जिनके चचेरे भाई इस सरकार के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, जिनका नाम श्री जे० पी० सिंह है, जब वह परेशान हो गये, तो उनको लेकर थाने के अन्दर गये, कि हमारी रक्षा कीजिये, लाशों को निकलवाइये, पता लगाइये, तो श्री जमुना सिंह अपने बयान में कहते हैं कि मैं अपने चचेरे भाई, श्री जे० पी० सिंह, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर से मिला । हमने अधिकारियों को फोन करने की कोशिश की लेकिन कोई नहीं मिला, सारे के सारे अधिकारी राज्यपाल की व्यवस्था में लगे थे । श्री जे० पी० सिंह ने दरोगा से बात की तो उसने उपेक्षा दिखाई । इससे बढ़कर शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? इतनी बड़ी घटना हो जाय, जब लोगों की लाशों को निकालने के लिये कहा जाय तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस तरह की उपेक्षा बरतना, उस सरकार के लिये बड़ी शर्मकी बात है । इस सरकार को जो सूचना है, उसके मुताबिक केवल १० आदमी लापता हैं ।

श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह ने इन्क्वायरी कमीशन के सामने बयान में कहा है कि केवल ३२ आदमियों के लापता होने की सूचना केवल बस्ती जिले से उनके पास आई है। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा क्यों नहीं की कि इस प्रकार की सूचना लोग सीधे सरकार के पास भेजें, जबकि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपेक्षा की नीति बर्ती जा रही है। उनको सूचना देने से क्या लाभ होने वाला है ? आप विज्ञप्ति प्रकाशित करतीं कि लापता लोग मुख्य मंत्री को लिखें कि किन किन के सगे संबंधी इस घटना के अन्दर शिकार हुये हैं, तब वास्तविकता सामने आती। यही नहीं श्री जगदम्बा प्रसाद सिंह ने अपने बयान में कहा कि वे लोग कंट्रोल रूम गये, जहां कई मैजिस्ट्रेट बैठे थे, उनसे बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मैंने कहा कि अभी कोशिश की जाय तो लाशें मिल जायगी लेकिन उन लोगों का व्यवहार ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। कोई मानने को तैयार ही न था कि कोई बड़ी दुर्घटना अयोध्या के पुल पर हो गई है। यह वहां के अधिकारियों का रवैया है। इससे ज्यादा बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है कि मरे हुये व्यक्ति पर से पुलिस घड़ी, पैसा और फाउन्टेपेन निकाल लेती है। और यह इसलिये होता है क्यों कि सरकार के जिम्मेदार मंत्री इस सदन के अन्दर अपने पुलिस अधिकारियों के रवैये को छिपाते हैं। उन्हें डिफेंड करते हैं, जिसका लाजिमी नतीजा यह होता है कि हम चाहे जो कुछ काम करें, हमारे मंत्री रक्षा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का रवैया बहुत ही घातक है और ऐसे मौके पर विशेषकर पुलिस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये जिसकी पुलिस ने मृतकों के साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं मांग करता हूं कि इस घटना की सही जांच कराई जाय, जिससे प्रदेश की जनता में विश्वास हो और धार्मिक जनता को जो क्षति हुई, उसकी भी किसी हद तक सरकार की कार्य कुशलता में आस्था पैदा हो। इसके लिये मैं न्यायिक जांच का समर्थन करता हूं।

(श्री रामलखन शुक्ल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगाप्रसाद--

श्रीमन्, यह पक्षपात हो रहा है। हम गोंडा के रहने वाले हैं, हमको मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना के संबंध में नेता विरोधी दल ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है.....

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमान्, जरा समय कम कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष--

अब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री रामलखन शुक्ल--

मैं कह रहा था कि घटना के संबंध में नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है और मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक माननीय सदस्य उनकी भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करता है। जो उनके दिल में दर्द है और जिस भावना से उन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है उसमें दो रायें रखने की सम्भावना नहीं है। मैं नेता विरोधीदल को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहता हूं कि अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय उन्होंने अपना दृष्टिकोण निन्तात मानवीय रखा और इस पर राजनीतिक रंग नहीं चढ़ने दिया। परन्तु श्रीमन्, जब यह उबाल आगे बढ़ा, और उपनेता एस० एस० पी० के पास पहुंचा, तो उन्होंने दायें, बायें, सामने पीछे वेतहाशा किकिंग शुरू कर दी। ऐसी बात शुरू कर दी कि उससे ऐसा लगा कि उस घटना से उनकी हमदर्दी; नहीं है, और उन्होंने

[श्री रामलखन शुक्ल]

उसमें राजनीति घुसेड़ दी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के इस्तीफे का प्रश्न इस मामले से कहा उठता है ? और उस प्रश्न को यहां ला करके उस दुर्घटना के ऊपर एक पर्दा डाला जाता है, और उसकी जिम्मेदारी माननीय उग्रसेन के ऊपर है ।

श्री उग्रसेन--

श्री राम ने तो सेतु बांधा था, एक लाख बानर ले गये, न पुल टूटा और न कोई बंदर मरा । उन्हीं की नगरी में यह घटना हुई ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें, हरवक्त कमेन्ट्री न किया कीजिये ।

श्री रामलखन शुक्ल--

हम उस घटना की अहमियत को किसी तरह से कम न होने दें और यदि हम उसमें राजनीति की बात लायेंगे, तो जांच पड़ताल द्वारा जानकारी हासिल करने का तरीका दूर पड़ जायगा । इसलिये मैं माननीय उग्रसेन जी से कहता हूं कि उनसे मेरी हमदर्दी है और उनकी कद्र करता हूं । समय राजनीति से इस घटना को अतिरंजित करने का अवसर नहीं है ।

श्री उग्रसेन--

जरा फैजाबाद के कलेक्टर को कहिये, जो कहता है कि दो मरे और ७ घायल । उसको मोअत्तल कीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठें ।

श्री रामलखन शुक्ल--

मान्यवर, मेरी उनसे यही अपील है कि, इस घटना की अहमियत को कम न होने दें । जब यह उबाल और आगे चला तो माननीय भानुप्रताप सिंह ने कहा कि सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है । सारी जिम्मेदारी राज्यपाल के ऊपर है । मैं उनसे कहूंगा कि राज्यपाल को जो सुविधायें दी गई हैं, वह संविधान के अधीन दी गई है । राज्यपाल को एक इन्सान के तरीके से मैं ए क्लास का कैदी मानता हूं । अफसर की हैसियत से उनकी स्थिति दूसरी है । राज्यपाल महोदय को स्वयं नहीं मालूम था कि उनकी सुरक्षा के लिये क्या क्या प्रबंध था ? हां, यदि आधिकारियों ने श्री राज्यपाल को अधिक सम्मान देने हेतु अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो यह अवश्य दुखद बात है ।

अब जैसा कहा गया कि पुलिस के नियंत्रण की इतनी भीड़ में कोई आवश्यकता नहीं थी, म इससे सहमत नहीं हूं । ऐसे मेलों में सदा नियंत्रण किया जाता है और होना भी चाहिये । लेकिन अगर यह बात सही है कि वहां पुल पर केवल ३ कांस्टेबिल और एक थानेदार ही तैनात था, तो निश्चय यह बड़ी गम्भीर बात है और इसकी जांच होना चाहिये । मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि उस घटना से हमदर्दी है, तो उसकी जांच की क्या व्यवस्था हो, उसमें कौन सी बातों का पता लगाया जाय इस बारे में हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मैं इस बात के सहमत हूं कि जिन बातों की तरफ नेता विरोधी दल ने संकेत किया है, उनसे प्राइमाफेसी पुलिस की बदइन्तजामी का केस बनता है । और जो भी हमारे कर्मचारी ऐसी व्यवस्था करने से संबंधित रहें हों, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिये और उनके कन्डक्ट की जांच होनी चाहिये । और अगर इस घटना को राजनीतिक रंग देकर ऐसा वातावरण पेश करेंगे कि सरकार को अपना डिफेंस लेना पड़े, और इतनी अतिरंजित आलोचनायें सरकार को विवश कर दे कि वह अधिकारियों को भी डिफेंस दें तो मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिये । तो ऐसी अवस्थां उत्पन्न करना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं ।

न्यायिक जांच के बारे में मुझे यह कहना है कि हमारे यहां गोरखपुर में फायरिंग हुई। उसकी न्यायिक जांच हुई। उस जांच का नतीजा आज मैं कहता हूं चाहे भले ही कन्टेम्प्ट आफ कोर्ट हो, मैं समझता हूं कि उसका संतोषजनक परिणाम हमें नहीं मिला। गिल्टी लोग उसमें छोड़ दिये गये और उसका एक कारण यह है कि जजेज बाई नेचर लीगल क्विब्लिग में जाते हैं और दोनों तरफ के वकीलों की बहस सुनकर बालकी खाल निकाली जाती है। इसलिये मैं न्यायिक जांच के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मेरी मंशा यह नहीं है कि इस घटना की जांच ही न हो। जांच होनी चाहिये और माकूल जांच हो और जो कसूरबार पाया जाय, उसे ऐसा दंड दिया जाय जिससे दूसरे लोग सबक सीखें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कुम्भ में जो दुर्घटनायें, हुई उससे हमने सबक नहीं सीखा। सरकार की जिम्मेदारी यह नहीं है कि यह शर्मनाक घटना घट गई क्योंकि वह स्वयं तो ऐसे मौके पर उपस्थित नहीं रहती। लेकिन शर्मनाक बात तब होगी, जब इस घटना की जांच करके संबंधित व्यक्तियों को दण्ड न दे। सरकार के लिये लज्जा की बात तब होगी, जब इसकी जांच न कराये? सरकार के लिये यह अवसर है, जबकि जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये उसके द्वारा उस घटना की सही जांच कराने का हर संभव प्रयत्न किया जाय और मेरा विश्वास है कि सरकार अपने कर्त्तव्य में पीछे नहीं रहेगी, तथा जांच कराकर जनता का विश्वास प्राप्त करेगी।

(श्री नेकराम शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

श्रीमन्, जब से बजट भाषण शुरू हुआ है, मुझे एक दफा बोलने का अवसर दिया गया है। हमारी पार्टी को भी इस बहस में अवसर मिलना चाहिये। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमको इग्नोर किया जा रहा है। इस तरह से आप जनतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, हम लोगों के साथ आप स्टेपमदर्ली ट्रीटमेंट करते हैं। आप हमारे विचारों को सदन में आने देना नहीं चाहते। हम आपकी इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ सदन से वाक आउट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप कल से एक आदमी बन कर आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह के लफ्ज बिलकुल गलत हैं, आपको ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने चाहिये।

श्री लखपतराम शर्मा--

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको मालूम ही नहीं, इसमें समय नहीं बढ़ता है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, मेरा ऐसा खयाल है कि हर राजनीतिक पार्टी को मौका दिया जाय। जितनी भी यहां पोलीटिकल पार्टीज हैं, उनके लीडर्स को आप बुलायें, नहीं तो उनके रिप्रेजेन्टेटिव्स को बुलायें।

श्री उपाध्यक्ष--

पार्टीज के एक एक रिप्रेजेन्टेटिव्स को अभी तक बुलाया है। रिपब्लिकन पार्टी ७ आदमियों की पार्टी है इसलिये उनका नम्बर बाद ही में आयेगा। सब को मौका नहीं मिल सकता है। जितना मिल सकता है उतना समय एक-एक आदमी को दिया जाता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

५ मिनट का समय आप कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब ५ मिनट का समय दिया जायगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो यह घटना घटी यह कोई पहली घटना नहीं है। यहां इससे पूर्व भी घटना घटी है। मैं मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं और यह कहावत भी है, "The man is wise after event", कि एक घटना के पश्चात् मनुष्य को बुद्धि आ जाती है। लेकिन सरकार को, सरकार के उच्च अधिकारियों को क्यों नहीं बुद्धि आई ? इतना बड़ा मेला प्रदेश में होने जा रहा हो सरकार ने क्या उसके लिये व्यवस्था की ? श्रीमन्, में इस घटना को दो हिस्सों में बांटना चाहता हूं। एक हिस्सा तो वह है जो मेला होने से पूर्व का है। उस मेले के होने के पूर्व सरकारी कर्मचारियों ने और इस सरकार ने और इस मंत्रिमंडल ने मेले के इन्तजाम के लिये क्या-क्या प्रबन्ध किया ? उसके कंट्रोल के लिये कितनी पुलिस का इन्तजाम किया गया ? कितनी बचाव नौकायें वहां पर रखी गई ? कितनी रेस्क्यू पार्टी वहां पर रखी गई ? उस पुल की दशा को देखते हुये उसकी क्षमता का अनुमान लगाया कि कितनी भीड़ उससे पार हो सकती है ? और कितनी भीड़ का भार यह सहन कर सकता है ? क्या यह सही नहीं है कि वहां के पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारयों ने वहां के मजिस्ट्रेट को यह लिखकर दिया कि उसके ऊपर से उतनी ही भीड़ को ले जाया जाय जिस पर कंट्रोल किया जा सके जिसको पुल वहन कर सके। और भीड़ पुल पर ठहरे नहीं चलती रहे। इससे अधिक उस पर नहीं जा सकते हैं और इससे अधिक भीड़ को अगर उसके ऊपर से जाने दिया गया तो इस पुल के टूट ने की सम्भावना है ? क्या यह पहले से पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों ने नहीं बतलाया था ? मैं सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ इस मंत्रिमंडल को भी इसलिये चार्ज करता हूं कि मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा जान बूझ कर सारी बातों को छिपाने की साजिश की, और उनको हिमायत की।

मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि हम सरकारी कर्मचारियों की गलत बातों की और गलत कामों की हिमायत नहीं करेंगे। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह घटना वहां पर सवा ८ बजे हुई। लोगों का स्नान प्रातः २ बजे और ३ बजे से शुरु हो जाता है लेकिन इस घटना की सूचना मुख्य मंत्री जी को कितने बजे मिली ? आई० जी० पुलिस को इस घटना की सूचना कितने बजे मिली ? मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय को शाम तक इस घटना का पता नहीं चला। यह घटना प्रातकाल ८। बजे होती है लेकिन राज्यपाल महोदय १०, ११ बजे स्नान करने के लिये गये लेकिन जो वहां पर सरकारी कर्मचारी थे उन्होंने उनको इसकी सूचना नहीं दी कि इस प्रकार की वहां पर घटना घट गई है। यदि श्री राज्यपाल को इस घटना की सूचना हो जाती तो मुझे विश्वास है, वे कभी स्नान करने नहीं जाते। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वहां पर जयराम जी वर्मा, डिप्टी मिनिस्टर, मौजूद थे लेकिन उनको सूचना नहीं दी गई ? हमारे स्पीकर मौजूद थे फैजाबाद में लेकिन उनको भी यह सूचना नहीं दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को कितने बजे सूचना मिली ? मैं सुचेता जी को कहना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारियों ने और सरकारी कर्मचारियों ने जानबूझकर आपको और राज्यपाल महोदय को और जिम्मेदार अधिकारियों को इस घटना की सूचना नहीं दी। मुख्य मंत्री जी यहां पर उत्तर दिया करती हैं कि अपोजीशन चार्ज लगाता है लेकिन हम यह कहते हैं और राजाराम शास्त्री जैसे भूदान नेता यह कहते हैं और आयोध्या के रहने वाले कहते हैं कि वहां पर १०० आदमियों से कम नहीं मरे हैं। तो सरकारी कर्मचारियों का यह कहना और सूचना विभाग का यह प्रचार करना कि ७ आदमी मरे या १३ आदमी मरे यह बिलकुल झूठ है और सत्य को छिपाने की बात है और यह सरकार, मुख्य मंत्री जी और मंत्रि मंडल उन अफसरों की हिमायत करता है तो क्या कहा जाय। जानबूझकर सारे सत्य और तथ्य को छिपाया जा रहा है। अगर श्री उग्रसेन जी ने यह कहा कि इस मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना चाहिये तो यह कोई ऐसी मांग नहीं है। सही कहा है। यह बड़े दुख की बात है कि प्रजातन्त्र में लोअर हाउस का होम मिनिस्ट्र होता है। फाइनेंस मिनिस्टर लोअर हाउस के, शिक्षा मंत्री लोअर हाउस का होता है, लेकिन

हमारे यहां अपर हाउस के व्यक्ति ऊपर आकर बैठ जांय तो उनके खिलाफ क्या प्रस्ताव लायें ? होम मिनिस्टर कहते हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं रही, वह हमारे काबू से बाहर है, ऐसी बातें जब गृह मंत्री कहते हैं तो आम जनता क्या सोचेगी पुलिस के बारे में ? व्यवस्था का यह हाल है कि दस लाख की भीड़ मेले में हो और ३–४ सिपाही इन्तजाम में हों। १० तारीख को यह घटना हुई, मैं माननीय होम मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि आई० जी० वहां गये या नहीं ? होम मिनिस्टर गये या नहीं ? कांग्रेस के सदस्यों का कहना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, १०० आदमी मर गये। अपोजीशन के लोग उनकी ताईद करते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री और होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार थे उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया और जिनको कि मेलों का अनुभव भी नहीं था ऐसे डी० एम० को भेज दिया। ऐसे एस० पी० इतने बड़े मेले का इन्तजाम करने भेजे गये जो नये नये पोस्ट हुए थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब आपको उन्होंने सूचना नहीं दी, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी तो क्यों नहीं उन सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड किया। कम से कम उनका ट्रांस्फर तो कर देना चाहिये था।

आपने एक आई० सी० एस० आफिसर की नियुक्ति की है, मैं उसका विरोध करता हूं। ऐसे अफसरों और मैजिस्ट्रेटी का एक ही आउटलुक रहता है। गोरखपुर विद्यार्थी आन्दोलन की जांच करायी गयी। उसको देखा उनका एक ही नजरिया है, उसी नजरिये से वह रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि या तो इस सदन की एक कमेटी बना दीजिये जो सारे मामले की जांच करे वरना मुख्य मंत्री जी, आप स्वयं अपनी ईमानदारी से कह दीजिये जांच करके कि इन अफसरों के निकम्मेपन और लापरवाही से ऐसी घटना हुई या नहीं। आप अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिये सदन में, हम मान लेंगे। लेकिन सरकारी अफसर और ये आई० सी० एस० एक ही थैली के चट्टे–बट्टे हैं, उनका विश्वास नहीं किया जा सकता। विरोधी दल के सदस्यों की कमेटी मत बनाइये, कांग्रेस के सदस्यों की ही बना दीजिये जो कि पूरे मामले की जांच करें और रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें। साथ ही जब तक जांच हो उस वक्त तक वहां के एस० पी० और डी० एम० को तत्काल और कहीं ट्रांस्फर कर दीजिये और सस्पेंड कर दीजिये ताकि भविष्य के लिये एक सबक रहे और जांच भी उचित रूप से हो सके। साथ ही यहां पर घोषणा होनी चाहिये कि ऐसे मेलों के समय पर क्या व्यवस्था रहेगी।

एक बात और है। आज २० तारीख हो गयी, लेकिन इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे इस संबंध में आपने क्या जिले जिले से सूचना मंगाई या नहीं ? जितने आदमी मरे हैं क्या आप घोषणा करेंगे कि उनको मुआवजा दिया जाय ? जितने व्यक्ति आज अपाहिज हुए हैं उनको पूरा पूरा मुआवजा मिलना चाहिये और जो मरे हैं उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाय। सरकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करके उनकी तनख्वाहों से आधा मुआवजा वसूल किया जाय, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी थी। सही मामले को आप न छिपावें। अगर छिपाना चाहती हैं तो आपकी जिम्मेदारी आती है।

इन शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं मुख्य मंत्री जी से कि आप स्वयं जांच करें और सही रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत कर दें। अगर नहीं कर सकें तो कम से कम उन अफसरों को ट्रांसफर कर दें साथ ही सस्पेंड कर दें।

श्री गंगाप्रसाद—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दुर्घटना अयोध्या में हुई है, आज सदन में उस पर विवाद हो रहा है। मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। वे ईश्वर में लीन हो गये।

आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, त्रिपाठी जी ने जो काम-रोको प्रस्ताव लाकर जनता का ध्यान आकर्षित किया है उसपर मैं अपने भी विचार प्रकट करना चाहता हूं। यह घटना क्यों हुई ? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि ९ तारीख को रात से सवेरे मेला शुरू हो जाता है और वह बराबर चलता है अयोध्या को। उसके बाद जब १०

[श्री गंगाप्रसाद]

तारीख होती है तब १२ बजे तक उधर से कोई व्यक्ति इधर आने नहीं पाता है। इधर से तो जाते हैं लेकिन अयोध्या से कोई व्यक्ति आने नहीं पाता है। और जब स्नान होता है और उधर से व्यक्ति आते हैं तो रोक दिये जाते हैं। लेकिन यह दुर्घटना ऐसी हुई कि सवेरे से लकड़ मंडी और अयोध्या दोनों तरफ से व्यक्ति आने लगे। रात में कुलफी खुली। नाव इधर से उधर हुई। कुलफी खुली, और कील लगाना भूल गये। रस्से पुराने थे। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होती थी, वह पुल दबा, लोगों ने रस्सी पकड़ी, वह टूट गयी और यह दुर्घटना हुई। कोई कहता है १००, कोई कहता है डेढ़ सौ, मगर ३–४ सौ आदमी ३ मिनट के अन्दर ही सरयू जी में समा गये। न वहां पुलिस थी, न नाव वाले ही थे, न नाव का इन्तजाम था। आदमी कूद कर बचाना भी चाहते थे, वे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यह बात भी नहीं थी कि राज्यपाल महोदय अचानक पहुंच गये हों, उनका प्रोग्राम १–२ माह पहले बनता है। इसलिये पुलिस की तैनाती वहां पर होना चाहिये थी। आई० जी० साहब की गफलत की वजह से यह दुर्घटना घटी है। अगर पुलिस तैनात होती तो यह दुर्घटना नहीं होती। गोंडा जिले के कांग्रेस सभापति ने मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को गांव-गांव में जाकर यह जानकारी हासिल करायी है कि कितने आदमी लापता हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई इस तरह की जांच नहीं हुई कि कितने, आदमी गोंडा के मरे हैं, कितने बस्ती के, तथा कितने अन्य जिलों के मरे हैं। सबसे ज्यादा आदमी बस्ती के मरे हैं। इसलिए न्यायिक जांच की जो मांग की गई है मैं चाहता हूं वह न्यायिक जांच करायी जाय। इस समय जो जांच करायी जा रही है वह खिलवाड़ है। यह दुर्घटना कोई पहली दुर्घटना नहीं है। सरकार के अतिरिक्त इसका कारण दैवी प्रकोप भी है। सन् ३४ में पटना में भी जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी काफी आदमी मरे थे। त्रेता काल में भी सैकड़ों आदमी मरे थे। मैं चाहता हूं इस दुर्घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिये.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

*श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मैं न्यायिक जांच की मांग का समर्थन करता हूं। मुझे इस दुखद घटना के बारे में स्वयं कुछ जांच करने का अवसर मिला है। साथ ही साथ, बहैसियत एक जिलाधीश के भी किसी जमाने में मुझे इस पुल का इन्तजाम करने का अवसर मिला है। इस दुर्घटना के बारे में जो मैंने जांच की और उसके आधार पर जो तथ्य मैंने निकाले तथा जिस परिणाम पर मैं पहुंचा हूं उसके बारे में मैंने एक पत्र भी माननीया मुख्य मंत्री को लिखा है, उसके विषय में भी वे अपना वक्तव्य देंगी। जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वह यह था कि उस पुल में जो ७१ पीपे लगे हैं उनमें सभी पर नम्बर पड़े हुए हैं। एक दो तीन से लेकर ७१ तक नम्बर पड़े हुये हैं और एक एक पीपा दूसरे पीपे से ४ गर्डरों से बन्धित है। पीपा नम्बर २ से पीपा नम्बर ७० तक जितने पीपे हैं उनके एक तरफ ४ गर्डर और दूसरी तरफ ४ गर्डर हैं। एक पीपा आठ गर्डरों से इस प्रकार बन्धित है। यही इन्तजाम हमेशा रहा है। इनके ऊपर जो गर्डर हैं वह चार लाइन के बनते हैं उत्तर से दक्षिण तक और इन गर्डरों के ऊपर तख्ते बिछे हुए हैं। तख्ते आपस में बन्धित नहीं हैं। तख्तों और गर्डर्स में कोई बन्धन नहीं है और तख्तों और पीपों में कोई बन्धन नहीं है। इनके ऊपर दोनों तरफ ठडिहे या रेलपोस्ट जिनको कहते हैं वह खड़े हैं और इन्हीं के ऊपर दो-दो ब्रैकेट्स हैं जिनके ऊपर रस्से पड़े हुए हैं। यह तो पुल का नक्शा है और दुर्घटना हुई कैसे इसके बारे में जिस नतीजे पर मैं पहुंचा वह यह है कि इन ७१ पीपों में पीपा नम्बर १६, १७ और १८ इन में कुछ अन्तर है। ये तीनों पीपे, इनके गर्डर और इनके ऊपर के तख्ते ये मिलकर के एक राफ्ट की शकल में हैं। वह एक साथ हटाये जा सकते हैं, एक साथ वापस लगाये जा सकते हैं। अब पीपा नम्बर १६, १५ से ४ गर्डरों से बन्धित है और उसके ऊपर जो बोल्ट है वह खोला जाता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसी तरह १८, १९ के बीच का जो बोल्ट है वह खोला जाता है, तब यह एक राफ्ट अलग हो जाता है। वहां पर आम शहादत से और पी० डब्लू० डी० के सबार्डिनेट्स जो बेलदार वगैरह हैं उनसे मैंने बात की तो उनका कहना यह है कि इस दुर्घटना से पहले वह राफ्ट जिसके बन्धन को वह कुल्फी कहते हैं, वह पहले से खुले हुए थे और सिर्फ पीपों के ऊपर दोनों तरफ रस्से बंधे हुए थे जिनके ऊपर ऐंकर लगे हुए थे और उन्हीं ऐंकर्स के सहारे पर वह अपनी जगह पर थे। ऐसा क्यों किया गया था इसका कारण उन्होंने यह बताया कि उनका ख्याल था कि अगर राज्यपाल जी को दूसरे पार जाने की जरूरत पड़ी तो उस वक्त असुविधा उनको न हो क्योंकि तमाम गर्डरों के बोल्ट खोलने में घंटा डेढ़ घंटा लगता इससे उनको असुविधा होती, तो यह असुविधा न हो इसलिये यह किया गया था। अब सच्चाई क्या है इसका पता तो जांच से चलेगा।

इसके लिये न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। मुसद्दी लाल जी जिनको इसकी जांच के लिये नियुक्त किया गया है उनकी ईमानदारी में मुझे कोई लेशमात्र भी शुबहा नहीं है। लेकिन न्यायिक जांच और एग्जीक्यूटिव जांच दोनों में अन्तर क्या है इसको आप देखें। न्यायिक जांच को क्यों पसन्द किया जाता है और ऐडमिनिस्ट्रेटिव जांच किस हालत में पसन्द की जाती है, इसको आप जरा सोचें। अगर आप न्यायिक जांच नहीं चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जांच चाहते हैं, तो उसके लिये कोई खास कारण होना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव जांच तब होती है जब कोई ऐसी घटना हो जिसमें जनता इन्टरेस्टेड न हो, जैसे एक दफ्तर में कोई कागज गायब हो गया या कोई हुकुम अदूली हो गई तो उस वक्त एग्जीक्यूटिव जांच होती है जिसमें कि एक ही फरीक होता है, दो फरीक नहीं होते हैं। जूडिशियल जांच में हमेशा दो फरीक होते हैं, दोनों को अवसर दिया जाता है, शहादत ली जाती है, कागजात पेश होते हैं और दोनों की सुनवाई होती है। एग्जीक्यटिव एन्क्वायरी में इस किस्म की कोई बात नहीं है। मैं १५ ता० से "नेशनल हेरल्ड" में पढ़ रहा था कि जांच के लिये मुसद्दीलाल जी नियुक्त किये गये। मगर टर्म्स आफ रेफरेंस क्या हैं, वह क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं है और आज भी सरकार की तरफ से उसकी कोई घोषणा नहीं है, यह दुर्भाग्य की बात है। इस जांच में, एक तरफ तो पब्लिक है और एक तरफ अफसरान हैं। मैं सरकार के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं कि सरकार की गलती है या नहीं, यह तो बाद को मालूम होगा लेकिन एक तरफ जो अफसरान और कर्मचारीगण हैं जिनकी जिम्मेदारी रही है इसके बारे में और दूसरी तरफ पब्लिक है। उपाध्यक्ष महोदय, पांच मिनट मुझे और दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर--

आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि सच्चाई निकले, आप चाहते हैं या नहीं कि कैसे यह दुर्घटना घटी, और कौन इसके लिये जिम्मेदार हैं उनका पता लगया जाय? यह जो जांच हो रही है उसकी कोई खबर किसी को नहीं है। मैंने सुना कि बयान लिये जा रहे थे और लिये जा रहे हैं। मगर जिसके बयान, यह हम नहीं जानते। पब्लिक के किसी आदमी को कोई खबर नहीं है। पब्लिक की तरफ से कोई नुमाइन्दा नहीं है। कौन गवाह है, कहां से आया है, कौन बुलाया जा रहा है, इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। दुख की बात है कि जांच किस बात के लिये कर रहे हैं कि एक तो यह कि यह मालूम हो जाय कि कितने आदमी मर गए। उनके बारे में यह कहा गया कि जो लाश मिली उसके पास जो घड़ी, अंगूठी आदि थीं वह सिपाही साहब ने ले ली और लाश को गायब कर दिया। यह सब जानते हैं कि पुरुष लोग जो मेले में आते हैं व रुपया लेकर आते हैं और स्त्रियां जेवर पहन कर आती हैं। फिर अगर वह किसी मल्लाह या सिपाही को मिल जाती है और वह उसके जेवर को उतार लेता है तो क्यों उस लाश को गायब न कर देगा? इसलिये जब तक आप न्यायिक जांच इस संबंध में नहीं

[श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर]

करायेंगे तब तक ठीक खबर आपको मिल नहीं सकती। इस जांच में मुलाजिमान ही मुल्जिमान हैं, गवाह भी वही हैं और दूसरा फरीक कोई है नहीं। अगर आप सच्ची जांच चाहते हैं तो न्यायिक जांच कराइये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मेरी प्रार्थना है कि जब माननीया मुख्य मंत्री जी बोलने के लिये खड़ी हो रही हैं तो बड़ा अच्छा होगा यदि वे अभी यह घोषणा कर दें कि न्यायिक जांच होगी, जो आफीसरान वहां इस समय हैं, उनका तबादला कर दिया जायगा और जो लोग इस दुर्घटना में मरे ह, उनको कंपेनसेशन दिया जायगा।

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)--

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मुझे यह कहना है कि इस विषय में कोई दो दल नहीं हैं। इस विषय में जितने विधान सभा में लोग बैठे हुए हैं उन सभी के दिलों में उतना ही दुःख है जितना माननीय विरोधीदल के लोगों में होगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है। यह बहुत खेदजनक और दुखद घटना है। यह मेरे लिये और भी ज्यादा दुखद है क्यों कि मेरी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी में अगर किसी की जान जाती है तो उसकी मनोवेदना किसी भी प्रकार से किसी भाषा में प्रकट की जा सकती है। इस समय बहस में मेरी परेशानी यह है कि एक जांच कमेटी बैठी हुई है; मैं कुछ बात कहूं, वह ठीक बैठेगी या नहीं जांच कमेटी के सामने। मगर मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाना चाहती हूं कि हमारी तरफ से जरा भी मंशा नहीं है कि कोई बात छिपायी जाय। अगर किसी की गलती से, किसी के इन्डिफरेन्स से या पूरी तैयारी न करने से कोई घटना हुई है तो जिसकी भी जिम्मेदारी होगी, उसके खिलाफ उचित कार्यवाही की जायगी। मैं खुद वहां गयी थी। बात समझना कुछ मुश्किल लगता था। मगर कई बातें मेरे सामने आयीं। लेकिन क्योंकि जांच बैठी हुई है इसलिये मैं उनको कहूंगी नहीं।

एक सवाल हमारे सामने यह है कि पुल ठीक था या नहीं, पूरा शक्तिशाली था या नहीं? उसमे जो रस्से वगैरा लगे हुए थ वे ठीक लगे हुए थे या नहीं? प्रत्येक कान्टून का लिंक ठीक था या नहीं? मैंने आपकी चिट्ठी को पढ़ा, उसमें कई बाते हैं। उसको मैं मिस्टर लाल के पास भेज दूंगी ताकि सब इनफारमेशन उनके पास रहे। पुल के बारे में भी मुझे कोई अधिक संतोष नहीं है। मैंने इस बारे में सरकारी लोगों से भी पूछा और गैर सरकारी लोगों से भी पूछा। मेरी वहां पर यह कोशिश रही कि कोई आंखों देखा हाल बताने वाला मिले तो ठीक हो। कुछ लोग मिले और उनसे भी मैंने हाल जाना और वे सब बातें मिस्टर लाल के सामने हैं। मुझे बताया गया कि इस साल भीड़ ज्यादा थी। अगर दूसरे सालों से भीड़ ज्यादा थी तो उसका प्रबन्ध करना चाहिये था। अगर प्रबन्ध नहीं किया गया है, तो जरूर कुछ न कुछ गलत बात हुई है। यह भी सवाल है कि दोनों तरफ से आना जाना होना चाहिये था या नहीं? पिछले सालों में किस प्रकार से प्रबन्ध किया जाता रहा था? मुझे बताया गया कि वैहीक्यूलर ट्रैफिक तो बिलकुल बंद था लेकिन लोग दोनों ओर से आ जा रहे थे। ऐसा भी नहीं होना चाहिये था। जब मेरी कलेक्टर और कमिश्नर से बातें हुईं तो उन्होंने मुझे बताया कि कितने इंजीनियर मौजूद थे, कितने मैजिस्ट्रेट मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी या नहीं। ये बहुत सी बातें उन्होंने मुझे बतायीं। उन्होंने बताया कि भीड़ जब ज्यादा हुई, सब जगह भीड़ थी, जन्मस्थान पर, हनुमानगढ़ी में, रंगशाला में और कनकभवन में भी भीड़ थी, सब जगह ज्यादा भीड़ थी। वहां पर एक मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी थी और वह वहां घूम रहे थे। पुल पर भी मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थी, वहां पुलिस भी थी औ कुछ ज्यादा पुलिस भी वहां मंगवाई गई थी जिसकी बड़ी भारी फेहरिस्त वह बताते हैं। वह सब चीजें जांच में आयेंगी लेकिन मैं आप की जानकारी के लिये कुछ फैक्ट्स बताये देती हूं.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

आई विटनेसेज ने केवल ३ ही बताये हैं। इसी से वहां इतने आदमी नष्ट हुये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आप जो कहते हैं कि वहां केवल ३ ही कांस्टेबिल थे उसके लिये मैं 'हां' या 'नहीं' नहीं कर रही हूं। मैंने वहां पूछा कि जब गवर्नर साहब आ रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ होने को थी तो पुलिस जिले में रहती है उसी से काम लिया या बाहर से भी बुलाई ? जो उन्होंने मुझे बताया उसको भी मैं सही नहीं कह रही हूं, मैं तो केवल यह फैक्ट बता रही हूं जो मुझे बताये गये। उन्होंने मुझे बताया कि ४ प्लेटून पी० ए० सी० के थे, २ होमगार्डस् के थे, ५ सब-इंसपेक्टर्स थे, १६ हेडकांस्टेबिल्स थे, १०० सिविल पुलिस, १२ प्लेन क्लोथ्ड पुलिस, ४ रिवर पुलिस और कुछ और सब-इंसपेक्टर आदि भी थे। गवर्नर साहब उस घाट पर नहीं गये, ऋणमोचन घाट पर वह गये और वहां से कालेज गये सीधे, उन के यहां आने का प्रोग्राम ही नहीं था और न गवर्नर कहीं वास्तव में गये थे। प्रश्न यह है कि भीड़ कंट्रोल क्यों नहीं हुई, उस को कंट्रोल करने का कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये था। यह बात ठीक है और अगर मैं कहूं कि ठीक नहीं है तो वह सच्चाई की बात न होगी कि हमारे पास और भी जल्दी सम्पूर्ण रूप से इस घटना की खबर आना चाहिये थी। जिस रूप में मुझे पहले खबर मिली मैं ने उसको इतना ज्यादा नहीं समझा था, लेकिन जब मेरे पास सम्पूर्ण रूप से खबर आई, क्योंकि मैं दिल्ली में थी और वापस आते ही, मैं वहां खुद गई क्योंकि अपने जाने से एक सही अन्दाजा लगता है और कुछ ठीक बात का पता चलता है और इसीलिये मैं ने वहां स्वयं जाकर देखा।

मैं यह नहीं कहती, हो सकता है कि लोकल लोग अपनी गलती को छिपाने का प्रयास करते होंगे, आप लोगों ने जो खबर मुझे दी या दूसरी तरह से मेरे पास आई मैं कैसे कहूं कि वह गलत हैं। आपने जाकर देखा, मानीय माधव प्रसाद जी के एक साथी गुजर गये, उन का दिल विचलित है और वह शुद्ध भावना से ही दुखी होकर कह रहे हैं यह सब देखकर मैं इतनाही कह सकती हूं कि अगर किसी की केयरलेसनेस, इनडिफरेंस हुई है या किसी ने तत्परता से काम नहीं किया है तो उस के खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी। माननीय भानु प्रताप सिंह ने बताया कि वकील साहब की लाश बरामद करने में कोई मदद नहीं किया बल्कि उन की घड़ी और क्या क्या चीजें पुलिस ने ले लीं। मेरे पासजो रिपोर्ट आई है उसमें यह है कि केवट ने बाडी बरामद किया और उसी ने वह ले लिया था और बाद में उससे पुलिस वालों ने लिया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह तो हम मानते हैं कि ठीक है लेकिन लाश को क्यों छिपाया गया और क्यों पुलिस रिकार्ड में इन तमाम चीजों को रिकार्ड नहीं किया गया और डायरी में क्यों नहीं लिखा गया कि यह माल दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उन दोनों को कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को गिरफ्तार करके जेल में भेजा गया है और उनके खिलाफ जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी। अगर किसी ने तत्परता से अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया और जो सेवा वहां लोगों की करना चाहिये थी वह नहीं की तो हम कार्यवाही करेंगे क्योंकि पुलिस की डयूटी ऐसे मौके पर ला एन्ड आर्डर मेनटेन करने की और जनता की सेवा करने की होती है। चोर डकैतों को पकड़ना, भीड़ को नियंत्रित करना अगर इस सब में पुलिस कमजोर रही है, उस ने कोई गफलत की है तो हम उस को बरदाश्त नहीं करेंगे

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

सब के ऊपर हम उचित कार्यवाही करेंगे। जांच के बारे में कलेक्टर साहब ने एक मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच आरम्भ करवा दी अपने से । जब मैं दिल्ली से आयी तब मुझे मालूम हुआ और तब मैंने समझा कि मुझे एक हाई पावर आदमी को ऐप्वाइन्ट करना चाहिये क्योंकि इस मामले में २–३ महकमें इन्वाल्व थे जैसे पी० डब्ल्यू० डी० और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन । तो यह सब सोचकर मैंने अंडर दी कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट (Under the Commission of Enquiry Act) श्री लाल को एप्वाइन्ट किया ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

लेकिन वहां पर शहादत कौन इकट्ठी करेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट (Commission of Enquiry Act) में उनको अधिकार दिया गया है जांच करने का । यह सिविल कोर्ट की तरह से फंकशन करती है । टर्म्स आफ रेफेरेन्स के बारे में कहा गया कि क्या है । उनके बारें में भी निवेदन कर दूं कि टर्म्स आफ रेफेरेन्स इस प्रकार हैं । ये मैं अंग्रेजी में पढ़े देती हूं और मुझे आशा है आप क्षमा करेंगे । ये इस प्रकार है :--

1. Ascertaining full facts relating to the causes which led.....

श्री उग्रसेन--

क्या यह विज्ञाप्ति अंग्रेजी में भेजी गयी ? आप हमें हिन्दी में बता दीजिए ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

ये इस प्रकार है--

(१) पूरे पूरे वाकये की जानकारी करें जिनके कारण यह दुर्घटना हुयी ।

(२) यह फैसला करना कि जो ट्रैफिक या और जो दूसरे इन्तजाम थे इन्क्लूडिंग रैस्क्यु तो उसके लिए एडिक्वेट यानी पूरा प्रबन्ध था या नहीं ?

(३) यह देखना कि जो पुल था उसकी बनावट में कोई नुक्स था या नहीं ?

(४) कौन कौन लोग इस दुर्घटना के जिम्मेदार हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव--

घटना के पश्चात जो मदद चाहिए थी उसकी जो व्यवस्था की गयी वह भी इसमें शामिल कर लिया जाय ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जिस वक्त उनकी रेस्पौन्सिबिलिटी फिक्स करके हमारे पास रिपोर्ट आयेगी तब हम उचित कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक जुडिशियल इन्क्वारी का प्रश्न है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले जब ऐसे इन्सीडैन्सेज हुए जैसे इलाहाबाद में १९५९ में एक पुल के बारे में हुआ था ।

श्री उग्रसेन--

तो क्या आप उसको ही मानेगें कि जो कलक्टर ने कह दिया कि २ मरे ७ घायल हुए ? वे ही तो गवाही नहीं देने देंगे ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

आप इस बात की भी जांच करवा लें कि विशिष्ट. . .

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

१९५९ में पौन्टून ब्रिज की दुर्घटना हुई दारागंज, झूसी में। के० पी० भार्गव साहब कमिश्नर इलाहाबाद नें इसकी जांच की। पुलिस फायरिंग जो हुयी थी उसकी भी जांच कमिश्नर साहब ने की। अब हमने श्री लाल को कमीशन औफ इन्क्वायरी ऐक्ट में अधिकृत करके भेजा है। उनको अधिकार है कि वे इन्क्वायरी में लोगों को सुने। अगर श्री लाल को अधिक अधिकारों की आवश्यकता होगी तो उनको और ज्यादा अधिकार दे दिए जायेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

शहादत कौन लेगें ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

आप सब लोग शहादत दिलवा सकते हैं।

श्री कुमार करुणा कृष्ण नायर--

आज तक इसकी घोषणा नहीं हुयी है ?

श्री उग्रसेन--

उपाध्यक्ष महोदय, अब केवल ३ मिनट रह गये हैं। इस पर वोटिंग कराइये ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसकी बाकायदा विज्ञप्ति हुयी है। अगर और भी जरूरत होती है तो और ज्यादा करवा देगें। अगर आप समझते हैं कि लोगों को मालूम नहीं है तो और ज्यादा विज्ञप्ति करा दूंगी। जिस दिन मैं फैजाबाद गयी थी उसी दिन पता चला कि मिसिंग लोगों का पता नहीं चल रहा है। १०, ११ लाशें बरामद हुई हैं। सवाल हुआ कि इसका पता कैसे चले ? तो ज्ञात हुआ कि इसका पता तब चलेगा जब घरों से इंक्वायरी आयेगी। इसके लिये आदेश जारी कर दिये गये कि आस पास के जितने लोग हैं उनके बीच जिलाधीश ऐलान करा दें। ब्लाकशाइज लोगों को घरों में खबर करा दी जाय कि जिसके घर से आदमी मिसिंग हैं वह उसकी इंफार्मेशन फैजाबाद के जिलाधीश को भिजवा दे। बस्ती से कुछ ज्यादा आदमियों के नाम आये। डी० एम० से कहा गया कि फौरन उसकी तहकीकात कराये।

श्री लखपतराम शर्मा--

लाशों की बरामदगी नहीं हो रही है तो इनाम घोषित किया जाय, उससे ज्यादा लाशों की बरामदगी हो सकेगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

कम्पेनसेशन के बारे में भी बतला दीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह विज्ञप्ति भी अखबार में करा दी जायगी।

श्री उग्रसेन--

अब आप वोटिंग कराइये।

श्री उपाध्यक्ष--

वोटिंग ऐसे नहीं हो सकती ।

श्री उग्रसेन--

आप व्यवस्था दें कि इस प्रस्ताव पर मतदान हो सकेगा या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे हो सकेगा जब कि केवल २ मिनट रह गये हैं ? क्लोजर भी कोई मूव नहीं हुआ है ।

श्री उग्रसेन--

आप इसको दबाइये नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कोई दबाने की बात नहीं है । क्लोजर मूव कर देते तो वोटिंग हो सकती थी ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

माननीय मुख्य मंत्री जब न्यायिक जांच के लिये तैयार नहीं हैं तो मैं और मेरी पार्टी वाक आउट करते हैं ।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं जब फैजाबाद में थी तो मैंने कहा कि जो-जो फैमिली आइडेंटिफाई हो गयी है उनकी हम मदद करेंगे । मुझे तीन परिवार बतलाये गये और उनको मदद भेज दी गयी है । बाकी परिवारों का जैसे-जैसे आइडेंटिफिकेशन हो जायगा वैसे-वैसे उनकी मदद की जायगी । इसलिये मैं अब समझती हूं कि लोगों के दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिये । हम पूरी तरह से जांच करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब ६ बज गये हैं । प्रस्ताव बिना निर्णय के टाक आउट हो गया है । अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२० अप्रैल, १९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५ पर।)

आबकारी आयुक्त का कार्यालय
उत्तर प्रदेश

संख्या २३७६०/दो–८०५–ए (जनरल)
इलाहाबाद, ३१ मार्च, १९६५ ई०

विज्ञप्ति

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, १९१० (यू० पी० ऐक्ट संख्या ४, १९१०) की धारा ४१ के अधीन अधिकारों का प्रयोग करके और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, १ अप्रैल, १९६५, से, समय-समय पर यथा संशोधित विज्ञप्ति संख्या ९४७३/१३—२१३-ए, दिनांक २५ मार्च, १९२६, के अधीन प्रकाशित विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री के लिये लाइसेन्सों से संबंधित नियमों में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उपर्युक्त नियमों में शीर्षक :D : Licences for wholesale and retail vend of denatured spirit.

(१) वर्तमान नियम १७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"17. The Collector may grant to a distiller who denatures spirit and to approved dealers of denatured spirit a licence in Form F.L. 16 for the wholesale vend of denatured spirit. The licence shall also cover the right to bottle denatured spirit. The scale of fee for such licence shall be as follows :

(*a*) For sales not exceeding 10,000 litres per annum.	Rs. 200 per annum.
(*b*) For sales exceeding 10,000 litres per annum.	The fee shall be increased by Rs. 100 for every 5,000 litres or fractions thereof.

Such a licence may not be combined with one for the retail vend in Form F. L. 17."

(२) नियम १८ के उपनियम (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(3) The scale of fee for a licence for the retail vend of denatured spirit shall be as follows :

(*a*) For sales not exceeding 2,000 litres per annum.	Rs. 100 per annum.
(*b*) For sales exceeding 2,000 litres but not exceeding 3,000 litres per annum.	Rs. 150 per annum.
(*c*) For sales exceeding 3,000 litres but not exceeding 4,000 litres per annum.	Rs. 200 per annum.
(*d*) For sales exceeding 4,000 litres	The fee shall be increased by Rs. 100 for every additional 1,000 litres or fraction thereof."

विजय बहादुर शाही,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७-८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर]

जुलाई, १९६४ में चन्दौसी पावर हाउस के दो ट्रांसफार्मर जल गये थे। उनके जल जाने से अनुमानित हानि ३.९६ लाख रुपये की है। जांच से ज्ञात हुआ कि क्षति स्विचों के गलत संचालन से और कम पावर की बैटरी द्वारा, चन्दौसी पावर हाउस पर लगे रक्षण उपकरणों को संचालित न कर सकने के कारण से हुई। जिन कर्मचारियों का प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व था उनके नाम और जो दन्ड उनको दिया गया वह संलग्न तालिका में दिया गया है।

१३/१४ जनवरी, १९६३, की रात को मुरादनगर के १३२ के० वी० सब-स्टेशन में भी आग लग गई थी।

चन्दौसी पावर हाउस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई वह संलग्न तालिका में दी गई है।

तालिका

१--सर्वश्री रघुबीर सिंह, सब स्टेशन अटेन्डेन्ट, और जगदेव, लाइनमैन, जो कि गलत संचालन के लिये उत्तरदायी थे, की नौकरियां समाप्त कर दी गईं।

२--श्री अमरीक लाल, स्विच बोर्ड अटेन्डेन्ट, को उनके मूल पद से ब्रिज अटेन्डेन्ट पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया और आगे की उन्नति को रोक दिया गया है।

३--श्री के० एम० सक्सेना, शिफ्ट सुपरवाइजर, के विरुद्ध, बैटरी की उचित देखभाल न रखने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है।

मुरादनगर १३२ के० वी० सब-स्टेशन में आग की दुर्घटना के लिये सर्वश्री आर० के० गौतम, अधिशासी अभियन्ता, ओ० पी० धमेजा, सहायक अभियन्ता, डी०एन० विरमानी, सब-स्टेशन सुपरिन्टेन्डेन्ट, और सुरेन्द्र पाल सिंह, सेन्ट्रीफ्यूगल मिस्त्री, के विरुद्ध जांच की गई थी और इन लोगों को निलम्बित रखा गया था।

आवश्यक जांच के उपरान्त यह सभी व्यक्ति, जिनके विरुद्ध कुछ भी प्रमाणित न किया जा सका, दोषमुक्त कर दिये गये और पुनः बहाल कर दिये गये।

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर]

क्रम सं०	रिपोर्ट की तारीख	ए० जी० एम० इटावा द्वारा की गई कार्यवाही की तारीख व विवरण
१	१२-८-१९६४	१२-३-१९६५, बस के ड्राइवर, कन्डक्टर व बिना टिकट चलने वाले कर्मचारी को भविष्य के लिये चेतावनी दी गई।
२	५-९-१९६४	११-२-१९६५, बस के ड्राइवर व कन्डक्टर को चेतावनी दी गई, बिना टिकट चलने वाले दो ड्राइवरों को चेतावनी दी गई और दो का ५०० मील का भत्ता काट लिया गया व एक कन्डक्टर का एक माह का गुड कन्डक्ट एलाऊंस काट लिया गया।
३	१६-१०-१९६४	१२-३-१९६५, बस के ड्राइवर, कन्डक्टर व बिना टिकट चलने वाले कर्मचारी को चेतावनी दी गई।
४	२५-१०-१९६४	१२-३-१९६५, बस के ड्राइवर व कन्डक्टर को चेतावनी दी गई।

संसद सदस्य सूचना प्रणाली

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२ पर)

क्रम सं०	ठेकेदार का नाम	पता
१	श्री हरिश्चन्द्र ..	ग्राम व डा० गरेडियापुर, जिला वाराणसी ।
२	श्री सुरेन्द्रनाथ दुबे ..	ग्राम धानापुर, डा० गोपीगंज, जिला वाराणसी ।
३	श्री राजमनी यादव ..	ग्राम धानापुर, डा० गोपीगंज, जिला वाराणसी ।
४	श्री फउदार ..	ग्राम नयापुरा, डा० मिर्जामुराद, जिला वाराणसी ।
५	श्री बलिराम सिंह ..	ग्राम नयापुरा, डा० मिर्जामुराद, जिला वाराणसी ।
६	श्री शिवशंकर ..	ग्राम कश्तूरीपुर, डा० मोढ, जिला वाराणसी ।
७	श्री रामसुन्दर ..	ग्राम व डा० सुरयांवा, जिला वाराणसी ।
८	श्री शोभनाथ मौर्य	ग्राम कुशनदेवपुर, डा० गोपीगंज, जिला वाराणसी ।
९	श्री पाचूराम ..	ग्राम व डा० गोपीगंज, जिला वाराणसी ।
१०	श्री झरिहा ..	ग्राम विशुनपुर, डा० गोपीगंज, जिला वाराणसी ।
११	श्री राजनाथ ..	ग्राम जोगीपुर, डा० सिखड़ी, जिला वाराणसी ।
१२	श्री मानेशसिंह ..	ग्राम भदवर , डा० गंगापुर, जिला वाराणसी ।
१३	श्री रवीसरन सिंह ..	ग्राम परसपुर, डा० वीरमानपुर, जिला वाराणसी ।
१४	मेसर्स शाह इंजीनियरिंग वर्क्स	ग्राम नाटी इमली, वाराणसी ।
१५	श्री गंगाप्रसाद ..	ग्राम व डा० चौलापुर, जिला वाराणसी ।
१६	श्री जगनन्दन ..	ग्राम नयापुरा, डा० मिर्जामुराद, जिला वाराणसी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७ पर ।)

जिला एटा

सूची—अ

क्रम सं०	स्थानों के नाम	क्रम सं०	स्थानों के नाम
१	राजा का रामपुर	१४	बेरनी
२	गंज डुण्डवारा	१५	बेरी
३	धुमरी	१६	असरौली
४	भोजपुरा	१७	काबर
५	पेई लोई	१८	जवाहरनगर पुरसारी
६	फफूती	१९	छुनछावन गांव
७	रार	२०	अम्बारी
८	पटियाली	२१	सरोनथ पवयान
९	लाल गढ़ी	२२	सराय पट्टी
१०	लहरा	२३	पिवारी
११	सैदपुर	२४	अरहापुर
१२	सेरावल	२५	ऊंचा गांव
१३	कन्तौर	२६	सरोनथ पछीजा ।

सूची—ब

१	सहावर	६	सेना कलां
२	साकित	७	जामनपुर
३	मलवन	८	नमौनी
४	मोहनपुर	९	बरना
५	नरथर		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३० पर)

दिनांक ८ मार्च, १९५७, से अब तक राजकीय रोडवेज, गोरखपुर, रीजन में वर्कशाप में रक्खे गये कर्मचारियों का व्योरा

क्रम-संख्या	पद नाम	सेवा में रक्खे गये सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की		सेवा हेतु रक्खे गये सम्पूर्ण कर्मचारियों में से स्थायी किये गये कर्मचारियों की संख्या			सेवा हेतु रक्खे गये सम्पूर्ण कर्मचारियों की संख्या जो अभी अस्थायी ही हैं		
			संख्या	प्रतिशत	अन्य जाति	अ० जाति	योग	अन्य जाति	अ० जाति	योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	सहायक स्टोर कीपर	७	..	..	..	..	..	७	..	७
२	सहायक मैकेनिक	१९	२	१०.५	१२	२	१४	५	..	५
३	फिटर	४०	३	७.५	१०	..	१०	२७	३	३०
४	फिटर ग्रेड २	१८	१	५.६	६	..	६	११	१	१२
५	क्लीनर	१३६	११	८.१	१५	२	१७	११०	९	११९
६	ब्लैक स्मिथ	४	..	..	२	..	२	२	..	२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

७	कारपेन्टर	..	..	१२	१	८.३	५	..	५	६	१	७
८	वेल्डर	..	..	४	..	..	२	..	२	२	..	२
९	पेन्टर	..	..	७	..	..	२	..	२	५	..	५
१०	टिन स्मिथ	..	..	१	..	..	१	..	१	..	..	..
११	अपहोल्सटर	..	..	७	५	७१.४	२	१	३	..	४	४
१२	बल्कैनाइजर	..	..	१	..	..	१	..	१	..	..	..
१३	मोची	..	..	४	२	५०	..	..	..	२	२	४
१४	चौकीदार	..	..	२४	९	३७.६	४	४	८	११	५	१६
१५	वाटरब्याय	..	..	१	..	..	१	..	१	..	..	..
१६	मजदूर ..	..	..	४७	२२	४६.८	४	१०	१४	२१	१२	३३
१७	स्वीपर ..	..	..	१३	१३	१००	..	५	५	..	८	८
१८	जूनियर बुकिंग क्लर्क	..	..	१४	२	१४.३	३	..	३	९	२	११
		योग	..	३५९	७१	१९.५	७०	२४	९४	२१८	४७	२६५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

जिला बलिया

सूची—अ

क्रम सं०	स्थान का नाम	क्रम सं०	स्थान का नाम
१	रानीगंज	१३	करमार
२	मुरली छपरा	१४	मरितार
३	डल्लन छपरा	१५	जेगार सन्ह
४	आमघाट	१६	हनुमानगंज
५	छकरा	१७	कसौन्दर
६	एथलपुरा	१८	चन्द्राहपाल
७	खरसारा	१९	गोठवां
८	एथिला	२०	कन्सों
९	चिलकहार	२१	कुरीम
१०	खजूरी	२२	चिरावां
११	फरसतार	२३	नरनी
१२	सौरन	२४	अनवयान

सूची—ब

१	सनवारा	१२	भरौली
२	अपेल	१३	आदर्शनगर
३	भेलसन्द	१४	छितौनी
४	पसिया	१५	जगदारा
५	अरयाया	१६	मियोन्दी कलां
६	जाय	१७	नरायनपुर
७	सिसोतार	१८	मुस्तफाबाद
८	तिलकार	१९	रामनगर
९	सिसवा कलां	२०	बाजिदपुर
१०	पकसी	२१	सोनकी भाट (घतूरी टोला)
१	रिपुरा	२२	मधू सैनी

विधान सभा उत्तर प्रदेश

क्र० सं० स्थानों के नाम	क्र० सं० स्थानों के नाम
२३--जमालपुर	३२--दीधर
२४--बलिहा	३३--लालगंज बाजर
२५--गोपालपुर तलाका धींधर	३४--बिहारी
२६--दया छपरा	३५--बारावर्ती पट्टी
२७--चकिया	२६--दिवरहिया
२८--शिवपुर उर्फकरन छपरा	३७--कोदई
२९--बिलहारी	३८--खंडवाराजपुर
३०--मझावन	३९--उरैनी
३१--पियरौता	

मुद्रण विभाग सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

अनुसूची

असिस्टेंट इंजीनियर एलेक्ट्रिकल एवं मेकेनिकल

साक्षात्कार में आने वाले उम्मीदवारों की संख्या	चुने जाने वालों की संख्या	चुने जाने वालों में बी० एस सी० इंजीनियरिंग परीक्षा में प्राप्त श्रेणी।		
		प्रथम	द्वितीय	उत्तीर्ण
११४	६७	३४	३२	१
	असिस्टेन्ट इंजीनियर (सिविल)			
७	५	..	४	१

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१–६२ का उत्तर पीछे पृष्ट ३५ पर)

PUBLIC SERVICE COMMISSION, UTTAR PRADESH

No. C—116/IIC—63-64

Dated Allahabad, May 6, 1964

Press Communique

It is hereby announced for general information that upon the result of the State Engineering Services Examination held by the Commission in November/December, 1963, for recruitment to the post of Assistant Engineer (Civil), Assistant Engineer (Mechanical) and Assistant Engineer (Electrical and Mechanical) in various Engineering Departments of the State, the following candidats stand highest in order of merit :

For 522 *posts of Assistant Engineer* (*Civil*) —22 *Permanent and* 250 *Temporary in Irrgation Department*, 220 *Temporary in Public Works Department*, 4 *Permanent and* 14 *temporary in Local Self-Government Engineering Department and* 12 *temporary in Planning Department* (18 *per cent of which are reserved for Scheduled caste candidates*) :

General Candidates

Position in order of merit	Name	Total marks obtained
1	2	3
1	Hari Krishna Garg	705
2	Kuldip Singh Sohal	695
3	Mahendra Shankar Srivastava	681
4	Chandru Vaswani	664
5	Narendra Sahu	635
6	Satyendra Mohan Jain	633
7	Krishna Kant Srivastava	631
8	Surendra Pal Singh Chhonkar	625
9	Jagmohan Kohli	617
10	Rajesh Chandra	614
11	Krishen Kumar Sahnan	612
12	Virendra Kumar, son of Sri Kishan Lal	612
13	Mahesh Chandra Goel	603
14	Girish Asthana	602
15	Vinod Prakash	599
16	Deo Verma	592
17	Ram Kumar Goyal	591
18	Ram Kumar Gupta	590
19	Raghuvansh Kumar Verma	586
20	Dharam Vir Varshney	584
21	Sri Krishna Kumar	584
22	Arvind Kumar Mathur	579
23	Shishir Chandra Das	578

Position in order of merit	Name	Total marks obtained
1	2	3
24	Sita Ram Goel	576
25	Anil Kumar Trigunayat	576
26	Bhupendra Kumar Gupta	573
27	Ram Sharan	568
28	Mohan Chandra Pant	566
29	Narendra Prasad	566
30	Satish Mohan Agarwal	565
31	Jai Prakash Singhal	559
32	Mahendra Kumar Bansal	555
33	Dhirendra Kumar Rastogi	555
34	Shyam Sunder Agarwal	555
35	Satya Prakash	554
36	Mahendra Kumar Singhal	552
37	Suresh Kumar	551
38	Om Prakash Vaish	547
39	Satya Vir Singh	547
40	Parmatma Sharan	546
41	Braj Kumar Srivastava	545
42	Satya Narain Garg	544
43	Brij Basi Lal Pande	543
44	Ramesh Chandra Gupta	539
45	Madan Lal Dhingra	539
46	Swami Saran	537
47	Jai Bhagwan Agarwal	536
48	Himanshu Kumar Dikshit	530
49	Mool Ghani Sharma	529
50	Ishwar Dayal Jain	529
51	Satish Chandra Mehrotra	527
52	Suraj Prakash Verma	525
53	Yogendra Nath Srivastava	523
54	Duni Chand	517
55	Suresh Kumar Rastogi	516
56	Raj Kumar Kapoor	516
57	Ajai Prakash	513
58	Lakshman Prasad Varshney	510
59	Suresh Chandra	508
60	Vijai Kumar Bhatnagar	507
61	Harpal Singh, son of Late Sri B. Singh	506
62	Surendara Kumar	506
63	Bachan Lal Agarwal	500
64	Madan Gopal Singh	499
65	Shiva Kumar Sahai Srivastava	496
66	Jagannath Srivastava	493
67	Devendra Kumar Gupta	492
68	Rajendra Kumar Srivastava	490
69	Shri Krishna	489
70	Shri Prakash Agarwal	484

Vidhan Sabha

position in order of merit	Name	Total marks obtained
1	2	3
71	Hari Krishna Mithal	483
72	Ram Murti Gupta	480
73	Daya Ram A. Tahilyani	476
74	Bhupendra Kumar Jain	476
75	Ram Singh, son of Sri Kapoor Chand	466
76	Naresh Mohan	466
77	Satya Prakash Rastogi	463
78	Sushil Kumar Jindal	462
79	Trilochan Singh	459
80	Yogindra Nath Malhotra	457
81	Phool Chand	446
82	Syed Mohd. Ijtaba Hasan Zaidi	439
83	Anand Prakash Garg	438
84	Daya Shanker Dubey	436
85	Subodh Kumar Sinha	434
86	Santosh Kumar Shukla	433
87	Surendra Nath Singh	431
88	Sudhindra Shankar Gaur	412
89	Auadh Behari Misra	406

Scheduled Caste Candidate

1. Harish Chandra, son of Sri N. Ram 612

NOTE—Selection of the candidates at nos. 29, 50, 60, 64, 72 and 89 on the above list is provisional, subject to certain documents being received from them or from their departments.

For 10 permanent and 50 temporary posts of Assistant Engineer (Mechanical) in Irrigation Department (18 per cent of which are reserved for the Scheduled Caste candidates).

General Candidates

1. Shiam Behari Lal Gupta 643
2. Rajendra Prakash Gupta 567
3. Buddhi Sagar Rai 510
4. Anand Kumar Gupta 435

NOTE—No scheduled caste candidate appeared at the examination for these posts.

For 12 posts of Assistant Engineer (Electrical and Mechanical)—7 temporary in Public Works Department and 2 permanent and 3 temporary in Local Self-Government Engineering Department (18 per cent of which are reserved for scheduled caste candidate).

Only one candidate appeared at the examination but he did not qualify in written papers.

(Sd.) J. D. SHAH,
Sachiv.

विधान सभा

No. C—116(i)/II-C—63-64

Copy forwarded to the Local representatives of the :

(1) Leader, Allahabad, (2) Hindustan Times, New Delhi, (3) P. T. I., 7, Elgin Road, Allahabad, and (4) the News Editor of the Northern India Patrika, Allahabad (with a spare copy), (5) the Editor, the National Herald, Lucknow, (6) Sri S. N. Ghosh, Editor, the Pioneer, Lucknow, (7) Sri P. D. Tandon, Times of India Correspondent, 4 Elgin Road, Allahabad, and (8) Sri S. G. Kokane, Staff Correspondent, Indian Express, 184, Neta Nagar, Triveni Road, Allahabad, for favour of immediate publication in the news columns of the next issue of the paper.

No. C—116(ii)/C-II—63-64

Copy forwarded to the Director of Information, U. P., Lucknow, for information.

No. C—116(iii)/II-C—63-64

Copy also forwarded to—

(1) the Sachiv, U. P. Shasan, Public Works Department, Lucknow.

(2) the Sachiv, U. P. Shasan, Irrigation Department, Lucknow.

(3) the Sachiv, U. P. Shasan, Local Self-Government Engineering Department, Lucknow; and

(4) the Sachiv, U. P. Shasan, Planning Department, Lucknow.

By order,
(Sd.) J. D. SHAH,
Sachiv.

अध्यक्ष सदस्य सचिवालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

गत पांच वर्षों की वार्षिक सिंचाई के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	खरीफ एकड़	रबी एकड़
१९६०–६१	..	..
१९६१–६२	..	१
१९६२–६३	..	३
१९६३–६४	१	११
१९६४–६५	१७	१३

विधान सभा सचिवालय पंजाब

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८ पर)

सूची असिंचित ग्राम जो कि अमौली व खजुहा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं—

क्रमांक	नाम ग्राम	नाम ब्लाक	क्रमांक	नाम ग्राम	नाम ब्लाक
१—	दरियाबाद	खजुहा	२१—	ककोरा	खजुहा
२—	मंसूर पुर	,,	२२—	सरौलिया	,,
३—	भारतपुर	,,	२३—	औरा निस्फी	अमौली
४—	बहादुर पुर	,,	२४—	रिठवां	,,
५—	अमौली	,,	२५—	दपसौरा	,,
६—	रामपुर	,,	२६—	कहिंजरा	,,
७—	रनमस्तपुर	,,	२७—	इटरा	,,
८—	मऊ	,,	२८—	रूस्तमपुर	,,
९—	इटरा	,,	२९—	सिकन्दरपुर	,,
१०—	जाफ़रगंज	,,	३०—	मवई	,,
११—	चक अब्दाल खां	,,	३१—	गौरी औरा	,,
१२—	बिन्दौर	,,	३२—	अरसा	,,
१३—	चक नौरोज अली	,,	३३—	पचौरा	,,
१४—	गजईपुर	,,	३४—	परसेढ़ा	,,
१५—	कुकेड़ी	,,	३५—	गंगूपुर	,,
१६—	जमरौली	,,	३६—	श्यामपुर	,,
१७—	सैबसी	,,	३७—	एतमादपुर	,,
१८—	मौहारी	,,	३८—	चकलाला	,,
१९—	गंगौली	,,	३९—	जारा	,,
२०—	बारा	,,	४०—	शिवपुर	,,

विधान सभा पटल

नत्थी 'ठ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४० पर)

वर्ष	ब्लाक का नाम	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या	निर्मित नल कूपों की संख्या	प्रस्तावित नल कूपों के स्थान	निर्मित नलकूपों के स्थान
१	२	३	४	५	६
१९६२–६३	मनिहारी	..	..	..	..
१९६३–६४	,,	..	..	..	..
१९६४–६५	,,	८	८	सिखरी छपरी कटधार नं० २, बेरीखाल, सुल्तानपुर, बरोली, सुलतानसिंह, बरहठ, रामपुर जीवन व मोहनपुर	सब प्रस्तावित स्थानों पर
१९६२–६३ ..	सादात	..	..	..	..
१९६३–६४ ..	,,	..	..	..	..
१९६४–६५ ..	,,	..	..	..	..
१९६२–६३ ..	जखनियां	..	..	..	सब प्रस्तावित स्थानों पर
१९६३–६४ ..	,,	१	१	रेहटीमालीपुर	
१९६४–६५ ..	,,	३	३	देवा, सोहनहरा मुड़कुड़ा	

सूची सं० २

सन् १९६५–६६ में इन विकास खंडों में निम्नलिखित स्थानों पर नलकूप प्रस्तावित हैं

क्र० सं०	मनिहारी विकास खण्ड	जखनियां विकास खण्ड	सादात विकास खण्ड
१	इन्द्रपर छिरी ..	कोई भी नलकूप लगाने का प्रस्ताव नहीं है	उपधी
२	भिखारपुर	..	..
३	पारा ..		मुझई
४	बरईपारा ..	..	खजुरहट कैथोलिया